(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 4) षष्टम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तीसरा दिवस (संख्या 3

शुक्रवार

दिनांक 6 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

रामगंज मण्डी की खदानें

48. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि रामगंजमंडी तहसील के चरागाह, ग्राम रास्तों एवं गांव के किनारों की भूमि पर खदानें लगी हुई हैं ? क्या इनमें से कई खदानों के पास स्वीकृति भी नहीं है ? क्या इनसे जन जीवन संकट में है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): दि. 13/14 दिसम्बर, 1977 को कोटा में हुई मंत्रि-मण्डल की बैठक में इस प्रकार की चर्चा हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि खनिज विभाग व राजस्व विभाग संयुक्त जांच करेंगे। जांच जारी है। वैसे इस प्रकार के किसी क्षेत्र विशेष हेतु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ऐसी कोई खदानें नहीं हैं जो बिना स्वीकृति के चल रही हों। इन खदानों से जन जीवन में कोई संकट नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, उस बैठक में निर्णय हुए कितना समय हो गया और उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। दूसरी बात, आपने कहा कि जन जीवन को कोई संकट नहीं है। खदानें बिल्कुल गांव के पास लगी हुई हैं जिससे सारा पानी सूख जाता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। जिस समय खदानों में ब्लास्टिंग होता है, पत्थरों के टुकड़े घरों में पहुंचते हैं जिससे लोग घायल हो जाते हैं, तथा अस्पताल में जाकर भर्ती होते हैं। इस पर भी आप कहते हैं कि शिकायत नहीं की गई। मैंने विगत सत्र में भी इस बात को कहा था। मैंने लिखित में भी दिया था। माननीय मंत्री महोदय को लिखित में दिया, राजस्व मंत्री महोदय को दिया, उन्होंने जांच के आदेश दिये। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने बार-बार इस बारे में लिखित में दिया है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने का

Page No 2

(2)

(श्री हरीश शर्मा)
कारण क्या यह नहीं है कि खदानों के मालिक पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों की खदानें हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : क्या कहा माननीय सदस्य, समझ में नहीं आया।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रमुख बात यह है कि आपने जो उत्तर दिया है सदन में वह सही उत्तर नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है जिसकी गंभीरता का आपको पता नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सबसे पहले तो यह बतायें कि उनको शिकायतें मिलीं या नहीं मिलीं ?

श्री हरीश शर्मा : इन्होंने कहा कि इनको शिकायत नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन-चार बार शिकायत लिखित में दी है। खनिज मंत्री को दी है, राजस्व मंत्री को भी दी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जन जीवन को संकट नहीं है, यह बिल्कुल गलत उत्तर है। खदानों की वजह से आसपास के कुओं का पानी सूख जाता है, सिंचाई बन्द हो जाती है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। गांव के गांव खाली हो जाते हैं।.....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां खदानें होते हुए भी जिनकी स्वीकृति नहीं दी गई है इस प्रकार की अस्वीकृत खदानें कितने वर्षों से वहां पर हैं ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या माननीय सदस्य श्री हरीश शर्मा ने कोई शिकायत लिखित में की है या नहीं ? यदि आई है तो वह कैसे कहते हैं कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि जन जीवन को इससे कोई संकट नहीं है। आप यह कैसे कह रहे हैं, गांवों के अन्दर...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : हमारी सरकार की खदानों के बारे में क्या नीति है? राज्य सरकार स्पष्ट करे कि अगर खानों के पास आबादी हो गई है या आबादी के पास खानें खुद गई है तो राज्य सरकार ऐसी आबादी के लोगों को नई जमीनें अलाट करेगी या उनकी खदानों को बन्द करेगी ? इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : इसमें मेरा एक महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न और भी है। क्या यह सही है कि इन खदानों को बन्द करने के लिए वहां के सहायक अभियन्ता ने और वहां के अभियन्ता ने सरकार को सिफारिश कर दी

Page No 3

(3)

(श्री हरीश शर्मा)
है कि इनकी लीज निलम्बित कर दी जाय ? सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिए, मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में यह कहा है कि इस प्रकार की किसी क्षेत्र विशेष हेतु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर को गलत ढंग से समझा गया है। सामान्य तरीके से, जनरल वे में मंत्रि-मण्डल के सामने माननीय सदस्य, जो रामगंजमण्डी से आते हैं, ने भी शिकायत की थी और उसके बाद उसी स्वीकेंप में शिकायत की है। उनकी जांच कराने का मन्त्रि-मण्डल का निर्णय हो गया। इस निर्णय के आधार पर कोटा जिलाधीश, खनिज विभाग और वन विभाग के सम्पर्क से जांच चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विभाग ने विशेष तौर से माननीय विधायक महोदय हरीश कुमार शर्मा को 27–5–78 को पत्र लिखा है कि आप आकर बताइये, ऐसी कौन सी विशिष्ट जगह है जिनके बारे में आपको शिकायत है, ताकि वहां की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा सके। लेकिन माननीय विधायक महोदय ने सहयोग नहीं किया है····

श्री हरीश शर्मा : मैंने पूरा सहयोग दिया है, लिखित में दिया है। माननीय मन्त्री बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने लिख कर दिया है, इसकी जांच नहीं होने का क्या यह कारण है कि पूंजीपतियों की दादागिरी है, उनसे चन्दा मिलता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह शक्तावत।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस एलीगेशन लगाया गया है····

(व्यवधान)

बहुत गम्भीर आरोप लगाया है कि चन्दा वसूल करते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने सहयोग नहीं दिया। वहां के सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता ने इनकी लीज निरस्त करने की सरकार को सिफारिश की है। सरकार ने क्या कार्यवाही की, यह जवाब दिलाया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से माननीय विधायक, माननीय हरीश शर्मा से माफी मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल कोटा से बल्कि सचिवालय के विभाग से माननीय विधायक को पत्र लिखा गया है कि आप आकर सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक से मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि जैसे छावड़ा खान का चार्ज है, उसमें जब एक्सीडेन्ट हो गया, सात व्यक्ति मारे गये, मैं माननीय विधायक का बहुत शुक्रगुजार हूं, उस समय वे मेरे साथ गये थे, उन्होंने वहां की सहकारी समिति की दो चार बातें बताई थीं और स्थानीय असुरक्षा की बात बताई थी। उनके सुझावों पर जांच करते समय शिकायत सच्ची निकलने से लीज

Page No 4

(4)

(श्री कैलाश मेघवाल)

का निरस्तीकरण कर दिया गया। उसके बाद माननीय विधायक ने स्वयं शायद मानवीय आधार पर हो या कुछ मजदूर बेकार हो गये उनके प्रश्न को लेकर ...

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय इसका जवाब मंत्री महोदय से दिलाइये कि आया इन्जीनियर ने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कह दीजिये कि दी है, या नहीं दी है।

श्री अब्दुल अजीज : खानों के बीच में जो आबादी आ गई है या आबादी के पास जो खाने हैं, उनके बारे में मन्त्री महोदय का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पहले सप्लीमेन्ट्री पूछ लिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं वह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। मैं राज्य सरकार की नीति के सम्बन्ध में अभी इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जन सुरक्षा की दृष्टि से आबादी के पास खानों का आवंटन नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैंने मंत्री महोदय से यह स्पष्ट पूछा है कि इनको निरस्त करने के बारे में इन्जीनियर द्वारा आपको रिपोर्ट दी गई है या नहीं ?

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सरकार को इसकी जो जानकारी है, वह दी है। उसका जवाब दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्त्ता ने एलीगेशन लगाया है मंत्री महोदय पर ...

श्री अध्यक्ष : No more.

तहसील आमेट की संगमरमर की खानों के पट्टे

49. **श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील आमेट में सफेद संगमरमर की कितनी खानों के पट्टे दिये गये हैं ? वर्तमान में कितनी खानों से माल निकल रहा है ?

(2) आमेट तहसील से राज्य सरकार को कितनी रायल्टी मिली है ?

(3) तहसील कुम्भलगढ़ में खनिज विभाग ने कहां कहां सर्वे की है ? क्या थोरिया व घाटा के पास की खानों का भी सर्वे हुआ है ?

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : (1) तहसील आमेट में संगमरमर की 77 खानों के लिए पट्टे दिये गए हैं। वर्तमान में 30 खानों में माल निकल रहा है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) स्थिर फाटक से 30 सितम्बर, 1978 तक 1,29,540/– रुपये प्राप्त हुए हैं जो कि न्यूनतम रायल्टी है।

(3) उदयपुर जिले की कुम्भलगढ़ तहसील के केलवाड़ा, गांधरी, तलादवें, मानड एवं रीछेड़ गांवों के निकट प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रारंभिक खोज माह अगस्त, 1978 से आरंभ की गई है, एसबसटस एवं अभ्रक के प्राप्ति चिन्ह मिले हैं। थोरिया एवं घाटा क्षेत्रों में संगमरमर की खानों की प्रारम्भिक जांच की गई है।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि संगमरमर की खानें जहां पर हैं वहां से भीलों को हटाया गया था? जिन भील लोगों को वहां से हटाया गया है उन्होंने भी पट्टे मांगे हैं परन्तु वे पट्टे उनको न देकर मकराना से आने वाले अधिकांश लोगों को दे दिये गये हैं। इसलिए मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि ऐसे कितने जन जाति के लोग हैं जिन्होंने खानों के लिये एप्लाई किया, पर खानें उनको नहीं दी गईं? कृपया यह भी बताएं कि वहां पर पहुंचने के लिये पीने के पानी के लिये, क्योंकि वहां पर मजदूर काफी सख्या में हैं, क्या व्यवस्था की गई है?

अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मैं पूछना चाहता हूं कि 77 पट्टों में से केवल 30 पट्टों पर खुदाई कार्य हो रहा है तो बकाया 47 खानें हैं वे किस कारण से बन्द हैं? क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को एक से अधिक खानें अलाटमेंट कर दिये जाने के कारण वे लोग आज की तारीख में इन खानों की खुदाई करना पसन्द नहीं करते हैं, इस कारण से ये बन्द हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Sorroy माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही मामला है, राम और रहीम एक ही बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कुंभलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने भीलों को पट्टे देने के बारे में, प्रार्थना पत्र देने के बारे मे बात कही है। मेरे पास अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि कितने भील लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिए हैं और कितनों को अलाटमेन्ट किया गया है, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय विधायक को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक नीति तय कर रखी है उसके अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवंटित किया जाएगा। अब जितने भी पट्टे दिए जा रहे हैं, वे सब इसी आधार पर दिए जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रार्थना-पत्र हैं और नहीं भी हैं तो और ले लिए जाएंगे और उनको आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न खड़ा किया है, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी जो दिए गए पट्टों की सूची है उसमें इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है

(श्री कैलाश मेघवाल)
कि एक ही पार्टी या व्यक्ति ने एक से अधिक पट्टे लिए हों। अलग अलग नाम से पार्टियां हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी जांच करवा ली जाएगी कि 47 खानों पर काम क्यों नहीं हो रहा है ? वैसे वर्षा की वजह से कई खानें पानी से भर गई हैं। दूसरे वहां पर अभी एप्रोच रोड नहीं बन पाई है। कुछ लोग इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं, उनसे चर्चा करके यह देख लिया जाएगा कि खानों का अधिक से अधिक विकास हो।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आमेट क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार से आदिवासी लोगों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करके पट्टे ले लिए गए हैं इस प्रकार के बहुत से केसेज हैं उस क्षेत्र के अन्दर। मेरा निवेदन है कि आप पट्टे देते समय इस बात की जानकारी कर लें। और यह जांच भी करें कि कितने लोग ऐसे है जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर पट्टे लिए हैं।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो परिवार आए हैं, उन लोगों को भी खान का पट्टा देने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : मेरा यह निवेदन है कि मकराना से आने वाले लोगों को खानें दे दी गई हैं और जो वहां के भील लोग थे जिनकी कि वह जमीनें थीं, उनको वहां से हटा दिया गया है। उनको दूसरी जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनके सामने समस्या बनी हुई है। मंत्री महोदय इसका उत्तर देवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानकारी कर सकते हैं। मंत्री महोदय आपको जानकारी दे देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या 50।

पशुओं के खिलाफ क्रूरता के व्यवहार को रोकने सम्बन्धी कानून

50. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य में आज भी कई पशुओं के खिलाफ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है ? उसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने कौन-सा कानून बना रखा है ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना जिस रूप में हो रही है और उसको रोकने के लिए प्रिवेन्शन ऑफ क्रयुलिटी ऑफ एनीमल एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सन् 1977–78 से आज तक कुल कितने चालान किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और नहीं होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारक अधिनियम, 1960 (भारत सरकार) के खण्ड 3 व 6 की धाराओं को राज्य सरकार ने 15-9-67 से राजस्थान राज्य में प्रभावशील घोषित किया है। इस अधिनियम की क्रियान्विति हेतु पशु कल्याण मण्डल एवं समितियों का गठन होना है जो ऐसे क्रूरता के मामलों पर कार्यवाही करवाने हेतु सक्षम होगी। इस हेतु कार्यवाही की जा रही है। कल्याण मण्डल के गठन के

(श्री दिग्विजय सिंह)
अभाव में वर्ष 1977-78 में कोई चालान नहीं किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह एक्ट 1960 में बनाया गया। यह कानून बनाया गया और राजस्थान में भी लागू किया गया। आज हो गये हैं 15 साल, 15 साल के बाद भी जनता पार्टी की सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही है। यह बड़ी तेज गति है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 साल तो यह खुद बैठे हुए थे और उसका दोष हम पर डाल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मण्डल का गठन जल्दी से जल्दी कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपके आने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद से आज तक क्या कार्यवाही की है आपने वेलफेयर बोर्ड बनाने के बारे में? इसका उत्तर दें या सदन की मेज पर रखें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ है मण्डल का गठन नहीं किया गया है। अब यह प्रश्न सामने आया है, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे ध्यान में आया है तो मार्च के अन्त तक मण्डल का गठन कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रश्न यह है कि जो एक्ट लागू हो गया था उसके अन्तर्गत आपके आने के बाद जो पशुओं पर बेहरमी की गई, अत्याचार होते हैं, उनको रोकने के लिए आपने किसानों का चालान किया और नहीं किया तो क्या कारण है? क्या आपकी सरकार निष्क्रिय है?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय डागा जी, 15 साल से आपका शासन था। तो क्या आपके शासन में कोई क्रूरता नहीं हुई है पशुओं पर?

श्री अध्यक्ष : उत्तम उत्तर यह होगा कि आपका शासन समाप्त होने तक जो व्यवस्था थी वह बरकरार है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कब तक वेलफेयर बोर्ड बना देगी?

श्री दिग्विजय सिंह : मार्च 1979 के अन्त तक बना देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

कोलायत क्षेत्र की खानों से सरकार को आय

15. श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोलायत तहसील में स्थित माइन्स से राज्य सरकार को विभिन्न मदों में कितनी आय पिछले वर्ष सन् 1977–78 में हुई थी?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में स्थित खानों के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गई है?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) कोलायत तहसील में स्थित माइन्स से राज्य सरकार को विभिन्न मदों में पिछले वर्ष 1977-78 में कुल आय रु. 3,10,221.00 हुई है।

Page No 8

(8)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) पूर्व में इस क्षेत्र में सफेद मिट्टी के विकास हेतु विभाग ने पूर्वेक्षण का कार्य किया जिसके आधार पर ही इतना विकास सम्भव हो सका है। इसके पश्चात् सरकार ने इस क्षेत्र में एक उपागमन सड़क राघेरा तालाब से गुड़ा तक बनाने का कार्य हाथ में लिया है जो अभी भी चालू है तथा जिस पर दिनांक 31–8–78 तक कुल राशि 1,93,626.00 खर्च हुई है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कोलायत तहसील में माइन्स के 15 व्यक्तियों को पट्टे दिए गए हैं। उन खनिजों के विकास के लिए क्या यह शर्त नहीं रखी गई कि पट्टे मिलने के दो साल के अन्दर-अन्दर इन माइन्स पर आधारित उद्योग स्थापित किए जायेंगे ? दो साल का समय समाप्त होने के पश्चात् भी ऐसा नहीं किया गया है। शर्त की अवहेलना की गई है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कोलायत क्षेत्र में पूरा सर्वेक्षण करने के आदेश पर विचार कर रही है। इन खनिजों के आधार पर वहां कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं इस बारे में जो खनिज पट्टाधारी हैं उनसे भी चर्चा आरम्भ कर दी गई है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा सवाल यह है कि उनको लीज इस शर्त पर दी गई है कि दो साल के अन्दर-अन्दर वहां उद्योग लगा दिये जाएंगे, उसकी अवेहलना की गई है, उस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री कौशल किशोर जैन : यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। जितनी रायल्टी सरकार को खानों से मिल रही है...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा सवाल है। बीच में बोल कर माननीय सदस्य मंत्री महोदय को शील्ड कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था उसकी परिधि में जितनी जानकारी आनी चाहिये थी वह तो मैंने दे दी। इसके बाद किस पट्टे में क्या शर्त रखी गई है और किसका उल्लघंन हो रहा है...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उन पट्टों में लिखा हुआ है कि उन खानों के विकास के लिये उन पर आधारित उद्योग वहां लगाये जायेंगे। मेरा सवाल स्पष्ट है कि क्या राज्य सरकार ने विकास का प्रश्न उठाया है ? उन पट्टों में जो शर्त रखी गई है उसका पालन हो तब तो निश्चित तौर से उन खानों का विकास होगा। पट्टे दिये गये हैं उनमें जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। मैंने इसलिये कहा ताकि. .

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (2) में कोलायत से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने पूछा है उसके उत्तर में प्राइमाफेसी राज्य सरकार ने विकास के क्या कार्य किये वह मैं निवेदन कर चुका। सभी पट्टों में इस प्रकार की सामान्य शर्त नहीं होती। अलग-अलग खनिजों के अनुसार उद्योग लगाने की शर्त लगाई जाती है। किसी विशिष्ट पट्टाधारी के बारे में आपको जानकारी हो तो आप बतावें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल महत्वपूर्ण है।

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

इस पर आधे घण्टे की चर्चा का समय दिया जाय। यह लोगों की रोजी-रोटी का मामला है। हमारे यहां की मिट्टी को बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे यहां के इलाके के विकास कार्य में सरकार की कोई रुचि नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि अब तक वहां के लोगों की रोजी, रोटी का सवाल पूरा नहीं करवाया गया, ऐसा मालूम पड़ता है। कांग्रेस शासन में तो वहां के मंत्री मिले हुए थे...

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इसमें विकास का सवाल आया है तो उससे संबंधित सारे प्रश्न आ जाते हैं। राज्य सरकार ने कौन सा कांट्रेक्ट किया था ? क्या वह पूरा नहीं हुआ, जिससे विकास नहीं हुआ ? राज्य सरकार ने यह कंडीशन रखी है तो क्या मालिकों की तरफ से कोई कोताही हो रही है ? यह सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले विधायक महोदय ने मुझे समय-समय पर इस बारे में शिकायतें भी की हैं। जो माननीय विधायक ने प्रश्न पूछा है वह महत् सवाल है। कुछ पट्टाधारियों के साथ हम ऐसे खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने की शर्त करते हैं। कोलायत क्षेत्र में जो पट्टाधारी हैं उनमें सिरेमिक उद्योग लगाने की शर्त लगाई गई थी। तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार वहां खनिज की मात्रा 20 प्रतिशत कम होने की वजह से सिरेमिक उद्योग लगाने की संभावना नहीं है। इसलिये हम खनिज पट्टाधारियों से बात कर रहे हैं।

दूसरे भीलवाड़ा से आने वाले विधायक महोदय ने कहा है कि यह नीति का प्रश्न है। मेरा उनसे आग्रह है कि जब नीति संबंधी निर्णय लें उस वक्त चर्चा करें तो उचित रहेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इसका जवाब देंगे कि माइन्स की लीज देते वक्त इस प्रकार की पट्टे में शर्त रखी थी ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने जिन शर्तों पर लीज दी क्या उसको समाप्त करके आप पुनः लोगों को लीज देने की कार्यवाही करेंगे ? वह शर्त तो एक प्रकार से आपके तथाकथित वैज्ञानिकों से मिल कर, जैसी कि मेरी निजी जानकारी है ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करके आपने लिखवा ली है। बिहार और उड़ीसा में उद्योग स्थापित हो सकते हैं परन्तु कोलायत में ऐसा नहीं हो सकता।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्डीशन यह थी कि जिनको लीज दी जायगी वे उद्योग लगायेंगे और अब उनकी अवहेलना हो रही है तो उनकी लीज कैन्सिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात स्वयं स्पष्ट स्वीकार की है कि यह बात उनकी निजी जानकारी में है कि वैज्ञानिकों से मिलकर इस तरह की रिपोर्ट दिलवाई है, तो, अध्यक्ष महोदय, दूसरे वैज्ञानिकों से जानकारी कराने के अलावा राज्य सरकार के पास और क्या चारा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को देख कर ही राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा। यह जो आरोप लगाया है माननीय विधायक ने, इस बारे में उसको विश्वास दिलाऊंगा कि वास्तव

(श्री कैलाश मेघवाल)
में अगर ऐसी बात है तो वह मुझ से मिल लें, हम दूसरे वैज्ञानिक से जांच करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : कोई निश्चित बात कहें।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई विचार नहीं होगा।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

मार्च, 77 में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी मामला

52. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने मार्च, 1977 में कुछ सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वीकृतियां जारी की थीं ? यदि हां, तो किस-किस की ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उन सभी सड़कों का काम वर्तमान शासन में रोक दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) राज्य सरकार ने मार्च, 1977 में कुछ सड़कों के निर्माण एवं सुधार के लिए स्वीकृतियां जारी की थीं। सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

(2) जी नहीं। राशि-उपलब्धि और प्राथमिकता के अनुसार इन सड़कों पर जिनमें से केवल 53 सड़कों पर पूर्व में कार्य चालू किया गया था, उनमें से 27 सड़कों पर ही प्रावधान करना सम्भव हो पाया है। इसके अलावा 13 सड़कों पर स्वीकृति इस वर्ष में प्रदान कर दी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं इस बारे में। जिन सड़कों की पिछले सालों में मंजूरी की गई है और जिन सड़कों पर पहले पैसा लग चुका है क्या राज्य सरकार उन सड़कों को प्रायोरिटी देगी ? उन सड़कों को कम्प्लीट करने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ? जिन सड़कों पर पिछली सरकार ने आलरेडी पैसा खर्च कर दिया है उन सड़कों को यह राज्य सरकार प्रायोरिटी देकर पूरा कराने का विचार रखती है ?

श्री जयनारायण पूनिया : जिन सड़कों को मंजूर किया गया था और जिन मंजूरशुदा सड़कों में से कुछ सड़कों पर कार्य करने की कोशिश की गई थी उन सड़कों में कुछ पर पैसा लगाकर उनको चालू किया गया है और जो नई सड़कें थीं उनको छोड़ना पड़ा है। इसलिए जो भूतपूर्व स्वीकृत सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर 5 हजार, ढाई हजार और 1500 की आबादी वाले गांवों के अनुसार लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रतिशत का क्या मतलब है ? कितना प्रतिशत खर्चा हुआ है ?

श्री जयनारायण पूनिया : इसका मतलब यह है कि कहीं पर मिट्टी पड़ी है, कहीं पर गिट्टी पड़ी है तो कहीं पर मेटल्ड हुआ है और डामर नहीं हुआ है इस प्रकार से है।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल में अकाल राहत कार्यों में सडकों पर काफी पैसा खर्च हुआ है। किन्तु मिट्टी का ही काम कहीं पर किया गया है तो उन सड़कों को क्या राज्य सरकार पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामेश्वर प्रसाद।

श्री ईश्वर चन्द : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि कांग्रेसी मन्त्रियों ने जिन सड़कों को स्वीकृत किया उन पर पैसे का खूब दुरुपयोग किया गया है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप एलिगेशन्स नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद।

शाहपुरा पंचायत समिति की ग्राम सेवा सहकारी समिति छारसा का लोन सम्बन्धी गबन का मामला

53. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति छारसा, पंचायत समिति, शाहपुरा को सत्र 1970-71 में कितना लोन स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या यह जो लोन स्वीकृत किया गया था वह समिति के सही सदस्यों को बांटा गया था ?

(3) क्या इस घोटाले की कभी जांच की गई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) वर्ष 1970-71 में रुपये 71,715.00 का ऋण जयपुर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि. द्वारा इस समिति को स्वीकृत किया गया।

(2) स्वीकृत ऋण में से 6032 रुपये ही समिति ने उठाये थे जो समिति के सही सदस्यों को सही रूप में दिया गया था।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या इस समिति में घोटाला हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : वह किस मद में से किया गया था ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : शराब में से।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जिस साल का जिक्र किया है वह 70-71 का है। 1970-71 के बारे में मेरे पास पूरी सूचना है, लेकिन जब मैं प्रश्न की तैयारी कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ है कि 1973-74 में इस समिति में

(श्री कैलाश मेघवाल)

गड़बड़ी होने की शिकायत हुई है। उस संबंध में अधिकारी का निलम्बन भी हुआ था, इस तरह की जानकारी मुझे मिली थी। मेरे विचार से 72-73 का प्रश्न करने पर 73-74 के प्रश्न की जानकारी देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : सम्भव नहीं हो सकता है तो असम्भव है क्या ?

श्री रामेश्वर प्रसाद : वहां पर कई लोगों ने गबन किया है और उसकी शिकायत की जा रही है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को सभी जानकारी है, लेकिन सही तथ्यों को वे छिपाना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको हटाया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि प्रश्न 1977-78 के बारे में पूछा गया था।

श्री रामेश्वर प्रसाद : 77–78 नहीं 70–71 के बारे में पूछा है।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : प्रश्न 73–74 का और बता दें।

श्री अध्यक्ष : जानकारी हो तो दे दें नहीं है तो ना कर दें।

श्री कैलाश मेघवाल : 70–71 के इयर के बारे में प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब मैंने रिकार्ड के आधार पर जानकारी लेकर दे दिया है। यह गड़बड़ी बाद में 73–74 की मिली है। माननीय सदस्य इस पर सवाल करेंगे तो जानकारी दे दूंगा।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मंत्री महोदय का यह कहना है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या यह उत्तर देने का तरीका सही है? प्रश्न तो उठा दिया गया, प्रश्न तो उठ रहा है, फिर भी यह कहना कि प्रश्न नहीं उठता है, क्या ठीक है? उसका जवाब देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर प्रसाद : मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या 73–74 में घोटाला नही हुआ है ?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय 73–74 मे गबन बता रहे थे।

श्री अध्यक्ष : कहा है कि प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, वह नहीं कहना चाहें तो न कहें, लेकिन मेरा इतना ही सबमिशन है कि कम से कम जब उनको मालूम है कि गबन हुआ है तो वह बतला दें। उसके बारे में अलग से प्रश्न उठा कर सदन का समय और राज्य का पैसा फालतू में क्यों खर्च कराना चाहते हैं। अगर उनको जानकारी है तो दे दें।

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मनोहर सिंह मेहता।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान समाप्त करें।

(व्यवधान)

आप बैठिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बैठूंगा, लेकिन जब मंत्री महोदय को मालूम है कि इसमें गबन हुआ है।

(व्यवधान)

हमें अलग से प्रश्न करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मनोहर सिंह मेहता।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : स्वयं जब मंत्री महोदय अनुभव करते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वयं माना है।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के अन्तर्गत इसके बारे में चर्चा उठाने का प्रयास कीजिए।

श्री शंकर लाल : जनता पार्टी की सरकार पूरा उत्तर नहीं देती है। कितने खेद की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please sit down प्रश्न 54।

राज्य में शराबबन्दी

54. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तथा जहाजपुर क्षेत्र में शराबबन्दी है? यदि हां, तो पूरे जिले में शराबबन्दी हुए बिना क्या इन क्षेत्रों में शराबबन्दी सफल हो रही है?

(2) क्या राज्य सरकार शराबबन्दी को सफल करने के लिए पूरे भीलवाड़ा जिले में 2 अक्टूबर सन् 78 से ही पूर्ण शराबबन्दी का कदम उठाने वाली है?

(3) क्या यह सही है कि बिजोलियां क्षेत्र में लगभग 25,000 (पच्चीस हजार) मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें ऊंचा उठाने के लिए नाजायज शराब की रोक अत्यन्त जरूरी है?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदार शराब निरन्तर ट्रकों द्वारा या अन्य साधनों से मांडलगढ़ और खास तौर पर ऊपरमाल क्षेत्र में भेजते रहते हैं?

(5) क्या राज्य सरकार शराबबन्दी को सफल करने के लिए पूरे जिले में शराब बन्द न होने तक ठेकेदार को शराब का ठेका न देकर गंगानगर शुगर मिल द्वारा ही दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

आबकारी मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) जी हां।

(2) फिलहाल अलग से ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(श्री आदित्येन्द्र)

(3) इस क्षेत्र में नाजायज शराब की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम विभाग द्वारा उठाये गये हैं।

(4) ऐसी कोई सूचना या शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(5) फिलहाल ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की नीति यह है कि जो दुकानें ठेकेदारों द्वारा निर्धारित आरक्षित राशि पर नहीं उठाई जावें वे ही गंगानगर शुगर मिल या आबकारी विभाग द्वारा चलाई जावें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप यह महसूस करते हैं कि जिन तहसीलों में शराबबन्दी की है वहां बन्द होते हुए भी आपकी आमदनी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ? इसका मूल कारण यही है कि ठेकेदार ट्रकों के जरिये से और हर जरिये से शराब पहुंचाते हैं। जहां पर बन्द की है वहां पर गंगानगर शुगर मिल की दुकानें क्यों नहीं लगाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या यह सत्य नहीं है कि मांडलगढ़ और जहाजपुर के अन्दर शराब के 200 ट्रक नित्य आते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क फरीदाबाद में शराबबन्दी केबारे में बैठकर जो निर्णय लिये गये हैं, वह लागू किये हैं ? उत्पादन क्षमता को कम करना .....

(व्यवधान)

उसके ऊपर अमल किया है क्या ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या यह सही है कि आपके विभाग के अफसरों और डिपो के अफसरों के द्वारा इन जगहों पर शराब पहुँचाई गई है और पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप हर जगह शराबबन्दी करते जाते हैं फिर भी आपकी आमदनी बढ़ रही है। यह कौन सा जादू आप काम में ले रहे हैं कि उत्तरोत्तर आमदनी बढ़ रही है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यह सही है. . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी, फिर श्री थानवी !

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि प्राइवेट ठेकेदारों को न दिये जाने के कारण राज्य सरकार को आर्थिक हानि हो रही है ?

Page No 15

(15)

श्री अध्यक्ष : श्री थानवी।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : आबकारी विभाग के लोग शराब वालों से मिले हुए हैं। मेरे क्षेत्र में शराब बिकती है, जब कि वहां पर शराबबन्दी है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में शराबबंदी करने की बात थी। जब तक राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी नहीं की जाएगी, तब तक ये गड़बड़ियां बन्द होना असम्भव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सब से पूछ लूंगा।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि विभाग द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। तो वे कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन बाड़मेर।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : जिन जिन जिलों में शराब बिकती है, उसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है? इसके लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनका क्या परिणाम रहा है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा तो यह होगा कि माननीय मास्टर साहब उत्तर देते जायें, नहीं तो मास्टर साहब के ऊपर वजन बढ़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मास्टर साहब का वजन हलका करने के लिए ही अपना पुनीत कर्तव्य समझ कर ये सब प्रश्न उठवा रहा हूं।

श्री शंकरलाल : शराबबन्दी वाले क्षेत्रों में बाहर से शराब आने के कारण ही राजस्थान सरकार से यह अनुरोध करना पड़ा कि पूरे राजस्थान में शराबबन्दी नहीं होती है तब तक किसी एक तहसील में बन्द करने से वास्तव में शराबबन्दी नहीं होगी। भ्रष्टाचार बढ़ेगा और क्राइम्स बढ़ेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शराबबन्दी के लिए.....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह बात सही है कि आबकारी मन्त्री जो कुछ कहते हैं, वह पूरा करते हैं? उनकी इच्छा, मैं मानता हूँ, इसको खतम करने के लिए है वह इसके लिए जागरूक हैं लेकिन पूरे मन्त्रिमण्डल का सहयोग नहीं होने के कारण और सारे डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं होने के कारण यह लागू नहीं हो पाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान)

अभी उत्तर आ रहा है।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरचन्द : एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। वह रेलेवेन्ट है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चुप रहिये। मुझे बोलने की आज्ञा दी गई है। आपको नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

Page No 16

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ईश्वरचन्द : केवल इतना ही निवेदन करना है:—

इरशाद हो तो मैं इसे आंखों पे फेर लूं ।
भीगी हुई है आपकी टोपी शराब में ।।
आपकी तो टोपी शराब में भीगी हुई है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : यह गम्भीर आरोप आपने कैसे लगा दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का मजाक मत करिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है, आपने अभी थोड़े दिन पहले यह वक्तव्य दिया था कि 79 से आप पूर्ण शराबबन्दी करने जा रहे हैं । क्या यह वक्तव्य देने से पूर्व आपने मंत्रिमण्डल से स्वीकृति ली थी ?

एक माननीय सदस्य : यह अलग से प्रश्न कीजिये आप ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल में घाटा हुआ है ? राजस्थान में मद्यनिषेध करने से जो आर्थिक हानि होगी वह आप और किसी जरिये से पूरी नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, अब जो प्रश्न आये हैं उनका जवाब देने की व्यवस्था करावें।

एक माननीय सदस्य : जो माननीय सदस्य शराब पीते हैं उनकी जांच होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : क्या मंत्री महोदय शराब पीने वालों को केबिनेट से निष्कासित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर): क्या मंत्रियों में कोई पकड़ा गया तो उसको तफ्तीश करके सजा दी जायगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No more question.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब उत्तर होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ जाने के बाद।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि क्या शराब पीने वालों को मंत्रिमण्डल से निकाला जायगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइनोरिटी के कहने से मेजोरिटी की तरफ से कैसे एक्शन लिया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपका क्या इरादा है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर माननीय बजरंगलाल जी का यही कहना है कि ज्यादा पीने वाले हैं तो निश्चित रूप से हम डुबोकर रहेंगे राजस्थान को, इसमें कोई शंका नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप डूब जाओगे, राजस्थान नहीं डूबने वाला है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको शिकायत है तो आप प्रस्ताव लायें, हम मोरारजी भाई को भेज देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई माननीय मंत्री महोदय पीते हैं तो इससे ज्यादा दुःख और शर्म की बात क्या होगी, गांधीजी की समाधि पर शपथ ली है उन्होंने।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके ×××

(व्यवधान)

×××प्रेस कान्फ्रेन्स....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

यही होता रहा तो मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : इतने हल्के स्तर पर...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : नंगे आदमी नंगी बातें करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं मेरी बात तो सदन की कार्यवाही मुझे स्थगित करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो इस ओर विराजमान हैं, सरकारी नीति का प्रश्न है, इधर से व्यवधान नहीं होगा।

मंत्री, संसदीय मामलात (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन आवर में कोई निवेदन नहीं होता !

(व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त हो गया।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अटलबिहारी वाजपेयी के विरुद्ध जो रिमार्क्स किये हैं वे रिमार्क्स प्रोसीडिंग्स से निकाल दिये जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के उप नेता के सुझाव के अनुसार जो आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं वे एक्सपंज किये जायं।

श्री वृलाराम : माननीय सदस्य बजरंगलाल ने यह बात कही कि सदन में शराब पीने वाले का बहुमत है, ये शब्द सदन की गरिमा के खिलाफ हैं, इनको एक्सपंज किया जाए।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बजरंगलालजी के शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बजरंगलाल जी इस मामले में खुद अपना दृष्टिकोण प्रकट करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किस बात का ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि बहुमत सदन में शराब का आदी है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह उसी तरह का आरोप है जैसा वाजपेई पर लगाया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखें। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या माइनोरिटी मेजारिटी के खिलाफ एक्शन ले सकती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग्स को देखकर कल व्यवस्था दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : आपने मेजर फतहसिंह का रेफरेंस दिया है, आप हमें बेवकूफ मत बनाइए। आपने उस रेफरेंस में बात कही है।

(व्यवधान)

वह रिमार्क उतना ही बुरा है उन माननीय सदस्यों के लिए जो नहीं पीते हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : मेरा निवेदन है कि आगे वाला प्रश्न लिया जाए।

श्री शंकरलाल : बजरंगलालजी का कहना था Minority and Majority within the Cabinet. बाकी के लिए थोड़े ही कहा।

श्री अध्यक्ष : 12 बज गए, उत्तर सुनना है तो सुनिए नहीं तो प्रश्न काल को मैं समाप्त करता हूं।

कई माननीय सदस्य : उत्तर सुनेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न संख्या 55 को लिया जाए कांग्रेस के सदस्य जान बूझकर इसको छिपाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : बजरंगलालजी के शब्दों को भी एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : प्रश्न नं. 55 जरूरी है, पूछने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं।

श्री माधोसिह (रेवदर) : प्रश्न संख्या 61 जरूरी है।

Page No 19

(19)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 55 को स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीनमाल से झुझाणी डामर सड़क

1. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल से झुझाणी तक की डामर सड़क की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? अगर हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(2) क्या राज्य सरकार झुझाणी से घुम्बडिया एवम् भाव तक डामर सड़क बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस सड़क का निर्माण कार्य जुलाई, 1979 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में भीनमाल से बागोड़ा सड़क प्रस्तावित की गई है जो झुझाड़ी, सेवरी, नरखाना, घुम्बड़िया एवं बबोड़ा गांव को जोड़ेगी। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से हुआ फसलों को नुकसान

2. श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में विशेषकर तहसील पिड़ावा में अतिवृष्टि होने के कारण 75% फसलें नष्ट हो गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में इस क्षेत्र के काश्तकारों को क्या राहत दे रही है ?

उत्तर

जिलाधीश झालावाड ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि झालावाड़ जिले में विशेषकर तहसील पिडावा में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल में कोई हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गिरदावरी आरम्भ हो चुकी है। रिपोर्ट आने पर ही हानि की स्थिति मालूम हो सकेगी।

गंगानगर शुगर मिल

3. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री गंगानगर शुगर मिल में वाष्प, आसव तैयार कर राज्य की विभिन्न डिस्टलरीज में भेजा जाता है ?

(2) श्री गंगानगर से वाष्प, आसव भेजा जाता है उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि उचित सुरक्षा व्यवस्था न होने तथा लीकेज से 25 प्रतिशत से ज्यादा वाष्प, आसव व शराब अधिकारियों

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
द्वारा चुराकर उसका गलत विक्रय किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स की श्री गंगानगर स्थित डिस्टलरी के द्वारा यह आसव ट्रक टंकरों द्वारा परिवहन किया जाता है जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा श्री गंगानगर की डिस्टलरी से चलने से पूर्व सील कर दिया जाता है एवं गन्तव्य स्थान पर सील सहित ट्रक टैंकरों में आसव पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त इन टैंकरों के साथ कम्पनी के परिवहन लिपिक होते हैं जो कि आसव को सुचारू रूप से निर्धारित मात्रा में गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हैं।

(3) तथ्यों की जानकारी की जा रही है।

नागौर में ऊनी धागों की मिल

4. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार नागौर में ऊनी धागों की मिल लगाना चाहती है ?

(2) क्या राजस्थान उद्योग व खनिज निगम ने 600 तकुए की मिल बैठाने के लिए विभिन्न उद्योगपतियों से साझेदारी में कार्य करने के लिए टेंडर आमन्त्रित किये हैं ?

उत्तर

(1) एक 600 तकुओं की मिल नागौर में लगाने का विचार था परन्तु अनेक प्रयत्नों के बावजूद कोई भी इस मिल को संयुक्त क्षेत्र में नागौर में स्थापित करने के लिए राजी नहीं हुआ। अतः नागौर में संयुक्त क्षेत्र में तकुओं की मिल लगाना संभव नहीं हो सका।

(2) जी हां, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने 400–600 तकुओं की ऊनी धागा मिलें राज्य के विभिन्न ऊन उत्पादक जिलों में संयुक्त क्षेत्र में लगाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे।

आयुक्त देवस्थान उदयपुर के कार्यालय में नव निर्मित मंदिर

6. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) देवस्थान आयुक्त, उदयपुर के कार्यालय में जो नया मन्दिर निर्माण किया गया है वो किस फण्ड से बनाया गया है ? क्या इसकी सरकारी मंजूरी ली गई थी ?

(2) चार भुजा (उदयपुर जिला) की देवस्थान की धर्मशाला पर पिछले तीस वर्ष में राज्य सरकार ने कितना रुपया दुरुस्ती पर व्यय किया है ?

(3) चार भुजा के तीर्थ यात्रियों की कठिनाई को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा वहां की धर्मशाला में नये ढंग से कुछ कमरे तथा शौचालयों तथा नल-बिजली की सुविधा करने का विचार किया गया है ? यदि हां, तो उसके अधीन कितना बजट रखा गया है ?

(देवस्थान मंत्री)

उत्तर

(1) देवस्थान आयुक्त के कार्यालय के अहाते में पुराने मंदिर के खण्डहर का जीर्णोद्धार कराया गया। यह जीर्णोद्धार विभागीय लेखा मद "285–अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें (ग) मठ मंदिरों का अनुरक्षण" से किया गया है और देवस्थान आयुक्त द्वारा स्वीकृति नियमानुसार दी गई है।

(2) मंदिर श्री चारभुजा जी (गडबोर) जिला उदयपुर की धर्मशाला की दुरुस्ती पर धर्मशाला निर्माण के पश्चात् अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) जी हां, नये कमरों के निर्माण हेतु तखमीने तैयार करवाये जा रहे हैं।

सीलिंग लॉ में संशोधन के पश्चात् री-ओपन किये गये मुकदमात

8. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में सीलिंग लॉ के संशोधन कर लेने के बाद कितने मुकदमात आज तक सीलिंग लॉ के अन्तर्गत री-ओपन करके तय कर दिये गये और उसके क्या क्या परिणाम निकले और उस कारण कितनी कितनी ज्यादा जमीन किस किस भूतपूर्व जागीरदार या काश्तकार के पास निकली ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली जिले में करीब सवा सौ मुकदमे, जो पैंडिंग थे, का क्या निर्णय हुआ और कितनी जमीन सीलिंग लॉ के अन्तर्गत ली गई और उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? पूरी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 में विभिन्न जिलों से प्राप्त सीलिंग प्रकरणों में 992 मुकदमात 30-9-78 तक निपटाये गये हैं जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" में है, सूची संलग्न है। जिला अधिकारियों द्वारा खोले गये विभिन्न सीलिंग प्रकरणों को निपटाये जाने एवं अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की सूचना परिशिष्ट "ख" में है। सूची संलग्न है।

(2) पाली जिले में जो सवा सौ मुकदमे पेण्डिंग बताये हैं, प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि ये मुकदमे किस स्तर पर एवं किस तारीख को विचाराधीन थे। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि पाली जिले से 30 सितम्बर, 1978 तक 391 सीलिंग प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 218 राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं और शेष अभी विचाराधीन हैं, जिनमें कार्यवाही की जा रही है। जिलाधीश, पाली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर निपटाये गये एवं अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की सूचना परिशिष्ट "ग" में है। सूची संलग्न है। प्रश्न में दोषी व्यक्तियों का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। दोषी व्यक्तियों से तात्पर्य भूमि-धारियों/काश्तकारों से है तो संशोधित आदेशों के अनुसार उनसे अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि अवाप्त की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राज्य में राजस्व अभियान

9. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व अभियान में कुल 9 लाख मुकदमे निपटाने के आंकड़े बताये गये हैं ? उन 9 लाख मुकदमों में किस किस प्रकार के मुकदमे कितने कितने, किस किस प्रकार के निपटाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ज्यादातर मामले म्यूटेशन पास बुक देने आदि के थे ?

(3) 9 लाख मुकदमों में से कितने मुकदमे ऐसे निपटाये गये, जिसके कारण बेनामी जमीन या सीलिंग से अधिक रखने वाले लोगों से जमीन खोसी (छीनी) गई ? और किस किस से ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान में निम्न प्रकार के निम्न मामले निपटाये गये हैं :—

1. खातेदारी अधिकार देना
व्यक्ति 1,36,262

2. नामान्तरकरण की तस्दीक
5,77,393

3. सिवाय चक भूमि, वन भूमि एवं चरागाह भूमियों पर अतिक्रमण के मामलों का निपटारा :—

निर्णीत मामलों की संख्या

(क) नियमन द्वारा	48,157
(ख) बेदखली द्वारा	2,18,382

4. रहन बिल कब्ज के मामलों में भूमि वापिस दिलाना :—
मामले 3,462

5. पूर्व में अवाप्त की गई भूमियों के मामलों में लगान की कमी :—
निर्णीत मामलों की संख्या
32,713

6. कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण—निर्णीत मामलों की संख्या 12,778

7. गांवों के लिये आबादी भूमि उपलब्ध कराना- निर्णीत मामलों की संख्या 1,838

8. कृषकों, कृषि मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों को ऋण हेतु दी गई दरख्वास्तों पर कार्यवाही :
मामले 27,095

9 वृद्धावस्था पैन्शन: निर्णीत मामलों की संख्या : 18,611

10. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना
मामले 4,989

योग:– 10,81,680

कृषि भूमि का आवंटन :

	आवंटितियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़ों में)
अनुसूचित जाति	12,949	33,100
अनुसूचित जनजाति	27,012	51,249
अन्य	38,086	66,471
	74,047	1,50,820

अन्त्योदय योजना के तहत परिवारों का चयन : 1,32,777

(राजस्व मंत्री)

(2) जैसा कि उपरोक्त विवरण से प्रकट है कि इनमें से 5,77,393 मामले नामान्तरकरण के हैं। पास बुक जारी करने का कोई मामला इनमें शामिल नहीं है।

(3) राजस्व अभियान के दौरान जिन श्रेणियों के मामलों को लिया गया था उनमें सीलिंग कानून के तहत चल रहे मुकदमों का निपटारा करना शामिल नहीं किया गया था। अतः इस श्रेणी के मामले राजस्व अभियान के दौरान निपटाये गये मामलों के विवरण में शामिल नहीं हैं।

नये पशु चिकित्सालय खोलने का आधार

10 श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार इस वर्ष राज्य में किस आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? इस वर्ष खोले जाने वाले चिकित्सालय कितने होंगे ?

(2) क्या रावत भाटा में भी इस वर्ष कार्यरत पशु चिकित्सालय की इकाई को पूर्ण चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप राज्य की पशु संख्या तथा पशु चिकित्सा संस्थाओं के वर्तमान अन्तर को कम करने के उद्देश्य से नये पशु चिकित्सालय/औषधालय स्थापित कर रही है। इस वर्ष करीब 40 नये पशु औषधालय एवं 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं।

(2) जी नहीं।

रतनगढ़ तहसील में अन्त्योदय योजना के तहत चयनित परिवार

11. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रतनगढ़ तहसील में कुल कितने परिवार अन्त्योदय योजना में चयनित किये गये ? अब तक कुल कितने लाभान्वित हुए एवं उनको क्या सुविधाएं प्रदान की गई ? पूर्ण सूची पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुल चयनित अन्त्योदय परिवार तहसील रतनगढ़ में 463 हैं।

(2) 31 अगस्त, 1978 तक लाभान्वित परिवार—

(अ) पेंशन	70
(ब) भूमि आवंटन	22
(स) ऋण वितरण	9
(द) चर्खा वितरण	33
(य) नियोजन	2
योग	136

(3) 1–9–78 से 28–9–78 तक अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित करने हेतु कैम्पों का आयोजन किया गया जिसके दौरान 307 अन्त्योदय परिवारों को ऊंट/ऊंट गाड़ा/

Page No 24

(24)

(श्री कृषि मंत्री)
भेड़ इकाई तथा बकरी पालन हेतु ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार कराये गये तथा बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। प्रत्येक परिवार की सूची नाम एवं ग्राम वाइज संलग्न है। जिन परिवारों को 31-8-78 से पूर्व लाभान्वित किया जा चुका है उनको संलग्न सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर शुगर मिल की शराब की दुकानें

12. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गंगानगर शुगर मिल राज्य में कहां कहां शराब की दुकानें चला रही है?

(2) शराब की सरकारी दुकानों से अब तक कहां कहां कितना घाटा हुआ है?

(3) क्या इस घाटे की जिम्मेदारी किसी राज्य अधिकारी की है?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस घाटे की जानकारी थी?

(5) क्या यह सही है कि यह घाटा राज्य सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है?

(6) क्या भविष्य में भी राज्य सरकार द्वारा ऐसी ही नीति, जिससे घाटा हो, अपनाई जायगी?

उत्तर

(1) जयपुर नगर ग्रुप एवं कोटा नगर ग्रुप की दुकानें गंगानगर शुगर मिल द्वारा चलाई जा रही हैं। जयपुर नगर ग्रुप में 28 और कोटा नगर ग्रुप में 18 देशी मदिरा की दुकानें हैं।

(2) वर्ष 1978-79 में अगस्त माह तक होने वाली आय का मानचित्र 'क' और 'ख' संलग्न है।

(3) इस घाटे का उत्तरदायित्व किसी राज्य अधिकारी का नहीं है। जब निर्धारित प्रणाली से दुकान नहीं उठती है तब सरकारी तौर पर इसे चलाना पड़ता है, या गंगानगर शुगर मिल द्वारा चलाई जाती है।

(4) गत वर्षों में जब भी दुकानें आबकारी विभाग या गंगानगर शुगर मिल द्वारा चलाई गई तो राज्य को आमदनी कम हुई है लेकिन जब ठेकेदार निर्धारित रकम पर दुकानें नहीं उठाते हैं तो अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(5) यह सही नहीं है। सरकारी दुकान केवल उसी दशा में चलाई जाती है, जब निर्धारित प्रणाली द्वारा टेन्डर आमंत्रित करने पर अथवा नीलाम में रखने पर आरक्षित राशि के बराबर या अधिक राशि का टेन्डर या बोली प्राप्त नहीं होती है और दुकान नहीं उठती हैं।

(6) बिन्दु (5) के अनुसार राज्य सरकार की नीति घाटा होने की नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रणाली के अनुसार समुचित टेन्डर नीलाम में बोली देने के लिये

(श्री शिवचरण सिंह)
तैयार नहीं होता है तो राज्य को अधिक घाटा होने से बचाने के लिये विभाग द्वारा दुकानें चलानी पड़ेंगी।

(आय के मानचित्र के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

भारत सरकार का राज्य सरकार पर कर्ज

13. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा किन किन मदों में किस प्रकार है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है ? मदवार आइटम वाइज सूचना देने की कृपा करें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन-किन का कितना ऋण राज्य सरकार पर है ?

(3) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

(4) राज्य सरकार उक्त कर्जे की अदायगी करने एवं उसके अधिकांश हिस्से को माफ कराने के लिये क्या कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हां, तो उसके बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर :

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल 881.29 करोड़ रुपयों का कर्जा था जिस पर वर्ष 78–79 में देय ब्याज 43.14 करोड़ रुपये है। मदवार सूचना संलग्न तालिका में अंकित कर दी गई है।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का राज्य सरकार पर 251.85 करोड़ रुपयों का ऋण है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) वर्तमान में कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है।

(4) भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्जों की अदायगी इन कर्जों की शर्तों के अनुसार समय-समय पर की जा रही है। राज्यों के ऋण भार सम्बन्धी प्रश्न सप्तम वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचाराधीन है।

मनोहर थाना अकलेरा क्षेत्र में नाजायज शराब की बिक्री का मामला

14. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मनोहर थाना अकलेरा में नाजायज बनने वाली शराब की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कब कब इस सम्बन्ध में छापे मारे गये ? कितनी शराब, किस-किस गांव से, किस किस व्यक्ति से पकड़ी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे बनने वाली अनुचित शराब 3/4 बोतल में खुले आम इस क्षेत्र में बिक रही है और प्रशासन सर्वथा निष्क्रिय है ?

(3) अनुचित शराब की पकड़-धकड़ के लिए उस क्षेत्र में विभाग का स्टाफ कितना है और उस पर कितना व्यय होता है और उसने कितने मामले पकड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नाजायज शराब की कशीदगी के बारे में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग है। वर्ष 1977-78 एवं अप्रेल 78 से 27-9-78 तक इन क्षेत्रों में क्रमशः 11 एवं 4 धावों का आयोजन किया गया जिनमें कुल 33 अभियोग दर्ज किये गये जिनकी सूची संलग्न है।

(2) ऐसी सूचना विभाग को नहीं है।

(3) एक आबकारी निरीक्षक एवं दो गार्ड नियोजित हैं जिनका क्षेत्र तहसील धानपुर एवं अकलेरा है। उपरोक्त स्टाफ के ऊपर वर्ष 77-78 में लगभग 15,000/— रुपये व्यय किया गया। अकलेरा क्षेत्र में वर्ष 77-78 में 23 अभियोग बने एवं अप्रेल 78 से 27-9-78 तक 10 अभियोग बने जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सरकारी नीति के विरुद्ध शराब की दुकानें

15. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक सड़क के किनारों पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के मुख्य इन्दिरा बाजार में बीचोबीच शराब की दुकान खुली हुई है जहां खुली शराब बिकती है और शराब पीकर लोग बराबर उत्पात करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस दुकान को तुरन्त बन्द करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में महावीर पार्क के पास तथा स्टेशन के पास मुख्य बाजार में मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खुली हुई हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन्हें हटाने का इरादा रखती है ?

(4) जब शराबबन्दी ही राज्य सरकार का मकसद है तो फिर ठेकेदारों को गारन्टी सिस्टम पर ठेके क्यों दिये जा रहे हैं ? क्या ये अपनी गारन्टी पूरी करने के लिए गली-गली में नाजायज दुकानें नहीं खोल रहे हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार की इस गलत नीति के कारण नाजायज शराब को बढ़ावा नहीं मिल रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार ऐसा कानून बनाने का विचार रखती है जिससे शराबबन्दी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के शराब पीने पर उसे नौकरी से निकाला जा सके और इसी प्रकार विधायक

Page No 27

(27)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
तथा लोक सभा के सदस्य को भी अपने पदों से बर्खास्त किया जा सके ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची के अनुसार दुकानें भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक सड़क के किनारे खुली हुई है। यह दुकानें कई वर्षों से खुली हुई हैं तथा नियमानुसार उनके स्थान स्वीकृत हैं। इनमें से 40 प्रतिशत दुकानें नगरपालिका या नगरपरिषद् क्षेत्रों में हैं। जहां होकर भीलवाड़ा जयपुर सड़क गुजरती है। भविष्य में राज्य मार्ग पर और दुकानें नहीं खोलने बाबत निर्देश सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दिनांक 21-1-75 को जारी कर दिये गये हैं।

(2) यह सही है कि इन्दिरा बाजार में भोपालगंज नाम की देशी मदिरा की दुकान है जो कि विभाग द्वारा स्वीकृत है। इस दुकान पर खुली शराब बेचने या व्यक्तियों द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने बाबत कोई शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। यह दुकान इसी स्थान पर गत दो वर्षों से चल रही है।

(3) भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन महावीर पार्क एवं मस्जिद के पास विदेशी मदिरा की दो दुकानें हैं। महावीर पार्क और दोनों दुकानों के बीच में सड़क है और महावीर पार्क के पीछे मस्जिद है। यह दोनों दुकानें विदेशी मदिरा की कई वर्षों से इसी स्थान पर चल रही है।

(4) वर्तमान में ठेके गारन्टी सिस्टम पर नहीं दिये जाकर दुकानों विशेषाधिकार प्रणाली पर दिये जाते हैं। अनुज्ञाधारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं। जब भी मालूम दुकान विभाग के ध्यान में आती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) जी नहीं।

(6) फिलहाल कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सहकारी स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा के चेयरमैन का चैम्बर

16. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा में चेयरमैन के बैठने के लिए निर्मित विशेष चैम्बर में कितना व्यय हुआ है ?

(2) मिल पर इस अतिरिक्त भार को डालने के क्या प्रमुख कारण तथा अनिवार्यताएं थीं ?

उत्तर

(1) सहकारी स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा में चेयरमैन के बैठने के लिए कोई कक्ष नहीं बनाया गया है। हाल ही में मिल के विस्तार-योजना के अन्तर्गत नये विद्युत् गृह (पावर हाउस) के निर्माण से उपलब्ध पुराने विद्युत् गृह में कुछ आल्ट्रेशन कार्य किया जाकर कुल 13,973-03 रुपये खर्च कर सभा कक्ष में परिवर्तित किया गया है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) संचालक मंडल, कार्य समिति तथा मिल की अन्य समितियों की बैठकों के लिए एवं अध्यक्ष के कक्ष को कार्यालय में परिवर्तन कर देने के फलस्वरूप इस कार्य हेतु कोई स्थान नहीं था अतः समय समय पर गुलाबपुरा में होने वाली संचालक मंडल व कार्यकारी समितियों की बैठकों हेतु सभा कक्ष की अनिवार्यता प्रतीत की जा रही थी। इस कक्ष का अध्यक्ष भी बैठने हेतु उपयोग करते हैं। क्योंकि उनके लिए निर्धारित कक्ष कार्यालय के लिए दिया जा चुका है।

पंचायत समिति व जिला परिषदों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण का मामला

17. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायत समितियों व जिला परिषदों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं? यदि हां, तो दिनांक 1-6-1977 से लेकर अब तक किन किन कर्मचारियों का कब कब कहां से कहां स्थानान्तरण किन किन कारणों से किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(3) उक्त स्थानान्तरण क्यों किये गये तथा इसमें किस अधिकारी ने अंतिम आदेश दिये?

(4) उक्त स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में कोई एतराज पेश हुए हों तो किस प्रकार के और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार स्थानान्तरण किये गये हैं :—

(क)	अध्यापक	989
(ख)	ग्राम सेवक	218
(ग)	ग्रुप सचिव	136
(घ)	वरिष्ठ लिपिक	192
(ङ)	कनिष्ठ लिपिक	156
(च)	पशुधन सहायक	18
(छ)	ड्राइवर	10
(ज)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उक्त सूची काफी लम्बी होने के कारण जिलेवार प्रस्तुत की जाना संभव नहीं है। स्थानान्तरित किये जाने के मुख्य कारण कर्मचारियों के स्वयं के प्रार्थना-पत्र, पारस्परिक स्थानान्तरण, अधिघोषित कर्मचारियों का समायोजन, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को राज्य सरकार की नीति अनुसार उनका गृह जिले में पद स्थापन, स्थानान्तरित कर्मचारी की शिकायत होने एवं प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होना है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 86 (9) ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किये जाते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाकर विभागीय टिप्पणी प्रस्तावित की जाती है एवं राज्य सरकार अर्थात् मंत्री स्तर से आदेश प्राप्त किये जाने पर स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(पंचायत मंत्री)

(3) स्थानान्तरण किये जाने के कारण प्रश्न संख्या (1) में ऊपर अंकित किये जा चुके हैं। पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 86 (9) ए के अन्तर्गत स्थानान्तरण के अधिकार राज्य सरकार में निहित हैं अतः स्थानान्तरण आदेश मंत्री स्तर से किये जाते हैं।

(4) उक्त स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता देय होने सम्बन्धी एवं व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाई होने सम्बन्धी ऐतराजात सामान्य रूप से कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर विचार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री जयकृष्ण शर्मा व श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर में बिजली मजदूरों की मांगों के सिलसिले में की जा रही भूख हड़ताल व एक मजदूर नेता पर हुए हमले के विषय में।

(2) श्री वृद्धिचंद जैन व श्री परसराम मदेरणा, सदस्य विधान की ओर से बाड़मेर जिले में करीब 2।। हजार किसानों को आवंटित की गई भूमि को उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को आवंटित किए जाने के विषय में।

(3) सर्वश्री गंगाराम चौधरी, अब्दुल हादी, मथुरादास माथुर, सदस्य विधान सभा की ओर से भी जिला बाड़मेर में 1300 भूमिहीन परिवारों को आवंटित भूमि के नियमन के आदेशों की अनुपालना पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, श्री दूलाराम व श्री जगतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के दूदू ग्राम में अन्त्योदय कार्यक्रम के तहत ऋण वितरण का कार्यक्रम फोर्ड फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री बंडी द्वारा करवाये जाने के विषय में।

(5) श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कर्स फेडरेशन द्वारा ठेकेदारी प्रथा को वापस चालू किए जाने के विरुद्ध किए जा रहे आंदोलन के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(6) सर्वश्री मदनसिंह, शिवचरण सिंह व रामकरण सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में टेम्पो चालकों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मैं अध्यक्ष महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि बाहर पुलिस और टेम्पो चालकों की भिड़न्त हो सकती है, उनके लाउड स्पीकर्स जब्त किए जा चुके हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिचुएशन को सुधारें।

Page No 30

(30)

(श्री मदनसिंह दांता)

(7) श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा व श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य; विधान सभा की ओर से सन्तोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में चल रही हड़ताल के विषय में ।

(8) सर्वश्री शंकरलाल, सुखलाल सैंएवा व हंसराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछड़ी जातियों को राज्य सेवा में आरक्षण देने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के विषय में ।

(9) श्री प्रयोपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन श्रृंखलाओं में असमानता होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

ये सब प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे जा रहे हैं। मैं इन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता : यातायात मंत्री ने कहा है कि टेम्पो चालकों को उन्होंने इजाजत दे दी है । अगर यह बात है तो यहां घोषणा कर दें अच्छा होगा ।

श्री केदारनाथ (यातायात मन्त्री) ; मैंने आज 4 बजे चेम्बर में यूनियन के लीडर्स को बुलाया है ।

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । वह अभी तक नहीं आया । लाल बहादुर शास्त्री कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है·····

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर । मैंने बहुत पहले ही एक काल अटेन्शन मोशन नोटिस इस बात का दिया था कि दूदू के अन्दर 3 तारीख के रोज मि. बण्डी और मेकनमारा दोनों आये थे, उस समय अन्त्योदय परिवार के लोगों से उनके पैर छूआये गये । 20 अन्त्योदय परिवार के लोगों ने झुककर मि. बण्डी के पैरों के हाथ लगाया । उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद थे । जगह-जगह अन्त्योदय परिवार का कैम्प लगा था । उन्हें हालत बताई गई । एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने इसके बारे में पहले ही काल अटेन्शन मोशन दिया था·····

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : काल अटेन्शन मोशन दिया है । इससे पहले दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : कब दिया था ?

श्री मूलचन्द डागा : 4 तारीख या 5 तारीख को आपकी सेवा में पेश कर दिया, वह रिकार्ड पर है । मुझसे कहा गया कि इसको मन्जूर किया जायेगा । पैरों के हाथ लगाना कैसे ठीक है ?

एक माननीय सदस्य : डागा साहब बिलकुल गलत कह रहे हैं। किसी ने भी पैर नहीं छुए ।

श्री मूलचन्द डागा : 3 अक्टूबर के दिन यह घटना हुई है, 2.30 बजे हुई है । वहां पर बड़े बड़े संवाददाता भी उपस्थित थे ।

श्री वृद्धिचन्द जैन ; अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ·····

Page No 31

(31)

श्री मूलचन्द डागा : नवज्योति में निकला है और सब अखबारों में निकला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। आपकी इच्छा ऐसी है तो आप कहें, मैं बैठा हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर····

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आसन पैरों पर हो तो कृपया आसन की बात सुनें तब तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। आसन अगर पैरों पर हो और दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सदस्य मनमाने तौर पर अपनी चर्चा करें तो मेरे ख्याल में सदन की इससे गरिमा समाप्त होने वाली है। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। आपका सदन है। आपको सोचना चाहिये कि क्या करने जा रहे हैं आप ?

माननीय श्री डागा जी ने जो मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया, वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। उसका उत्तर आने पर व्यवस्था दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने भी 4 तारीख को दिया है अन्त्योदय के बारे में कि क्या हालत हो रही है और किस तरह से लोग परेशान हैं। यह कब तक आ जायगा, इस बात का तो हमको अहसास हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिल कर बात कर सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

शून्य काल में उसी दिन के स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, कल भी आपने व्यवस्था दी थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी यह तय हुआ था कि जीरो आवर में केवल उसी दिन के स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अगर दूसरे प्रस्ताव, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं तो उस पर चर्चा नहीं होगी। सिर्फ स्थगन प्रस्तावों पर ही जानकारी दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : सदन में जीरो आवर में और प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। केवल स्थगन प्रस्ताव के बारे में ही चर्चा होनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : हो रही है।

श्री अध्यक्ष : हो रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने डाइरेक्शन्स दिये हैं कि आपके चेम्बर में जाकर पूछ सकते हैं। वह माननीय सदस्य यहां एजीटेट कर रहे हैं। कल बिजनेश एडवाइजरी कमेटी में सुझाव दिया उसके विपरीत बोल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन के अन्दर जीरो आवर के अन्दर यह पूछना कोई गलत बात नहीं है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव की क्या स्थिति है।

श्री रामनारायण चौधरी : डाइरेक्शन के बाद यहां नहीं पूछ सकते।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम भी थे। वहां ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि उसके बारे में पूछें ही नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : What is the latest ruling.

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर ही चर्चा होनी चाहिए।

स्थगन प्रस्ताव प्राप्ति पर चर्चा

श्री वृद्धिचन्द जैन ; मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है...

श्री अध्यक्ष : अगर चर्चा करनी है तो सबसे पहले श्री जय कृष्ण शर्मा बोलेंगे।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूख हड़ताल के बारे में दिया था। यहां उसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। आज उन कर्मचारियों के बच्चे तम्बू में बैठे हुए हैं। उनकी यह मांग है कि उनसे बेगार नहीं ली जानी चाहिए। पुलिस में भी उनकी रिपोर्ट दर्ज कर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुण्डों ने उनको मारा है। उनकी भूख हड़ताल चल रही है। इसके बारे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव पर मैंने गंभीरतापूर्वक विचार करके यह निर्णय लिया है कि उस पर कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था उसका जवाब नहीं आया है...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में कहना है कि सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद एक दिन में एक ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है। आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है जानकारी प्राप्त करने हेतु। जानकारी प्राप्त होने के बाद ही आपको चर्चा करने का मौका दिया जायेगा। कृपया अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में सदन में चर्चा नहीं करें। स्थगन प्रस्तावों को ही चर्चा का विषय बनाकर सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलाने के लिए आसन को आप सहयोग दें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपने, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी वह तो ठीक है लेकिन हम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह स्थगन प्रस्ताव भी पेश नहीं कर सकते...

कुछ माननीय सदस्य : आप करिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम तो किसी भी दृष्टि से सरकार का ध्यान आकर्षण कर ही नहीं सकेंगे।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाल बहादुर शास्त्री कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपके सामने भूख हड़ताल के लिए आये हैं। उनके बच्चों को पुलिस पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल रही है तो इससे ज्यादा बढ़िया और क्या प्रस्ताव होगा। इसको मैं मेरे साथ अन्याय मानता हूं। मेरे साथ यह व्यवहार ठीक नहीं हुआ

(श्री नूरा)

है। यह गम्भीर मामला है। उनके बच्चे तम्बुओं में बैठे हुए हैं। उनको घरों से निकाल दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी मांगें तो स्वीकार करना दूर रहा पुलिस उनको बाहर निकाल रही है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप इनके ऊपर पुनः विचार करके इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देकर चर्चा करने और इस बात को सारे सदन के ध्यान में लाने का मौका दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में बिजली के मजदूरों ने अधिकारियों के सामने 7 सूत्री मांग रखी। मैं आपके सामने थोड़े में उन मांगों का जिक्र कर देना उचित समझता हूं। उनकी मांगें बहुत उचित थीं। उनकी मांग थी कि कार्यालय के अन्दर जो विभाग के अधिकारी हैं, वे मजदूरों से जो बेगार ली जाती है उस बेगार प्रथा को तुरन्त समाप्त करें। अधिकारी लोग वाहनों का दुरुपयोग न करें, दूसरे जो मजदूर हैं उनका विक्टीमाइजेशन न करें। तीसरा श्रमिकों के बकाया यात्रा भत्ता, मेडिकल, ओवर टाइम, फिक्सेशन बिलों का शीघ्र भुगतान करवाया जावे। मजदूरों को बकाया, गर्म वर्दियां, ठंडी वर्दियां, साफे आदि शीघ्र दिलाये जावें। गलत तरीके से भर्ती को रोका जावे और दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को मण्डल के नियमानुसार नौकरी दी जाये। जुलाई 57 से पूर्व के श्रमिकों के फिक्सेशन का शीघ्र निपटारा किया जावे। ये मांगें वहां की मजदूर यूनियन ने रखीं और निवेदन किया कि 16 अगस्त तक ये मांगें मान ली जावें। 16 अगस्त तक नहीं मानी गईं तो उन्होंने वहां शांत प्रदर्शन किया। परन्तु वहां के एस. ई. ने उन मजदूरों के नेता जगदीश, जो उस यूनियन का बहुत बड़ा पदाधिकारी नेता है, पर कातिलाना हमला कराया...

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : यह सरासर गलत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं यह कहता हूं माननीय सदस्य को उस एस. ई. के प्रति सहानुभूति है, सहानुभूति होना स्वाभाविक है। मेरी भी सहानुभूति है। मेरी बात सुन लीजिये। आप एम. एल. ए. हैं आपको कहने का हक है, आप कहिये परन्तु मेरी बात मुझे कहने दीजिये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं। उस पर कातिलाना हमला हुआ। जिन लोगों ने किया उन्होंने बयान दिया है कि हमने इस व्यक्ति के ऊपर हमला किया है। इस बात को लेकर वहां के मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पीछे एक बात है जो सत्ता में पार्टी होती है वह चाहती है कि उनकी यूनियन शक्तिशाली बने। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी यूनियन शक्तिशाली बने। चाहे सी. पी. आई. की यूनियन पर हमला हो, चाहे कांग्रेस की यूनियन पर हमला हो और आपकी कोई यूनियन हो चाहे उस पर हमला हो, बी. एम. एस. भी तभी मजबूत बन पायेगी जब आपके कार्यकर्ता उन मजदूरों के हित में काम करेंगे। इसलिए आपने जो सब कुछ किया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संक्षेप में कहना चाहता हूं कि क्या आपका यह प्रजातंत्र है ? आपके राज में, जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार की डेफिनिशन बदल दी गई। आपने प्रजातन्त्र की डेफि-

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नेशन बदल दी। अगर किसी मंत्री के यहां रुपयों की अटेची पकड़ी जाये तो भात की संज्ञा देंगे, उसके लड़के के भात की संज्ञा देंगे। किसी मजदूर पर हमला होता है तो उसको असत्य कहना चाहते हैं। आज विद्युत् विभाग मजदूरों की सात मांगें हैं लेकिन उन्हें कोई सुनता नहीं है। किसी भी तरह से हमला हुआ हो...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनिट।

हड़ताल करने वाले मजदूर नेता थे। प्रजातंत्र में हड़ताल होती है। आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, क्या आप उनको इस प्रकार से दबाना चाहते हैं? मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। जो कमजोर वर्ग है जिनकी मांगें वाजिब हैं उनको दबाया गया। उनकी 7 मांगें वाजिब मांगें हैं, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। फिर भी उनके ऊपर कातिलाना हमला करें, यह शर्मनाक नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं, मैं गया और उन मजदूरों से मिला। मैं विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन से मिला। राजस्थान के बिजली मंत्री से मिला। मैंने साबित किया है, जिन लोगों ने हमला किया है उन्होंने मेरे सामने इस बात के बयान दिये है कि हमने यह गलती की है, प्रशासन के अन्दर। मैं आपसे कहना चाहता हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि आपको समय नहीं मिला तो।...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री) : आप मुझसे नहीं मिले।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने खत लिखा है। मिलने का आप को समय नहीं। मैंने आपको लैटर लिखा है। पृथ्वीसिंह जी को लिखा है...

श्री ईश्वरचन्द : आज आपका गला ठीक नहीं है आप सोमवार को बोल लीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उनकी मांगों को मानने के लिये कोई रास्ता निकालिये। आपने दूसरे एस० ई० को भेजा है। उनकी मांगों का जल्दी फैसला करें ताकि वातावरण जल्दी सही हो सके।

श्री रतन लाल वर्मा (मिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य बोले है और अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। अगर इस तरह एक-एक माननीय सदस्य आधा-आधा, एक-एक घण्टा बोलने लग जायेंगे तो सदन का समय नष्ट होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2–2, 4–4 मिनट एक-एक सदस्य बोल ले और अपनी बात भी कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास में और नाम है...

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है?

श्री अध्यक्ष : इसमें तो श्री परसराम मदेरणा, श्री गंगाराम, श्री मथुरा दास माथुर....

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, साथ में मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : अगर चर्चा करनी हो तो एक ही माननीय सदस्य कर ले तो मैं यह

Page No 35

35

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करूंगा कि इसी सत्र में इस सम्बन्ध में उत्तर देने का सरकार प्रयास करेगी।

श्री वृद्धि चन्द जैन (वाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जो अलाटमेंट फार एग्रीकल्चर पर्पज रूल्स 1970 में बने हुए हैं। उसके रूल 20 के अन्तर्गत अलाटमेंट वाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी हुए। चौहटन तहसील और शिव तहसील में भी अलाटमेंट हुए और 2500 किसानों को अलाटमेंट किये गये हैं। जो अलाटमेंट किये गये हैं, वह कानून के अनुसार किये गये हैं। विभिन्न तहसीलों में जो एडवाइजरी कमेटी के सदस्य उपस्थित थे उन सबकी उपस्थिति में अलाटमेंट किये गये।

पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न अब्दुल हादी साहब ने 6 अप्रेल को पूछा था, उसका जवाब दिया कि अलाटमेंट नहीं हुआ और राजस्व अभियान में अलाटमेंट नहीं हुआ। इस प्रश्न का जो जवाब दिया गया था वह बिलकुल गलत दिया गया था और जो आपकी एक्जीक्यूटिव साइड है, आपके जो कमिश्नर हैं रेवेन्यू के उन्होंने आपको गलत इनफार्मेशन दी है। मैं चैलेंज करता हूं कि यह इनफार्मेशन गलत है। जनता के प्रतिनिधि, हम एम. एल. ए. उपस्थित थे, एस. डी. ओ. उपस्थित थे। हम एम. एल. ए. कह रहे हैं इस प्रकार का अलाटमेंट हुआ है। फिर यह कहना गलत है कि राजस्व अभियान में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के रिफ्यूजीज के जो खातेदारी मामले थे उनकी जमीनें गवा च[illegible] भूमि [illegible] और उसको अलाटमेंट करने का अधिकार है और अलाटिंग टू रूल अलाटमेंट किया गया है। अलाटमेंट करने के बाद में राजस्थान सरकार ने या राजस्व विभाग ने उन अलाटमेंट्स को किस प्रकार निरस्त किया, यह जानना आवश्यक है कानून के अन्तर्गत, अलाटमेंट रूल्स के अन्तर्गत किसी भी तरीके से 2500–2500 भूमिहीन काश्तकारों के अलाटमेंट निरस्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो 500 भूमिहीन किसान हैं जिनको कि नयान कानून के अनुसार किया गया है, उनको केवल एक प्रशासनिक आदेश से निरस्त करना कानून के विरुद्ध है। निरस्त करने के बाद में अलाटमेंट की कार्यवाही भी की गई है, इसी सितम्बर के आखरी सप्ताह में रामसर क्षेत्र सिवाय क्षेत्र मे अलाटमेंट किये गये मंत्री महोदय ने जवाब में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रेगिस्तानी क्षेत्र है इसलिये इसमें डी. पी. ए. पी कार्य के अन्तर्गत जमीन सुरक्षित रखनी है और मरुस्थल का विकास करना है इसलिये अलाटमेंट वाड़मेर में और जैसलमेर में रोका गया है। आप जवाब दे रहे हैं कि हमने अलाटमेंट रोका, क्योंकि डी. पी. ए. पी. कार्य करने के लिये जमीन सुरक्षित रखनी थी तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने किस प्रकार अलाटमेंट रिफ्यूजीज को रामसर क्षेत्र सिवाय क्षेत्र में किया और किस कानून के अन्तर्गत किया? अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं हुई फिर यह किस प्रकार कर दिया गया? अब प्रश्न क्या पैदा होता है।

श्री ओंकार लाल चौहान (ग्रटरू) : माननीय सदस्य नाराज होकर बोल रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : नाराज होकर नहीं बोल रहा हूं।

अब प्रश्न यह उठता है 2500 परिवार हैं और जो भूमिहीन हैं उनको सैक्शन 91 अन्तर्गत नोटिस दिये जायेंगे. उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जायेगा तो वे उस जमीन से नहीं हटेंगे और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होगी। अकेले बाड़मेर में साढ़े सात लाख एकड़ जमीन है रिफ्यूजीज को बसाने के लिये केवल बाडमेर जिला ही नहीं है। रिफ्यूजीज को बसाने का दायित्व सारे राजस्थान का है, भारत का है। बाड़मेर जिला 1000 परिवार, 500 परिवार बसाने के लिये तैयार है। राजस्थान नहर में भी उनको बसाया जा सकता है लेकिन जिनके अलाटमेंट हो चुके हैं, उन भूमिहीन किसानों को हटा कर उन लोगों को अलाटमेंट करना कहां तक उचित है।

अब प्रश्न यह भी उठता है जब इस प्रकार का अलाटमेंट शुरू कर दिया है तो बहुत सारे भूमिहीन काश्तकार हैं जिनको 1974 में अलाटमेंट की कार्यवाही बन्द कर दी थी तो जो शान्तिप्रिय भूमिहीन काश्तकार हैं और जो मजदूरी पर कार्य करते हैं, उन लोगों का भविष्य अन्धकारमय है। अन्त्योदय योजना में जो आये हैं उनको भी हमारे जिले में बहुत कम अलाटमेंट किया गया है। अन्त्योदय योजना वालों को भी कवर नहीं करें, भूमिहीन किसानों को भी कवर नहीं करें और जिनका अलाटमेंट विधिवत हो चुका हो उनके अलाटमेंट को गैर कानूनी कैन्सिल करें, यह सब इसलिये हो रहा है कि रेवेन्यू कमिश्नर साहब बहुत ही इन्ट्रेस्टेड हैं। वे जितने भी कार्य कर रहे हैं, मैं, मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं अगर वे ही रेवेन्यू कमिश्नर रहेंगे तो कोई प्रगतिशील कदम आपको नहीं उठाने देंगे। एक प्रश्न आपके सामने लाया गया और वह पब्लिक इम्पार्टेन्स का प्रश्न लाया गया कि 10 लाख रुपये की जमीन बाडमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी है मैंने कहा, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें। सारा सैटलमेंट का रिकार्ड रद्द करके 10 लाख की जमीन कुछ जागीरदार प्राप्त कर रहे हैं। मंत्री महोदय बहुत इन्ट्रेस्टेड हैं वे चाहते हैं और उन्होंने मौका भी देखा है लेकिन वे कर नहीं पाते हैं क्योंकि रेवेन्यू कमिश्नर साहब कोई कदम नहीं उठाने देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू कमिश्नर साहब आपका पूरी तरह से विरोध करेंगे, आपके हर काम में रुकावट डालेंगे और कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठाने देंगे। मंत्री महोदय को यह जो आई.ए.एस. की बाडी है काम नहीं करने देती है इसलिये कार्य सफर होता है। जो भूमिहीन किसानों का मसला है...

श्री मदनसिंह दांता : ये मंत्रिमण्डल के अयोग्य हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह तो ये ही जाने, मैं नही कहना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

लेकिन इतना अवश्य है कि ये नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ये सोशलिस्ट होते हुए भी कदम उठाने में नाकामयाब रहे हैं। मैं चेलेन्ज करता हूं कि जो यह कहा जाता है कि अलाटमेंट नहीं किया गया है, गलत है। अलाटमेंट किया गया है और यह मेरा चेलेन्ज है। अलाटमेंट रूल्स के मुताबिक किया गया है। अक्टूबर, 1977 में अलाट-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
मेंट किया गया है। मैं चेलेन्ज करता हूं, यह आपने जवाब दिया है या बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आपको रेवेन्यू आथोरिटी मिसलीड करती हैं। इसलिए इस प्रश्न के बारे में मैंने चिन्ता व्यक्त की है। आप अलाटमेंट को स्टे करवा दीजिए। नियमन की कार्यवाही रोक दीजिये। हमारे जिले के जितने एम. एल. एज. हैं उनको कोन्फीडेंस में लीजिये, उनकी मीटिंग बुलाइये जिससे रिफ्यूजीज की समस्या का हल हो और हमारे जिले के जो लोग हैं····

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, दो चार उदाहरण तो बतायें कि किनको अलाटमेंट किया है? उनके नाम तो पेश करें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मंत्री महोदय की आंखें खोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : जिनको अलाटमेंट किया जाता है उनको पट्टे दिए जाते हैं। जिनको अलाटमेंट किया है उनके पट्टे पेश करो सदन में।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये जो समस्या सदन में पेश की है···

श्री ईश्वरचन्द : समस्या का नाम तो बताओ।

श्री परसराम मदेरणा : इसी अलाटमेंट की समस्या के बारे में 1978 के बजट सेशन में एक प्रश्न पूछा था चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने, और उसका उत्तर दिया था राजस्व मंत्री महोदय ने। प्रश्न पूछा गया था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रेगिस्तानी डिस्ट्रिक्ट है उसके सम्बन्ध में और मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि रेगिस्तानी डिस्ट्रिक्ट्स को आगे लाने के लिए, डी.पी.ए.पी. के प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने रोक लगा दी है, पाबन्दी लगा दी है अलाटमेंट पर। इसके बाद भी माननीय सदस्य ने कहा था कि अलाटमेंट हुए है और लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 261 व 101 के नीचे बने हुए नियमों के नियम 11 के नीचे एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन एम.डी.ओ. होते हैं, ने अलाटमेंट किए हैं। इस हाउस के मेम्बर उस कमेटी में बैठे हैं। हमने अलाटमेंट प्रोसीडिंग्स में दस्तखत किए हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि अलाटमेंट नहीं हुए। इसको सदन में चेलेंज किया गया था, उस पर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने आश्वसन दिया था सदन में कि मैं इसकी जांच करूंगा। उन्होंने कहा था कि अलाटमेंट हो नहीं सकता, अलाटमेंट पर प्रतिबन्ध है सन् 1974 से। राजस्व मंत्रीजी द्वारा यह बात भी कही गई थी कि प्रतिबन्ध नहीं भी हो तो भी डी.पी.ए.पी. डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रहे हैं रेगुलराइजेशन अलाटमेंट का। मैंने चेलेन्ज किया, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट भी डी.पी.ए.पी. में आता है मैं बैठा हूं एडवाइजरी कमेटी में। जितना भी आपका 17 पोइन्ट प्रोग्राम था जो कि पोलिटिकल स्टेण्ड था उसके तहत बनी कमेटी में मैं बैठा हूं। उसके अलावा उस प्रोग्राम में सदन के

(320)

(श्री परसराम मदेरणा)
सदस्यों का कहीं भी योगदान नहीं था, न किसी के साथ एसोसियेटेड थे न उनमें हो सकते थे… •••

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्रीजी ने कहा था कि डी.पी.ए.पी. डिस्ट्रिक्ट में न तो अलाटमेंट हो सकता है और न रेगुलराइजेशन हो सकता है। मैम्बर ने इसको चेलेंज किया तो आपने कहा कि जांच कराऊंगा। जांच तो आप करवा रहे होंगे। इसके बाद मैंने भी इस बारे में कहा तो मंत्रीजी ने सदन को आश्वासन दिया था कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अलाटमेन्ट नहीं होंगे। उसके बाद भी अलाटमेंट कर दिया सरकार ने और उस लैंड का कर दिया जिसको कि पहले ही अलाटमेंट कमेटी ने प्रोसिडिंग ड्रा की रूल 14 के नीचे। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अलाटमेंट रूल्स के रूल 30 के नीचे सैंक्शन कर सकता है कलेक्टर। इसकी एक्जीक्यूटिव प्रोसिडिंग्स को, स्टेट रूल्स को बलाए ताख रख कर आवंटन की कार्यवाही की है और यहां पर मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अलाटमेंट हो गए जिससे यह स्थिति हुई है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली): ये तो आपके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री सुखलाल सेंणचा : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मैं तो यह कह रहा था कि ये तो आपके पद-चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कौन से पद चिन्हों पर चलने की बात कह रहे हैं you are not concerned about the human thought and perceiving the matter. लेकिन देखते वही हैं जो चलते हैं, आप कौन से पद चिन्हों की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम।

मैं निवेदन कर रहा था कि अलाटमेंट हो गए और अलाटमेंट हो रहे हैं सारे राजस्थान भर में। पहले सरकार ने आदेश दिया था कि रेगुलराइजेशन कर रहे हैं। 1-1-77 तक जो ट्रेसपासर्स हैं, जो भूमिहीन हैं उनका रेगुलराइजेशन करें, राज्य भर में रेगुलराइजेशन कर दिया जावे। राज्य के प्रत्येक जिले में, और सब जगह सैक्शन 91 के तहत अलाटमेंट कैंसल हो रहे हैं। अलाटमेंट नहीं हो रहे हैं। फिर डी.पी.ए.पी. डिस्ट्रिक्ट में अलाटमेंट कैसे कर दिया? अलाटमेंट भी उनको कर दिया जो पहले से काबिल नहीं थे। वहां पर करीब 2500 भूमिहीन लोकली हैं जो पीढ़ियों से वहां के बाशिन्दे हैं। दूसरे ट्रेसपासर्स का रेगुलराइजेशन कर रहे हैं और उनका रेगुलराइजेशन नहीं करते जो काबिज बैठे हुए हैं, जिनके कन्ट्रोल में लैंड है, जो कन्टीन्यूअसली पजेसर हैं। उन लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही करना पच्चीस सौ लोगों की तकदीर के साथ खिलवाड़ है। इस तरह से यह पच्चीस सौ लोगों का जीवन का सवाल है इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है, यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इम्पोर्टेन्स और पब्लिक इंट्रेस्ट का भेद तो आप जानें लेकिन जो बात आपके सामने रखी जा रही है वह पब्लिक इम्पोर्टेन्स की है, पब्लिक इंट्रेस्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

की है। मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को आदेश दें और हम भी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार को इसी सत्र में एक वक्तव्य देना चाहिये इस सब मामले को लेकर, क्योंकि पच्चीस सौ आदमियों का सवाल है। पच्चीस सौ लोगों को बेदखल किया जा रहा है 91 सैक्शन के अन्तर्गत इसलिए वक्तव्य दिलाया जावे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री गंगाराम चोधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है···

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दे दिया जाएगा इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, इसी सत्र में इसी विषय पर वक्तव्य दे दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। मेरा भी इसी सम्बन्ध में है।

श्री गंगाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंह, आपका नाम नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा नाम निश्चित रूप से है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदनसिंह दांता : जब मंत्री महोदय ने कह दिया कि इसी सत्र में इसके ऊपर वक्तव्य दे देंगे तो बहस करने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंह, आपका नम्बर एक पर आ चुका था लेकिन आप मौजूद नहीं थे। नम्बर दो पर आपका नाम था किन्तु इसको रखा नहीं गया। अब दो मिनट गंगारामजी को बोलने दें।

श्री गंगाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बाड़मेर जिले के आवंटन और नियमन की बात चल रही थी, इस सम्बन्ध में मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। पिछली बार सदन के अन्दर सारी चर्चा हुई थी। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से एक बात की ओर जानकारी चाहूंगा, जब वे स्टेटमेंट दें तो इस बात का ध्यान रखें। जब उन्होंने राजस्व अभियान के दौरान हुई उपलब्धियों का स्टेटमेंट दिया था तब बाड़मेर जिले में किए गए आवंटन के आंकड़े दिए थे। कितने लोगों की भूमि का नियमन किया गया नाजायज कब्जों का, यह स्टेटमेंट में दिया है। इसके उपरान्त जब यह प्रश्न आया था चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य का तब माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि बाड़मेर में कोई आवंटन नहीं हुआ, कोई नियमन नहीं हुआ। आवंटन और नियमन दोनों एक से हैं, नियम अलग हैं। नियमन होता है नियम 20 के तहत और आवंटन होता है नियम 11 के तहत। डी. पी. ए. पी के जो भी जिले हैं उनमें पिछले साल रेगुलर अलाटमेंट बन्द रखा और नियमन की छूट दी। नियमन के कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिले

(श्री गंगाराम चौधरी)

में यह जो फिगर पच्चीस सौ परिवारों का दिया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि इनमें बहुत बड़ा प्रतिशत हरिजनों का है और कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यकों का है। पच्चीस सौ लोगों में से लगभग तेरह सौ, चौदह सौ परिवार हरिजनों के हैं जिनमें मेघवाल है, भील हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, बोर्डर पर रहने वाले मुसलमान, सिंधी मुसलमान हैं। उन लोगों का, जो पुराने भूमिहीन लोग हैं, जिनके पुराने नाजायज कब्जे हैं, नियमन किया गया था।

(व्यवधान)

डी. पी. ए. पी. जिलों में रेगुलर अलाटमेंट बन्द था। भूमिहीनों को जमीन पिछले चार, पांच, छः सालों में मिल नहीं रही थी इसलिए भूमिहीन लोगों ने नाजायज काश्त की और जो सामान्य नियम थे आवंटन के, उन नियमों के तहत, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मदेरणा साहब ने और जैन साहब ने कहा था, नियमन के लिए बाकायदा एडवाइजरी कमेटियों की बैठकें हुई थी जिनमें एस. डी. ओ. ने अध्यक्षता की, माननीय विधायकगण गए। उनमें अनुसूचित जातियों के सदस्य थे, सरपंच थे, उन सब कमेटियों के अन्दर बाकायदा आर्डर हुए। केवल इसमें खामी जो रही है वह क्रियान्विति की रही है। आर्डर्स की कोई खामी नहीं है। आदेश जारी होने के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि ये नियमन रोक दिए जाएं। यह गलत है। यहां पर आपने हवाला दिया था कि पिछले साल 1976 में कलेक्टर चूरू ने रेफरेन्स किया था राज्य सरकार को कि आपने डी. पी. ए. पी. में आवंटन बन्द कर दिया है तो क्या नियमन भी बन्द कर दिया जाए? यहां से यह जवाब दिया गया कि आवंटन बंद है लेकिन नियमन बंद नहीं है। तो रेगुलराइजेशन उस सर्क्यूलर के माफिक उस वक्त किया गया। उसकी तामील में इन जिलों में नियमन बाकायदा गवर्नमेन्ट आर्डर से किया गया था। इस सारे के उपरान्त राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है वह जुडिशियल आर्डर के खिलाफ एक एक्जीक्यूटिव आर्डर है और एक तरह से कन्टेम्प्ट आफ दी कोर्ट है। यह जो स्टेटमेन्ट दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह कतई सही नहीं है। आपने जो आंकड़े दिए हैं उनको देख लीजिए। बाड़मेर जिले के अन्दर कितने बीघा जमीन नियमित की गई और कितने लोगों की कितनी जमीन नियमन के अन्तर्गत नियमित की गई यह आंकड़े आपके मौजूद हैं। अब आप कह रहे हैं कि नियमन नहीं हुआ है। होने के उपरान्त आप इसको रोकना चाहते हैं। अपील के अन्दर जाने पर यह आर्डर सेट असाइड हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय जब स्टेटमेन्ट दें तो वे यह देखें कि बेदखली जरूर रुकनी चाहिए। भूमिहीन हरिजन और मुसलमान की जो जमीन है, उस पर से उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उनका दो तीन दफा नाजायज कब्जा बताकर सजा दी गई है। आशा है मंत्री महोदय इन सारी बातों का जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में स्थगन प्रस्ताव था। अभी भूतपूर्व राजस्व मंत्री और भूतपूर्व उप मंत्री महोदय, जो इसी जिले से आते हैं, ने कानूनी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पहलू के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की है। मैं, अध्यक्ष महोदय, मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये गरीब परिवार हैं और खास तौर से पचास पर्सेन्ट इनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं, बाकी माइनोरिटीज के हैं। माइनोरिटीज के दिमाग के अन्दर काफी शंकाएं और भय का वातावरण पैदा होता जा रहा है। आप चाहें तो इसको मान लें या न मानें। आप समाजवादी मंत्री हैं, सेक्यूलरिज्म में आपका विश्वास है इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जैसे भले आदमी को मंत्री का ओहदा मिल गया है तो आप जरूर ही मुसलमानों के साथ जस्टिस करें। बेदखल करने का कारण क्या है? पोलिटिकल कारणों से, राजनैतिक कारणों से इन मुसलमानों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। खास तौर से जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, शरणार्थी बन कर आए हैं उनको वहां पर बसाने के लिए लोकल लोगों की जमीन छीन कर इन लोगों को दिए जाने की कोशिश की जा रही है। यह एक कारण है। "पेट का जाया भूख मरे" और दूसरे को उसकी जमीन छीन कर दी जा रही है। इसमें मुझे सूझबूझ की कमी नजर आ रही है। देश के अन्दर एक माइनोरिटीज कमीशन नियुक्त किया गया है मुसलमानों की जो समस्या है, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए। ये जो 1100 परिवार हैं, उनको आप बेदखल करेंगे तो हिन्दुस्तान की माइनोरिटीज के ऊपर प्रभाव डालेंगे। इससे आपकी इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। राजनैतिक तौर से भी आपको इससे घाटा होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे यह अपील है कि आज जो इनके दिमाग में भय और शंका का वातावरण है आप अपने अदूरदर्शितापूर्ण कदम से इसको और पक्का मत कीजिए। उनको रेगुलराइज की हुई जमीन से बेदखल मत करिए वरना जो शंका है, डर है, वह पक्का हो जाएगा, जम जायगा कि यह सरकार माइनोरिटीज के खिलाफ है और उनकी रक्षा नहीं करना चाहती है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर मदेरणा साहब, गंगाराम जी और जैन साहब के कहने के बाद कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके बारे में मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था। आपके उत्तर के बाद जो सदन में दिया गया था, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य के कहने के बाद यह उत्तर आया था कि इसको राजस्व मंत्री महोदय को भेज रहे हैं और वे फैसला करेंगे। आपका जो उत्तर है वह यह है कि मैं अधिकारियों से इनकी रिपोर्ट मांग रहा हूं। इसके बाद में मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए यह प्रश्न आज यहां पर उठाया गया है। इस वक्त मैं इसकी सारी बातों में न जाकर दो शब्द कहना चाहूंगा। एक तो यह कि आपके सामने जो समस्या है, वह समस्या यह है कि एक तो बाडमेर जिले के जो रहने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज के लोग हैं उनकी वहां की जमीन पर रेगुलराइज कर दिया गया। वह वहां के बोनाफाइड रेजीडेन्ट हैं और पाकिस्तान से आये

(श्री मथुरादास माथुर)

हुए नहीं हैं, वह सदियों से वहां पर रह रहे हैं, वे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के ज्यादातर लोग हैं जिनका कि रेगुलराइजेशन कर दिया गया है, उनके मुकाबले पाकिस्तान से हुई जंग के बाद कुछ लोग शरणार्थी बन कर वहां पर आए हैं। आपके मुख्य मंत्री, जो पहले विरोध में थे, ने उस समय इस सवाल को यहां पर उठाया था। पहले भी इसको उठाया था कि उनको वहां पर बसाया जाए। भारत सरकार से भी उन्होंने चर्चा की कि उनको बसाया जाए। वे पाकिस्तान को नहीं भेजे जा सकते हैं। उनको यहां बसाना है। अब उनको बसाना है तो उनको कहां पर बसाना है? उस जमीन पर बसाना है जिस पर कि लोग वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, बैठे हुए हैं? उनको बेदखल करके बसाना है तो आप उन लोगों, शरणार्थियों और लोकल रेजीडेन्ट्स के बीच में झगड़ा पैदा करेंगे। एक नये तरह से लॉ एण्ड आर्डर की चीज को पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस उत्साह में उनको बसाना है, आपका एक्जीक्यूटिव आर्डर है, वह इस जमीन से निकलें तो उनको दे दी जाय। जमीन उनकी रेगुलराइज हो जाए तो ठीक होगा। राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर और शिव तहसील में जमीन की कोई कमी नहीं है। इन लोगों को रेगुलराइज न करें उन लोगों को बसाने के लिए, यह गलत होगा। ये शरणार्थी हिन्दुस्तान के हैं, केवल राजस्थान के या बाड़मेर के नहीं हैं। उनको बसाने के लिए भारत सरकार खर्चा दे रही है। राजस्थान कैनाल के आस-पास काफी जमीन है, वहां पर उनको बसा दीजिए। यह मत कीजिएगा कि वहां के लोगों को आप बेदखल करें। हम वहां के चुने हुए लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि शरणार्थियों को बसाया जाए परन्तु उनके और वहां के लोगों के बीच में झगड़ा न कराया जाए। इसमें पोलिटिक्स मत लाइये, कास्टिज्म मत लाइये और न कोई पोलिटिकल कन्सीडरेशन ही लाइये चंद वोट के लिए। एम. एल. ए. या एम.पी. चंद वोटों से नहीं जीतता है। इसको मेरिट पर देखिए। जहां पर लोग पहले से बसे हुए हैं वहां पर शरणार्थियों को मत बसाइये। इन लोगों के लिए बहुत सारी जमीन है। एक कमेटी बना लीजिए। हम आपको जमीन और जगह बता देंगे। कोई झगड़ा न होगा और शरणार्थी भी बस जाएंगे। इस समस्या को इस पहलू से हल कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी: मान्यवर, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसी महीने की 3 तारीख को राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत की अध्यक्षता में अन्त्योदय परिवारों को ऋण वितरण और दूसरे प्रकार की सहायता देने का कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में श्रीमती रोबर्ट मेकनमारा को मुख्य अतिथि माना गया था। मान्यवर, श्रीमती मेकनमारा से कोई इसकी जानकारी नहीं ली गई, कोई अनुमति नहीं ली गई। बिना जानकारी लिये राजस्थान सरकार ने ऐसे कदम उठाये जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीमती मेकनमारा या तो आई नहीं और आई तो अटेन्ड नहीं किया। दोनों में से एक बात हुई। कौन सी सही है यह आप बता दें। वे फंक्शन में नहीं आई। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वहां मौजूद थे और उनके साथ फोर्ड फाउन्डेशन के प्रेसीडेन्ट थे। फोर्ड फाउन्डेशन क्या है यह सदन के माननीय सदस्य जानते

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं। जैसे बिड़ला ट्रस्ट है उसी प्रकार से अमेरिका में फोर्ड नाम के सबसे धनी-मानी व्यक्ति के नाम पर फोर्ड फाउन्डेशन विश्व का सबसे संपन्न ट्रस्ट है। मान्यवर, किसी माननीय सदस्य और श्रीमान् से छुपा हुआ नहीं है कि इसका संबंध अमेरिका की उस एजेन्सी से रहा है और आज भी है जिसने एशिया और अफ्रीका के बैक-वर्ड कंट्रीज के हितों के विरुद्ध काम किया। सन् 1971 में सी.आई.ए. और फोर्ड फाउन्डेशन का घनिष्ठ संबंध रहा, उसका अध्यक्ष यहां आया। आया ही नहीं, फोर्ड फाउन्डेशन, जिसने भारत के खिलाफ काम किया, के अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाले आयोजन के अन्दर हमारे ही देश के बैंकों की रकम वितरित की? राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने इसे सरकारी अतिथि नहीं बनाया। कोई उससे सम्बन्ध नहीं था। मान्यवर, इतना ही नहीं, इस देश का पैसा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा उससे वितरित कराया। हमारे अन्त्योदय परिवारों को वहां इकट्ठा किया गया। आप उनको स्वाभिमान के साथ बुलाते, स्थान देते लेकिन, मान्यवर, उनको ही नहीं बुलाया गया उनके साथ उनके बीवी-बच्चों को भी बुलाया गया। हमारी बहिनें और माताएं बच्चों के साथ बुलाई गई। मान्यवर, फोर्ड फाउन्डेशन के अध्यक्ष के हाथों से चैक दिलवाये गये और बच्चों को उनके पैरों में डाला गया।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): यह गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी: गलत हो तो आप प्रतिकार कर दीजिये। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ऐसा किया गया। लेकिन, मान्यवर इस प्रदेश के गरीब लोग, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं उन माताओं, बच्चों को आप फोर्ड फाउन्डेशन के अध्यक्ष के पैरों पर डाल कर राजस्थान के स्वाभिमान को बेचना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दाऊ दयाल जोशी: देश का स्वाभिमान तो आपने बेच दिया।

श्री रामनारायण चौधरी: देश में क्या हो रहा है आप देखें। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई तो इसे कार्टर की माता के पैरों पर डाल रहे हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री एक भंगी के पैरों पर डाल रहे हैं। यह गरीबों के स्वाभिमान का सौदा है। मैं मान्यवर से कहता हूं कि आपने स्वाभिमान को बेच दिया है मंत्रि-मण्डल की कुर्सी के लिये। मान्यवर, क्या इसीलिये आप यहां पर बैठे हुए हैं? आप मुख्य मंत्री से कह दीजिये कि प्रदेश का स्वाभिमान मुख्य मंत्री से बड़ा है। जिस फोर्ड फाउन्डेशन ने हमारे ही खिलाफ कार्य किया उसी के पैरों पर हमारी बहनों और माताओं के बच्चों को डाल रहे हैं। आप सारी स्थिति का चिन्तन करें। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शर्मनाक और राष्ट्र के लिये अपमानजनक स्थिति और क्या हो सकती है? हमारे नागरिकों के स्वाभिमान के खिलाफ आज तक भी ऐसा काम सुनने को नहीं मिला होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

(श्री रामनारायण चौधरी)
मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन पहले है।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन पहले है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा स्थगन प्रस्ताव था। आप इधर-उधर कर सकते हैं। एक तो हमारे· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आंशिक परिवर्तन यों किया कि इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आप पहले बोल दीजिये। फिर ये बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष व्यवस्था करेंगे तो फिर इसका भगवान ही मालिक है।

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत बयान कर रहे हैं। मैंने 24 घंटे पहले दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले प्रस्ताव मेरा है या माननीय दूलाराम जी का है। इसके पहले किसी का नहीं है। आपने वहां जाकर क्या दिया है, कौनसा दिया है इसकी जानकारी यहां नहीं है। स्थिति स्पष्ट कर दीजिये। मेरे सिवाय या श्री दूलारामजी के सिवाय किसी का· · ·

श्री मदनसिंह दांता : पूरी सूची को देखेंगे। इसलिये इन बातों को छोड़िये। जैसी अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दे दी है।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : कल आपका ले लेंगे।

श्री दूलाराम : 3 अक्टूबर को राजस्थान में सी. आई. ए. की सबसे बड़ी एजेन्सी माननीय मुख्य मंत्री के साथ अन्त्योदय परिवारों के सदस्यों को क्या देने आई, क्या सहायता दी यह तो ज्ञान नहीं है लेकिन· · ·

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आपने सारे देश को चीन के हाथों में बेच दिया है। 12000 किलोमीटर देश की भूमि आज उनके कब्जे में है।

श्री नूरा : आपको वापस लेने से कौन रोकता है। आप ले लें उसको।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कांग्रेस की नाक कट गई तो क्या आप भी अपनी नाक कटवायेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हम बिल्कुल नहीं कटायेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह नाक कट गई है।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत उतावले हैं। जो आया था वह हिन्दुस्तान की सरकार का महमान था। आपकी सरकार का महमान नहीं था। आप, माननीय अध्यक्ष, सरकारी पक्ष को सलाह दें कि हमारी बात को सुनें। अगर कोई माननीय सदस्य हमारी बात का प्रति

(श्री दूलाराम)

वाद करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर इस तरह से हिन्दुस्तान की इज्जत को बेचेंगे तो हम भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, हमको भी पूर्ण अधिकार है कि गलत कामों का भण्डाफोड़ करें। यह हमको राइट है, पहले भी विधान सभा में ऐसा हुआ है।

श्री रतनलाल वर्मा : आप तो अपनी बात कहें।

श्री दूलाराम : आप सुनिये।

मान्यवर, सन् 1970 में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाते हुए याह्या खां के सामने औरतों का नाच करवाया गया तो उसकी चर्चा हुई थी। इसी तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मेकनमारा के सामने हमारी बच्चियों को और गरीबों को नाचने के लिए बुलाया जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। उस वक्त आप कहां गये थे जब आपके साथी इस तरह से हमारे देश की औरतों को और बच्चियों को नचवा रहे थे? माननीय सदस्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह सी. आई. ए है और अमेरिका है। आप यह देखिये कि हम किससे मदद मांग रहे हैं, हमारा कौन हितैषी है। हम कहीं भी जा सकते हैं और जाकर देश को बेच सकते हैं। मगर हमारा दल या कोई भी समाजवादी दल, जो समाजवाद में विश्वास करता है, इस तरह से नाक रगड़कर मेकनमारा को बुलाकर खड़ा नहीं करेगा। मेकनमारा हिन्दुस्तान में कई दफा आया है। आपने उन गरीबों को मोल नहीं ले लिया है। आप उनको दान नहीं दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं और कर्जा तो बैंक का मैनेजर भी दे सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इतना बड़ा अपराध किया है और अफसोस इस बात का है कि उसके लिए भी आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं। यह शर्म आने की बात है। उनको भूखों मरने दें। मुख्य मंत्री जी ने ऐसा काम किया है जिससे देश का सिर नीचा हुआ है। आपको अगर शर्म आती है तो इधर आकर बैठ जाइये। हम आपका स्वागत करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं कांग्रेस का पक्ष लेने से कांग्रेसी नहीं हूं उनका घोर विरोधी हूं।

श्री दूलाराम : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अन्त्योदय योजना में ऋण बंटवाया है। यह अन्त्योदय योजना में अनुदान नहीं था। मेकनमारा ने कोई दान नहीं दिया था। यह हिन्दुस्तान का पैसा है और बैंक का पैसा है जो कि गरीबों को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, वह उन पर कोई महरबानी नही है। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसने राजस्थान की 3 करोड़ जनता की नाक कटवायी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 अक्टूबर को दिन के ढाई बजे दूदू में जो कुछ समारोह हुआ उसकी हिन्दुस्तान के करीब करीब सभी पत्रों ने खबर छापी है। उसको पढ़ते हुये मेरी खुद की गर्दन नीचे होती है, और राजस्थान के

Page No 46

(46)

(श्री मूलचन्द डागा)

किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति की गर्दन नीचे होगी। हिन्दुस्तान के पेट्रीइट के फन्ट पेज पर यह लिखा गया है--

"Shekhawat looks on as villagers touch Bundy's feet."

मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है इसलिये इतना ही कहूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हैड लाइन ही पढ़ दें।

श्री मूलचन्द डागा : स्टेट्समैन के अन्दर जो निकला है उसको पढ़ने के बाद . . .

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह अखबारों की बात बता रहे हैं। यह बिल्कुल सच बात है। मेरे पास 200 आदमी आये थे उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा जलील काम राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बच्चियां . . . .

श्री मूलचन्द डागा : Sir, I am in possession of the floor

श्री रामनारायण चौधरी : . . . पैरों पर पड़े। आप अखबारों से साबित कर रहे हैं। मेरे पास जो सूचना है वह राजस्थान के पांच हजार आदमियों ने देखा, उन्होंने कहा है। अखबारों में तो खबर बाद में छपी है। यह वाकई हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। इसके लिए राजस्थान सरकार की भर्त्सना करनी चाहिए। मान्यवर, आप व्यवस्था दें कि वह शर्म करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है कि माननीय रामनारायण जी डागा साहब को डांटने की बात करें। आपको विरोधी दल के भूतपूर्व नेता श्री परसराम जी मदेरणा का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। यह क्या अच्छी बात है कि विधान सभा के विरोधी दल के नेता दूसरे दल के नेता को इस प्रकार से डांटें। रामनारायण जी, मैं तो छोटा आदमी हूँ कहीं छोटे मुंह बड़ी बात न हो जाय। आप कृपा कर अपने से पूर्व के नेता श्री परसराम जी के पदचिन्हों पर चलें और उनसे कुछ सीखें। अभी तक इस प्रकार का दृश्य कभी परसराम जी ने उपस्थित नहीं किया कि किसी वयोवृद्ध नेता को इस प्रकार से डांटा हो।

श्री अध्यक्ष : क्या केम्बी काम्बो की बात वाजिब है ?

श्री शंकरलाल : यह रामनारायण जी और डागा जी के बीच की बात हो सकती है पार्टियों के बीच की नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। उन्होंने कुछ कह दिया। प्रक्रिया के जो नियम हैं उन नियमों में साफ है। इनके पास तो 220 आदमी ही आये थे लेकिन अखबारों के जरिये से यह करोड़ों आदमियों के पास खबर पहुंची है। मैंने अखबार की बात इसीलिए बताई थी। 200 आदमी आपकी सेवा में आये और आपसे बात की लेकिन हिन्दुस्तान के एक-एक कोने में यह अखबार गये हैं।

यह सवाल राजस्थान का ही नहीं है हिन्दुस्तान की 63 करोड़ जनता का सवाल है। मैंने एक पेपर आपके सामने कोट किया है। स्टेट्समैन के अन्दर जो निकला है वह इस

(श्री मूलचन्द डागा)

तरह से है : "People touched the feet of Mr. Bundy before accepting the cheques."

मैं इसके डिटेल्स तो फिर बताऊंगा। राजस्थान के जो समाचार पत्र हैं उनमें से नवज्योति अखबार में यह लिखा है "विदेशी धन्ना सेठों के सामने गरीबों का मखौल उड़ाया गया है।"

श्रीमान, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे किसी मन्दिर के सामने जब कोई रोटी देता है, गरीबों की कतार लगाई जाती है, उसी प्रकार से सारे गरीब परिवारों को बुलाकर कतार में लगाया गया है। उनका उस समय क्या हाल था ? फटे पुराने कपड़ों में थे या किसी के बदन पर कपड़ा ही नहीं था। उनको कतार में बैठाने के बाद, यह दृश्य टी. वी. में दिखाया गया है। टी. वी. के द्वारा और समाचार पत्रों द्वारा यह सब जो कुछ भी हुआ है, वह दिखाया गया है और उसका प्रचार किया गया है जब कि उन परिवारों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हर एक यह कह सकता है कि आपको सहायता दे सकते हैं। लेकिन वह सम्मान के साथ ले याचना के रूप में नहीं। वह अपना सम्मान खोकर भिखारियों के रूप में कतार में खड़े हुए थे। मुख्य मंत्री महोदय मौन खड़े थे। राजस्थान की परम्परा और स्वाभिमान का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, यह कोई छोटी सी घटना नहीं है। अमेरिका में एक चप्पल या जूती का नाप लिया गया था। दिल्ली की पार्लियामेण्ट में उसकी चर्चा हुई थी। हमारे नेता ने कहा, ब्याज हम देंगे। 200 करोड़ की योजना हम पूरी करेंगे। लोन की सुविधा विश्व बैंक देगा। यह सभी संस्थायें होती हैं उनका अपना आर्गेनाइजेशन है। वह किसी स्कीम को लागू करते हैं तो वह अपनी भी मंशा को मनवाते हैं। उनकी बात नहीं मानते हैं तो वह स्कीम को लागू नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो हिन्दुस्तान में राजनीति आई है, जो हिन्दुस्तान में राज आया है, उसने अपना स्वाभिमान बनाया है। लेकिन आज आपने अन्त्योदय योजना में उस स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया है। यह अपमान है, क्या इसे हमें सह लेना है ? आपने यह अपमान सह लिया है। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि उस समय लोग कतार में खड़े हुए थे। अन्त्योदय लोगों के सारे परिवारों को बुलाया गया था जब कि उनके परिवारों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अखबार में यह लिखा है, अन्त्योदय परिवार के लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर आये थे।

(व्यवधान)

आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो भाटी हैं सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। आपने तो राजस्थान की शान रखी है।

मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको यह मालूम है, जो अमेरिका का आदमी है, वही वर्ल्ड बैंक का प्रेसीडेण्ट बनता है। वेस्टर्न कण्ट्रीज का कौन बनता है, समझते हैं। सारे देशों को सी.आई.ए. की एजेन्सी के द्वारा वह कण्ट्रोल करते हैं। राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क विभाग के द्वारा बुलेटिन निकाला गया। उसमें कहा है कि 200 करोड़ रुपया बाहर से आयेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

वह हमको लोन देंगे हम उसका ब्याज चुकायेंगे। हम उनसे मदद लेंगे । यह हिन्दुस्तान की नीति है । यह हिन्दुस्तान का स्वाभिमान है। क्या लोन के लिए हम अपने स्वाभिमान को बेच देंगे ? क्या नेता महोदय को गरीबों की इज्जत बेचनी है ? क्या यह हमको सहन करना चाहिए ? यह हाउस में हुआ है। इसलिए, श्रीमान, मुझे इतना ही कहना है कि किसी स्कीम में किसी आर्गेनाइजेशन से लोन ले सकते हैं। लेकिन आप यह बतायें कि किस काम की योजना है और कितना लोन लिया जाएगा ? होगा वही जो उनको मान्य होगा। आप में साधन जुटाने की ताकत नहीं है। पूंजीपतियों से आप ले नहीं सकते हैं। उलटे सरकार पूंजीपतियों को मदद देना चाहती है। आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे।

(व्यवधान)

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस स्कीम की पूरी बात हमारे सामने रखें। जब यह असेम्बली उसे पास कर दे कि लोन इस स्तर पर लिया जाये, तब लोन लिया जाये, अन्यथा मैं यह समझूंगा कि एक पर्टीक्यूलर कण्ट्री हिन्दुस्तान को नचायेगा। यह हिन्दुस्तान की शान के खिलाफ है। यह राजस्थान के गौरव, मान्यता और परम्परा के खिलाफ है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह इतना इम्पार्टेण्ट इश्यू है, मैं निवेदन करूंगा'''

श्री मदनसिंह दांता : मेरा स्थगन प्रस्ताव जिन लोगों के बारे में है, वह आज सुबह से बैठे हुए हैं। इसलिए मैं पहले अपने स्थगन प्रस्ताव की चर्चा करना चाहूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता और दो अन्य माननीय सदस्यों ने हाउस में जो 2 अक्टूबर को अन्त्योदय के सम्बन्ध में कार्यक्रम हुआ उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि मिस्टर बण्डी सी. आई. ए. के एजेण्ट थे। सारे घटना क्रम के बारे में अपना रोष प्रकट किया। इसमें कई प्रश्न उठाये गये। एक आपने यह प्रश्न उठाया कि माननीय मुख्य मंत्री की मौजूदगी में श्री बण्डी के पैर छुये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्षता में, मौजूदगी में नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपने हिन्दुस्तान के स्वाभिमान को झुकाने की बात बताई। माननीय श्री डागा जी ने देश का स्वाभिमान खोकर कर्जा लेने वाली बात बताई है। जहां तक सी. आई. ए. का प्रश्न है, मैं विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा'''

(व्यवधान)

आप तसल्ली से मेरी बात सुन लें। यह सभी को मालूम है कि हिन्दुस्तान के हिमालय पर सी. आई. ए. के एजेन्टों ने आपके शासन काल में यन्त्र रखे थे जो इस देश की जनता के लिए भयावह हो सकते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके काल में जो हुआ है, उसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हर चीज का उत्तर दूंगा । आप तसल्ली रखिये ।

(व्यवधान)

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो लिंक हाउस बने हुए हैं जहां 'नेशनल हेराल्ड' और उसके आफिस हैं वहीं पर आई. बी. एम. का आफिस है । उस आई. बी. एम. का सीधा सम्बन्ध सी. आई. ए. से है । उस बिल्डिंग का सारा पैसा वहां से आया है । आज ये बढ़-बढ़कर सी. आई. ए. को गालियां देते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि आप इस सम्बन्ध मे जांच करवा लें, सी. आई. ए. को प्रोत्साहन आपके दल ने और आपके नेताओं ने दिया है ।

जहां तक 3 तारीख की घटना का प्रश्न है मैं निवेदन करूं कि तीन तारीख की घटना के दिन वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई थी । मैंने उनके कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा है । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने किसी को दिया है किसी से कुछ लिया नहीं है । गरीबी को हटाने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास है जो इस देश मे चल रहा है । आपने जिस गरीबी की रेखा को तीस वर्षों के शासन काल में इतना लम्बा कर दिया, समूचे देश को कर्जे से लाद दिया उससे बचाने के लिए, उस रेखा से ऊपर उठाने के लिये जनता सरकार ने कदम बढ़ाया है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई माणक चौक का भाषण नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, जब सम्माननीय मन्त्री महोदय जवाब देते हैं तब विरोधी पक्ष के लोगों को शान्ति से सुनना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्परा के विपरीत है । मन्त्री महोदय अपने महत्वपूर्ण विचार रख रहे हैं और विरोधी पक्ष की ओर से जो व्यवधान हो रहा है यह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है । इसलिए विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी व्यवधान डाले तो उसको सदन से बाहर निकाल दिया जाय ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं मैं उस समारोह में मौजूद था । आज के दिन कांग्रेस सरकार का दिया हुआ हिन्दुस्तान के ऊपर 18 हजार करोड़ का कर्जा है, यह हम लोगों ने नहीं किया है । आपके कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने संजय गांधी के चरण छुए हैं । राजस्थान के एक मुख्य मंत्री की, मुझे मालूम है, लालबहादुर शास्त्री के चरण छूते वक्त धोती की लांग खुल गई । इस तरह से आपने यह परम्परा डाल रखी है ।

(व्यवधान)

लांग खुल गई, लांग ।

(व्यवधान)

मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, यह बात सही है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह कांग्रेस द्वारा परम्परा डाली गई है, यू. पी. के मुख्य मंत्री और यहां के मुख्य मंत्री ने भी संजय गांधी के चरण छुए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री बाऊदयाल जोशी : संजय गांधी जैसे भ्रष्ट आदमी के पैर छुये---

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। पहले से यह गलत परम्परा पड़ गई है कि इनको जवाब देने के लिये खड़ा कर दिया। मैं जब से कह रहा हूं कि टैम्पो वाले सुबह से बाहर खड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। क्या भैरोंसिंह शेखावत ने ऐसा कोई काम किया कि जनता इनके पैर छुए। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। जोशी जी जहां भी जाते थे वहां जनता पैर पकड़ती थी, जयपुर दरबार जाते थे तब भी पैर पकड़ती थी, ठाकुर मदनसिंह जाते तब भी यह होता था। तीस वर्षों से आप मर रहे थे क्या ? राजस्थान की जनता को आपने यह नई तालीम दी है। अगर भैरोंसिंह शेखावत के लिए किसी ने कहा तो यह लज्जा की बात है कि हमारी माता और बहनें चरण छूती हैं, आप भैरोंसिंह के पीछे पड़ रहे हैं, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र ही इस प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, सी आई. ए. का एजेन्ट कौन है और कौन नहीं, इस विवाद में मैं अधिक नहीं जाना चाहता लेकिन मै लोक सभा के एक प्रकरण की याद दिलाना चाहता हूं जब कि कांग्रेस शासन में वाइस-आफ-अमेरिका को इस देश की धरती से रेडियो-ब्राडकास्टिंग करने की इजाजत दी। राम-मनोहर लोहिया ने इसका विरोध किया था। जो लोग इस देश की धरती का इतना भी सम्मान नही करें और विदेशी एजेन्सी को यह अधिकार दे दें कि इस देश की धरती से वे जो कहना चाहें कहें और फिर बात करें कि इस देश का स्वाभिमान खो दिया, तो यह उनको अधिकार नहीं है।

रहा सवाल चरण छूने का तो सारे के सारे समारोह में मैं मौजूद था, माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे, जो चरण छू रहे थे उनको मना किया। उस समारोह में यह कहा गया, बण्डी साहब और मेकनमारा का स्वागत करते हुए कि हम दया की भीख नहीं मांगते लेकिन अगर विश्व में शांति कायम करनी है तो समृद्ध देशों को विकासशील देशों की गरीबी मिटाने में हाथ बंटाना होगा, यह मानवता का तकाजा है। माननीय मुख्य मन्त्री वहां मौजूद थे।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : Shame for you

श्री मूलचन्द डागा : Admitted the whole fact,

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं भी मौजूद था, हम दोनों मौजूद थे, जो चरण छू रहे थे उनको मना किया लेकिन जैसी पहले की परम्परा पड़ी हुई है बहुत से लोगों को आदत पड़ी हुई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज दरअसल विरोधी दल के नेता को दर्द यह नहीं है कि तीन तारीख की घटना के अन्दर, तीन तारीख के कार्यक्रम के अन्दर बन्डी और मेकनमारा साहब क्यों आए। उनको दर्द यह हो रहा है कि इस देश से गरीबी क्यों भाग रही है? कांग्रेस का सदा सदा के लिए मुंह काला हो रहा है। इसलिए हर तरह से अन्त्योदय योजना को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार की आए दिन चर्चा उठाते रहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम पर बहस करें, हमने दिया है, किसी से लिया नहीं। हमने ढोंग नहीं रचाया, हमने वास्तविक रूप से गरीबी मिटाने के लिये अभियान चलाया है और इसकी 15 तारीख से पुनरावृत्ति हो रही है।

जहां तक देश के स्वाभिमान की बात आप करते हैं, आप चाऊ-एन-लाई के सामने झुक गए, हिन्दुस्तान की धरती पर से आपने उनको उड़ने की इजाजत दी रूस जाने की जब कि छोटा रास्ता दूसरा था। आपके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, कांग्रेसी प्रधान मन्त्री कटोरा लेकर दुनियां के छोटे छोटे देशों जैसे नार्वे, स्वीडन से भीख मांगते फिरे हैं। हम भीख नहीं मांगते। हम समृद्धशाली देशों को इस बात से सजग करना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से यदि शांति कायम करनी है तो समानता के आधार पर करें। समानता तब आएगी जब समृद्धशाली देश अपने धन का बंटवारा दूसरे देशों के साथ करें।

जहां तक पानी के लिए 200 करोड़ रु. लेने का सवाल है, पिछली सरकार ने 18 हजार करोड़ कर्जा लिया। आज कौनसा बच्चा पैदा होता है जिस पर विदेशी कर्जे का भार नहीं? आपने पानी की समस्या को नहीं सुलझाया। कहीं दो करोड़ का खर्चा दिखाया, 10 लाख तो खर्चा हुआ बाकी एक करोड़ 90 लाख कहां गए?

श्री मदनसिह दांता; इन्होंने रुपए खाए हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कम से कम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा, इस देश की धरती पर जो बच्चा पैदा होता है उस पर भारी विदेशी कर्जा होता है, क्या इस कर्जे के निवारण के लिए ही शाह आफ ईरान को राजस्थान का हवाई दौरा करवाया और कोई अनुबन्ध किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपका मतलब नहीं समझा।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा मतलब केवल तीन तारीख की घटना से है।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को मेकनमारा व फोर्ड फाउण्डेशन के अध्यक्ष टूडू में थे, उससे एक दिन पूर्व दि. 2-10-78 को दोपहर बाद से दि. 3-10-78 के दोपहर तक ये महानुभाव ग्राम तिलोनिया स्थित

(श्री करतार सिंह)

समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक प्राइवेट संस्थान में रुके। उन्होंने रात्रि विश्राम भी वहीं किया। मैं स्वयं उस ग्राम का निवासी हूं तथा उस क्षेत्र का विधायक भी हूं। ये महानुभाव उस ग्राम में 24 घण्टे रहे जब कि राज्य सरकार को उन्होंने केवल तीन घण्टे का ही समय दिया। आखिर उस ग्राम में 24 घण्टे ठहरने के पीछे क्या रहस्य है? अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं दूसरी आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से पुलिस को वायरलेस मैसेज दिया गया कि इनके लिए डिस्टिंग्विस वी. आई. पी. की तरह ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाए। राजस्थान की पुलिस जब वहां पहुंची तो उस संस्था के निदेशक ने सम्भव है कि मैक्नमारा की राय से या फोर्ड फाउण्डेशन के अध्यक्ष मि. बण्डी की राय से राजस्थान पुलिस को वहां उस संस्था के प्रांगण में घुसने तक नहीं दिया और पत्रकारों को भी नहीं बुलाया गया, इसके पीछे क्या रहस्य था? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिये कि इसकी जांच करे कि अजमेर जिले के तिलोनिया ग्राम में समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था सी. आई. ए. के एजेन्ट के रूप में कार्यरत है।

श्री मूलचन्द डागा : Fine. Fine. एक नई बात सामने आई है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई नई बात सामने नहीं आई है।

श्री मूलचन्द डागा : Shame for you all. You have no right to speak उनके प्रश्न का उत्तर दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्षजी, विचार विमर्श के दौरान कुछ ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के विषय में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो राष्ट्रीय हित के विपरीत हैं। इसलिए विदेशों के संबंध में कही हुई ऐसी बातें रिकार्ड से निकाल दी जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कई बातें उठाई हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपने जो बातें कहीं उनका जवाब मैंने दिया।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यही विषय रह गया है क्या आज के लिए?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति बहुत ही अनुग्रहीत हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मंत्रीजी ने खड़े होकर इस सारी घटना की उपेक्षा की है, राजस्थान की जनता के स्वाभिमान को धक्का पहुंचाया है, हमारी माताओं व बच्चों को फोर्ड फाउण्डेशन के चेयरमैन बंडी के आगे झुकाया है···

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सरकार को राजस्थान की तीन करोड़ जनता के

(श्री रामनारायण चौधरी)
नाम पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरी बात नहीं है। आज देश के प्रधान मंत्री देश के एक राजदूत को कार्टर की मां के पैरों में डाल रहे हैं और राजस्थान में मुख्य मंत्री....

(व्यवधान)

सी. आई. ए. और फोर्ड फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री बण्डी के पैरों में डाल रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : बिल्कुल गलत है। यह सब झूठी बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आज तक ऐसी बात हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। मैं इस घटना और राजस्थान और भारत की जनता के स्वाभिमान के खिलाफ जो कुछ किया गया है इसके विरोध स्वरूप अपने दल के साथियों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : देश को लूट लूट कर खाने वाले बाहर जा रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह महत्व-पूर्ण सवाल है। जब मंत्री महोदय ने जवाब दिया है तो मैं भी दो मिनट में अपने विचार रखना चाहता हूं।

मुझे बड़ी हैरानी है, एक नाक कटा दूसरे नाक कटे से कहे कि तेरी नाक ठीक नहीं है। यह अच्छा काम नहीं हुआ, मेकन-मारा को ले जाना और वहां पर उनके सामने हमारी गरीबी का प्रदर्शन करना. यह निहायत ही गलत काम है। यह नहीं होना चाहिये। यह हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : पैसों के लिए मत झुको। भूखे बच्चों को सामने ले जाते हो, आपको डूब मरना चाहिए। तुम्हें राज करने का कोई हक नहीं है। विदेशियों के सामने गरीबों को ले जाते हो।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अगर यही हालत रही तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे। इस तरह की परिपाटी सत्ता पक्ष हमारे आगे रखेंगे तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : आप मंत्री को सुनते नहीं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : जमूरे बैठ जाओ। बार बार बीच में क्यों बोलते हो।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के लिए जमूरे शब्द का प्रयोग किया गया है यह असंसदीय शब्द

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
है इसलिए इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान के विकास की योजना आये और इस तरह से विदेशी मेहमानों को बुलाकर अपमान किया जावे यह नाकाबिले बरदाश्त है। आज रूस···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें तब बोलने दिया जायेगा वरना वह नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर जमूरा शब्द असंसदीय है। तो यह चीन के चमचे आ गये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बहुत चर्चा हो गयी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मै सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ···

(व्यवधान)

श्री नूरा : एक तो किसी को बोलने नहीं देते हो और ऊपर से डाटी पिलाते हो।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री श्योपतसिंह जी ने मुझे 'जमूरा' शब्द कहा, जब कि मैं खड़ा हुआ। मैं जवान मूंछों वाला हूं इनकी तरह साफ नहीं हूं। यह अपने शब्द वापस लें उसके बाद ही इनको बोलने दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 'जमूरा' शब्द का अर्थ क्या होता है यह भी बताइये।

श्री गुल मोहम्मद : व्यवस्था के प्रश्न पर कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : विरोधी पक्ष के सदस्यों को शालीनता का परिचय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब इतनी स्टीम तो निकल गयी, अब जरा शान्त होना चाहिए। अगर माननीय सदस्य कोई खड़े होकर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। आगर पाइन्ट आफ आर्डर पर ही आप दस-बीस बातों को बिलकुल समाप्त कर दें, कोई सुने ही नहीं तो यह सदन की परम्परा के लिए अशोभनीय है। माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह जी पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। अब पाइन्ट आफ आर्डर है या नहीं है इसका भी सदन निर्णय करेगा, आसन भी निर्णय करेगा। आपको पाइन्ट आफ आर्डर उठाना है तो माननीय सदस्य उठायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइन्ट आफ आर्डर इसलिए उठाया था कि जब एक ऐसा विषय आ गया और सरकार की तरफ से उसका रिप्लाई आया है तो एक दल का सदस्य होने के नाते मैं भी अपनी दो बात कहना चाहता हूं। किसी के बीच में इन्टर-वीन नहीं करता। मैं बड़े आराम से सुनता हूं। अगर मुझे दो शब्द नहीं कहने दिया जायेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री कौशल किशोर जैन : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह सदन के समय की बरबादी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप ठंडा पानी पीओ।

मेरे पाइन्ट आफ आर्डर का मतलब है कि स्थगन प्रस्ताव पर हम लोग नहीं बोल सकते, अगर सरकार रिप्लाई नहीं दे। जब सरकार रिप्लाई देती है तो आटोमेटीकली महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है और बाकी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं · · ·

श्री रतनलाल वर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर के अन्दर जमूरा शब्द कहां लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर तो नहीं है लेकिन प्रोसीजर भी एक चीज होती है। शासन पक्ष ने विरोधी पक्ष की बात बिलकुल शांति के साथ सुनी। सरकार का उत्तर आया तो इधर से व्यवधान होने लगा शासन की बात भी कोई सुनने के लिये तैयार नहीं · · ·

कई माननीय सदस्य : हम सब तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अगर चलानी हो। पाइन्ट ऑफ आर्डर एक मिनट के लिये उठायें। अगर पाइन्ट ऑफ आर्डर है तो मैं आपको कहूंगा पाइन्ट ऑफ आर्डर एक्सेप्ट करता हूं नहीं है तो रूल आउट कर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : Ladies first.

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्योपतसिंहजी ने जो जमूरा शब्द कहा वह वे वापस लें। असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको बाध्य किया जाये, ये शब्द वापस लें। इन्होंने जमूरा कैसे कहा।

श्री गुल मोहम्मद : आप देखें कि यह शब्द असंसदीय है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग को देख कर अगर असंसदीय शब्द है तो मैं इसको निकाल दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : असंसदीय शब्दों को तो आप निकाल देंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से सदन की अवहेलना कर रहे हैं, उसका क्या होगा। आप संसदीय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कार्य मंत्री को देखिये तो सही किस तरह बैठे हैं। क्या मंत्री जी को संसदीय शिष्टाचार, व्यवहार एवं नियमों का कोई ज्ञान नहीं है ? यदि नहीं, तो इन्हें अवगत कराया जावे।

श्री रामकरण सिंह : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किस तरह से बैठे हैं। वे बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक मिनट के लिये बात कह रहा हूं। यह जो सवाल उठाया यह बहुत गम्भीर सवाल है। इसका ताल्लुक स्वाभिमान से पड़ता है...

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। यह एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह सोच रहा था आपने मुझे टाइम दे दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी का पाइन्ट आफ आर्डर यह है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य खड़ा होता है वही पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज कर सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब स्थगन प्रस्ताव का जवाब सरकार की तरफ से आया तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर दूसरे दल के लोग, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा है, भी अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। यह अधिकार हमें मिलना चाहिये। इसीलिए मैंने कहा था दो मिनट मुझे मिलने चाहिये। अब सारा सदन इसमें इन्वाल्व हो गया। इसलिये मैं चाहता था कि मुझे दो मिनट का समय दिया जावे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर मैंने एक एडजार्नमेंट मोशन दिया। मान्यवर, आप भी इधर बिराजे हुए हैं। हमने प्रश्न किया उसका सरकार ने ऐसा उत्तर दिया जिससे कई चीज पैदा हो गईं, उदाहरण के तौर पर चाऊ एन लाई का प्रश्न आ गया। मान्यवर, कई और चीज पैदा हो गईं।

श्री मदनसिंह दांता : आपने प्रश्न ही ऐसा पैदा किया...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार ने उत्तर दिया उसके बाद विपक्ष के लोगों को उससे सम्बन्धित कोई क्वेश्चन या जानकारी करने का अधिकार है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : है, लेकिन कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने यह निर्णय लिया था कि जीरो आवर 2 बजे के बाद समाप्त होगा। 5 मिनट ऊपर हो गये हैं, कृपया अब चर्चा समाप्त करें ताकि सदन की कार्यवाही आगे चल सके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके निर्णय के लिए आभारी हूं। मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स को फिर सुना दीजिए ताकि उनको ध्यान रहे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस सवाल...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया, आपने इजाजत दे दी।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव के बाद सरकार रिप्लाई दे, उसके बाद हमारे विरोधी पक्ष के लोगों की फीलिंग्स को नहीं सुनें तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन आपको कद्र करनी चाहिए। हमारी पार्टी छोटी है। हम छोटे गरीब लोग हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुमत के आधार पर...

(व्यवधान)

यह हमारे साथ अन्याय है, ऐसा हम महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता। आपको मौका देंगे। आपकी बात बराबर सुनूंगा और आपको मौका दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक मिनट में बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता, इलस्ट्रेशन के रूप में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह टाइम सत्ता पक्ष ने बरबाद किया है इस हाउस का। इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो इनको पसन्द आये वे तो यह सुनेंगे जो पसन्द नहीं आवे, नहीं सुनें, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा टाइम इन्होंने बरबाद किया है, यह इनकी जिम्मेदारी है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : इस तरह तो, अध्यक्ष महोदय, हम भी जोर से बोल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम चाहते हैं आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के लिए बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलने देना चाहते हैं तो आपका अधिकार है। लेकिन मैं कहता हूं इनकी बात सुनिये ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेकनमारा हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी ये आये थे और राजस्थान कैनाल पर गये थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इनका स्वागत किया था, तिलक लगाया था और साफे बान्धे थे तो आज यह कोई नई बात नहीं है। देश के स्वाभिमान के लिए उस समय भी घातक था और आज भी घातक है। आज कहते हैं

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

गरीबों को पैर पर डाला गया है लेकिन मैं कहता हूं हमने अमेरिका से जो ज्वार ली उसको अमेरिका ने सूअर खाते में डाली है उस समय कहां गया था हमारा स्वाभिमान ? उस समय चीन में चाऊ एन लाई थे और आपने कहा था चाऊ के पास कहां जा रहे हैं ? और अब क्वांग के पास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं। आप एक तरफ जनता पार्टी में बैठे हैं और दूसरी तरफ देश का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप में ताकत है तो पकड़िये, इस तरह क्यों जलील करते हैं देश की जनता को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही बात कहते हुये कि एक की नाक कट गई तो दूसरे की भी नाक कटे कहना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : एक मिनट मैं भी बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय। आप हुकुम देंगे तो बोलूंगा और नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो यह सवाल उठाया माननीय सदस्य किशनगढ़ से आने वाले श्री करतार सिंह जी ने·····

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह किस मोशन पर बहस हो रही है ? आप डिसअलाऊ कीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी है कि जीरो आवर खतम हो गया है। अब बिजनेस शुरू किया जाय।

(व्यवधान)

श्री नूरा : हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप सुनना नहीं चाहते हैं।

विधि मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं जिस तरह सी. आई. ए. का जाल पहले बिछा था उससे ज्यादा जाल अब बिछा रहे हैं। आज हमें कोई भिक्षा दी जा रही हो, ऐसी बात नहीं है, कर्जा मिल रहा है और उस कर्जे के पीछे ही यह बात हो रही है। सी. आई. ए. किस तरह का जाल बिछा रहा है, यह बात कहते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग हमको बोलने नहीं देते हैं। मैं कहता हूं चाहे कांग्रेस शासन ने धोखा खाया हो लेकिन आप तो उससे सावधान रहिये····

(व्यवधान)

आपको तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब आप कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टेम्पो वालों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री भंवर लाल शर्मा : (शिक्षा मंत्री) : रोज शिक्षा देते हैं हमको और आज आप ही उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री मदन सिंह दांता : इसको तो आपके मंत्रियों ने ही तोड़ दिया। और कइयों ने तोड़ दिया

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री खेतसिंह को 4 से 10 अक्टूबर, 1978 तक विधान सभा बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री खेतसिंह, सदस्य विधान सभा ने 4 अक्टूबर, 78 से 10 अक्टूबर, 78 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ?

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेषाधिकार का प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी अपने विशेषाधिकार प्रश्न पर कुछ कहें, उससे पूर्व श्रीमान की व्यवस्था चाहता हूं कि जमूरा शब्द, जो असंसदीय है, को कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, प्वाइंट ऑफ आर्डर।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव जो इतने महत्व का है अगर यही हाल रहा तो······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं····

(व्यवधान)

मैं कुछ बोला नहीं हूं। मैं धरना दूंगा। आज पुलिस और उनके बीच में संघर्ष हो रहा था, उसको बचाया है। इन्होंने वायदा किया था और अब मुकर रहे हैं। अभी भी होम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, यह बड़ी शर्म की बात है। हमें बीच में पटक कर अब इस तरह करते है।

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : आपको इस सम्बन्ध में 4-00 बजे चैम्बर में बुलाया है।

श्री मदनसिंह दांता : टेम्पो वालों से वायदा लिखित में है। अब उनको धोखा दिया जा रहा है। यह क्या जनता पार्टी का राज है। रात को, चौधरी साहब को मालूम है, आपने आफिसर्स को बुलाया था। उन्होंने हां कर लिया तो फिर कौनसी शक्ति है, जो ना करा रही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप चार बजे तक इन्तजार कर लीजिये।

श्री मदन सिंह दांता : ये चार बजे तक नहीं जायेंगे। मैं आज मंत्रियों को नहीं जाने

(श्री मदनसिंह दांता)
दूंगा उधर से भी रोक लूंगा और इधर से भी रोक लूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विवश हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के पहले एक और घोषणा कर दूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

सदन को सूचित करता हूं कि विधि मंत्री जी के प्रस्ताव पर दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1) श्री माणकचन्द सुराणा
(2) श्री परसराम मदेरणा
(3) श्री मथुरादास माथुर
(4) श्री श्योपतसिंह मकासर
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह
(6) श्री हरिसिंह यादव
(7) श्री टीकमचन्द कान्त
(8) श्री मूलचन्द सामरिया
(9) श्री मोहनलाल शर्मा
(10) श्री रघुनन्दन व्यास
(11) श्री किशन सिंह भाटी।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 173 (1) के अन्तर्गत श्री माणकचन्द सुराणा को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं। यह समिति अपना प्रतिवेदन 3 नवम्बर, 1978 तक सदन में प्रस्तुत करेगी।

विशेषाधिकार प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा सैयद मंजूर अली, मेजर फतहसिंह और श्योपत सिंह। विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की...

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में "गांधी के नाम पर" प्रकाशित अग्रलेख

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर, सर। प्रिविलेज मोशन को उठाने की आपने कनसेन्ट दे दी है, हम यह मानकर चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा करने के लिए मैंने अधिकार दिया है। उसके बाद नियमों के अन्तर्गत अगर काफी समर्थन इस प्रस्ताव को प्राप्त होता है तो मैं आगे विचार करूंगा।

श्री भंवर लाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था चाही थी। आपने व्यवस्था अभी तक नहीं दी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपको जमूरा नहीं कहा है भाई।

श्री मंजूरअली : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल यह कहता है कि जब प्रिलिमिनरी तौर पर अध्यक्ष महोदय स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तभी प्रिविलेज मोशन सदन में विचार के लिए सामने आता है। श्री मूलचन्द डागा का नाम आपने अभी यहां पर लिया है बोलने के लिए, इसका मतलब है कि आपकी स्वीकृति प्रदान हो गई। अब अगर इसको

(श्री मंजूर अली)
कोई मैम्बर चेलेंज करें और दो चार मैम्बर बोल कर इसका विरोध करें तभी अन्तिम शक्ल सामने आयेगी, बाकी प्रिलिमिनरी तौर पर तो अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी : We take that your consent is with us.

श्री अध्यक्ष: From primafacie I presume, it is worthy to be brought before the House and therefore I allowed it to be taken up in the ouse.

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं कि आपने विशेषाधिकार के प्रश्न की चर्चा उठाने का मुझे अवसर दिया है· · ·

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ऑन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मदनसिंह दांता : क्या माननीय सदस्य विशेषाधिकार समिति के मैम्बर भी हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मूलन्द डागा : When I have started I may be allowed to complete my version.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामकृष्ण दास का पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमान्, आपकी तरफ से प्रस्ताव पेश करने की स्वीकृति पर अगर कोई मैम्बर एतराज करे तो उसके लिए एक पैरा है· · ·

श्री अध्यक्ष : आगे विषय आ रहा है। यह सदन अवगत हो पहले, उसके बाद कहें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Rule 160 says "The Speaker if he gives consent. . . .

श्री रामनारायण चौधरी : It is given.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I know it. Please hear me.

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. The question of privilege will only arise when the question is put before the House. You are putting the cart before the horse.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था· · ·

श्री अध्यक्ष : It is shear exercise of futality.

श्री रामनारायण चौधरी : Very correct.

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 2 अक्टूबर, 78 के दिन महात्मा गांधी के जन्म दिवस और लालबहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण दैनिक पत्र 'राजस्थान पत्रिका' जो राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, जिसका प्रचार है और जिसे प्रवासी भारतवासी भी पढ़ते हैं उसके अन्दर, उन्होंने एक लेख प्रकाशित

(श्री मूलचन्द डागा)

किया। वह एक प्रकोष्ठ बना कर छापा है, कोष्ठक न्यूज उन्होंने अपने ब्लाक में दी है। यह एक ब्लाक न्यूज बनाई। उस पर हैडिंग है "गांधीजी के नाम पर"...। मालूम था कि 4 अक्टूबर को अधिवेशन है। हमें बुला लिया गया था, आह्वान हो गया था। हमारे सचिवालय से एक हमें निमंत्रण मिला था। जब 2 अक्टूबर को माननीय सदस्य अपने घरों से अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका निभाने के लिए सदन की ओर चले, सदन के प्रांगण मे आना चाहते थे उस समय जान बूझ कर व इरादतन यह लेख प्रकाशित किया। मैं, श्रीमान, ज्यादा समय सदन का लेना नही चाहता। जो उन्होने लेख लिखा, उस पर नाम है, क. च. कुलिश, शायद यह वही है जो कपूरचन्दजी कुलिश कहलाते हैं, उन्होंने यह लेख लिखा:-

"चार हजार से अधिक ये मिथ्याचारी विधायक विधान सभाओं में और लोक सभा में बैठ कर कानून बनाते और शासन चलाते हैं।" मैंने कल हिन्दी की डिक्शनरी देखी और इंगलिश की डिक्शनरी भी देखी। मालूम हुआ कि हम कपटी हैं, छली हैं, मिथ्याचारी हैं, कपट से भरे हुए हैं। पहले तो मेरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को यह कहना है कि जहां विधायक की दो सीट है बस में, वहां पर कपटी और मिथ्याचारी लिखा दें मेहरबानी करके। उन्होंने सारे सदन को मिथ्याचारी कहा और उसके बाद लिख दिया कि इनसे क्या आशा की जा सकती है कि ये कुछ हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। जान बूझ कर व इरादतन यह लिखा है। छोटे मोटे हल्के फुलके तौर पर निकलने वाले पत्र की बात नहीं, बहुत बड़ा पत्र है जिसके अन्दर विद्वान बुद्धिजीवी लोग भी हैं। कभी-कभी बुद्धिजीवी लोग अपना अधिकार मान लेते हैं। लोकतंत्र की मर्यादा कायम रखने के लिए कुछ अधिकार होते हैं। हम अधिकारों की हत्या नहीं करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, अखबारों की स्वतंत्रता रहे लेकिन जब अधिकारों के नाम पर अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे देते हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा। उनका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहता हूं कि उनकी कुछ रेस्पोंसिबिलिटीज हैं। एक आर्टिकल चेम्बर्स रेड्डी का लिखा हुआ है उसकी दो लाइनें अभी मैं आपको सुनाता हूं, 'The press has two main aspects as a part of what is known as the information industry and as a factor in the information of opinion. In both respects, it has to act with responsibility to be effective or reliable."

प्रेस के दो कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य है कि वह सूचना दें। दूसरे जनमत बताने की जिम्मेवारी इनकी है। सारे हिन्दुस्तान के लोगों का मत इसमें बताया गया है कि मोरारजी भाई भी कपटी हैं, माननीय अटलबिहारी वाजपेयी भी कपटी है और मूलचन्द डागा भी कपटी है। अगर इस प्रकार की भाषा को सदन में आने के अवसर पर चार तारीख के दिन अखबार लेकर दस में बैठने के बाद अखबार में मैं पढ़ता हूं तो जनमत यह बनता है कि हिन्दुस्तान की 63 करोड़ जनता या....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि ये लोग मिथ्याचारी हैं, इन मिथ्याचारियों से कोई आशा नहीं की जा सकती। मैं

(श्री मूलचन्द डागा)

नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि इन बुद्धिजीवी, जिन्होंने इस प्रकार का लेख लिखा है, ने सदन की गरिमा पर आघात पहुंचाया है। लोक सभा देश की सर्वोच्च सत्ता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है उसी प्रकार विधान सभा राजस्थान की सुप्रीम बोडी है। जनता की समस्याओं को लेकर जूझने वाले विधायक 18·18 और 19-19 घण्टे तक अपनी सेवाओं को देकर काम करते हैं। राजनीति सेवा का विषय है, यह कोई पेशा नहीं है। राजनीति में जितने काम करने वाले लोग है वह अपनी जिन्दगी को राजनीति में होमते हैं। अपने घर के सुख को छोड़ते हैं और यहां आकर अपना काम करते हैं। लोकतंत्र इनके द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा देश में पनपता है। श्रीमान, सदन की गरिमा कम कर दी जाय, लोगों की नजरों में इसे गिरा दिया जावे तो सदन के सदस्यों के चरित्र की या हमारे जो कुछ भी गौरव हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। लेकिन विधान सभा में, जहां जहां विधान सभाये चलेंगी, विधान सभायें चलती होंगी या पार्लियामेंट चलेगी, मेरी समझ में सारे देश के लोग जहां-जहां पर इस पत्र को पढ़ेंगे, तो इससे हमारे जो विशेषाधिकार हैं, हमारी जो गरिमा है, वह गरिमा खंडित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पर इस सदन की गरिमा कायम रखने की जिम्मेदारी है। आप इसके रक्षक हैं। मैं यह नहीं चाहता कि अखबारों की स्वतन्त्रता का हनन किया जाए लेकिन जब अखबार अपनी मर्यादा को छोड़ दें, अपने कर्त्तव्य को भूल जाएं तो मैं यह भी मानता हूं कि अपमान को सहन करना, अपमान को निगल जाना चरित्र हनन की एक अन्तिम सीमा है। बेइज्जती से जीने के बजाए मर जाना अच्छा है। हम लोगों के सामने इस प्रकार का लेख हैं "गांधीजी के नाम पर" हम विधायक लोग अपने खून का पसीना करके पूरा दिन यहां पर काम करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए यहां पर जूझते हैं। आपस में कुछ कहते हैं और आखिर में किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। कल के दिन एक काला कानून सदन के सामने आया था। सदन ने उस पर काफी वाद-विवाद के बाद एक निर्णय लिया और वह सलेक्ट कमेटी को भेजा गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसने राजस्थान की तीन करोड़ जनता को इस कानून की पेचीदगी समझा दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जनता पार्टी के विधायकों को इस बात के लिए कि वह सलेक्ट कमेटी को रेफर कराया गया। लेकिन यहां पर सदन की गरिमा का सवाल है, यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। सदन के सदस्यों का यह अपमान है क्योंकि सदन के सदस्य को मिथ्याचारी लिखा, "मिथ्याचार और काले धन पर चलने वाला लोकतन्त्र," लिखा है। लिखने वाले बड़े बुद्धिजीवी हैं उनकी बुद्धि को मैं चेलेन्ज नहीं कर सकता। परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं है कि एक एक्ट बना हुआ है जिसके अनुसार हम लोग चुनाव लड़ कर आते हैं, यहां पर ओथ लेते हैं। हमको और हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र को मिथ्याचारी बताया है। आखिर लोकतन्त्र की भी मर्यादाएं हैं। लोकतन्त्र के अन्दर सर्वोच्च सत्ता पार्लियामेन्ट है, विधान सभा है। विधान सभा के माननीय सदस्यों को विशेष सुविधाएं हैं, फिर भी हम नहीं चाहते कि कोर्ट केस हो, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि सदन की गरिमा कायम रहे...

श्री मदनसिंह दांता : यही कारण था कि इन्दिरा गांधी ने इनकी जुबान बन्द कर दी थी ?

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए, श्रीमान, मैं आपको थोड़ी सी ये लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं· · ·

"It is the duty of Parliament to intervene in the case of attacks which may tend to undermine public confidence in and support of the institution of Parliamentr."

हमारी गरिमा को खतम कर दिया है। हमारी मर्यादाओं को खतम् कर दिया है। अखबार वाले हमारे पर अंगुली उठाने लग गये कि ये मिथ्याचारी हैं। अखबार वालों की हम कद्र करते हैं। ये हमारे गुरु हैं, हम को सूचना देते हैं परन्तु हम भी इज्जत और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। लोग केवल पैसे और रोटी के लिए ही नहीं जीना चाहते हैं वे गौरव के साथ जिन्दा रहना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि विधान सभा के सदस्य किस प्रकार से बनते हैं। यह भगवान जानता है कि हजारों लोगों का प्रेम, उनका विश्वास लेकर हम सदस्य बनते हैं। हजारों लोगों का विश्वास अर्जित करके हम यहां पर आते हैं और संविधान की शपथ लेकर यहां पर काम करते हैं 4 अक्टूबर को हमारा सैशन आरम्भ हो रहा था। इसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए मैं आना चाहता था परन्तु इस अखबार का यह लेख पढ़ कर मैं डिमोरेलाइज हो गया। यह मेरे विधान सभा के कार्य में हस्तक्षेप है। दो अक्टूबर के दिन गांधीजी के नाम पर इस प्रकार की हल्की फुल्की बात क. च. कुलिश द्वारा लिखी जाए तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं वे बड़े बुद्धिजीवी हैं, इस अखबार के सम्पादक और अच्छे लेखक भी हैं। क्या वे इस पर आत्म चिन्तन करेंगे ? मैं यह चाहता हूं कि सदन के कटघरे में उनको खड़ा किया जाए और सजा दी जाए यह मेरा सुझाव है। शाम के पांच बजे के पहले पहले, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको वारन्ट इश्यू किया जाए, उनको बुलाया जाए, और कटघरे में खड़ा करके सजा दी जाए। तब ही हिन्दुस्तान के सारे अखबार और लोग कहेंगे कि उस कलम को तोड़ दो जिस कलम से इस प्रकार का लेख लिखा गया है। खतम कर दो उस इंक पाट को वह रोशनाई नहीं चाहिए जिससे इस प्रकार का लेख लिखा गया है। हमारे में कई अच्छे कर्तव्यपरायण, निष्ठावान विधायक हैं जिनके कारण देश ऊंचा होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो रिफ्लेक्शन किया गया है, वह किस पर किया गया है ? इस प्रकार का रिफ्लेक्शन राइट ऑफ स्पीच· ·

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कौनसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह शकधर की किताब है, पेज है 238, सैकिन्ड एडीशन, 1978 · ·

श्री मदनसिंह दांता : आपके सम्बन्ध में भी बहुत बुरी बुरी बातें अखबार वालों ने निकाली है।

श्री मूलचन्द डागा : "Speeches and writings reflecting on the House or its committees or members are punished by the House as a contempt, on the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions."

(श्री मूलचन्द डागा)

उन्होंने यहां तक लिखा है। यह कोई हल्के-फुल्के अखबार वाले नहीं हैं। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह राजस्थान पत्रिका है···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। मैं अनुशासन में रहना चाहता हूं। इसलिए मैं, श्रीमान्···

श्री अध्यक्ष : याद दिलाना चाहता हूं। कभी कभी आप भूल जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मुझे इजाजत दें ताकि सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाए। नियम 167 के अन्दर मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप इसको प्राइमाफेसी केस मानते हुए दोषी लोगों को दण्डित करने की कृपा करेंगे।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय चाहती हूं। मैं यह नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि जिस समय माननीय डागा साहब बोल रहे थे उनके भाषण के बीच में व्यवधान डालकर माननीय सदस्य दांता साहब ने यह फर्माया कि इसीलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमर्जेन्सी में इन पर प्रतिबन्ध लगाया था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं···

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। कोई भी माननीय सदस्य इंगित कर के नहीं कह सकते···

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, श्रीमान्। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि हम सब लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। हम सब अपने कार्य एवं व्यवहार में स्वतन्त्र हैं लेकिन स्वतन्त्रता और निरंकुशता में बहुत अन्तर है। इसके अलावा भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो स्वतन्त्र है, यह नहीं भूलना चाहिए कि उसको अपने देश के संविधान और नियमों के तहत आचरण करना है। वह निरंकुश नहीं है। उसे अपनी मर्यादा के अनुसार नियम और कानून का पालन करना चाहिए। इस प्रकार राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सम्पादकीय में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एम. एल. ए. मिथ्याचारी है और मिथ्याचार पर आधारित यह लोकतन्त्र है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का लेख लिखने वाले के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलना हो तो बोलिये। नहीं तो किसी का विरोध करना हो तो···

श्री मन्जूर अली : जनाब सदरे मोहतरम्, जिस सन्दर्भ में यह लेख लिखा गया है, विधान सभा के तमाम नुमाइन्दों और तमाम पब्लिक के सामने यह बात आई है, यह तमाम पसेमन्जर माननीय डागा जी कह चुके हैं। मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने इतना ही नहीं कहा है विधान सभा और लोकसभा के सदस्यों को, बल्कि आगे वे फर्माते हैं "मिथ्याचार और काले धन पर आधारित यह लोकतन्त्र।" लोकतंत्र जम्हूरियत को मिथ्याचार और कालेधन पर आधारित कहा है। इसके मानी यह हैं कि

(श्री मन्ज़ूर अली)

उन्होंने कांस्टीट्यूशन को भी मिथ्या कहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने तरीका-ए-हुकूमत को क्रिटिमाइज किया है। मैं कहता हूं कि श्राली जनाब कुलिश जी ने कांस्टीट्यूशन को भी गलत कहा है। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि उनका यह कहना है कि यह लोकतन्त्र मिथ्याचार पर आधारित है तो उनका यह बयान, उनकी यह जबान, उनके ये अल्फाज एन्टीनेशनल हैं, काबिले उज्र हैं। उनको एन्टीनेशनल घोषित किया जाय। तमाम विधायक और तमाम लोकसभा के सदस्य इससे मुतास्सिर हुए हैं। उनको इस प्रकार से लफ्फाजिए अधिकार नहीं हैं। वे हिन्दी और उर्दू जबान में मोहज्जब तरीके से एम. एल. ए. और लोकसभा के सदस्यों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें मिथ्याचारी का नाम देने से, मैं पूरे इतमिनान और यकीन के साथ कहता हूं, लोकसभा के सदस्यों और विधायकों के नीचे जो काम करने वाले हैं उनका मोरल डाउन होगा और उनके इस बराहरास्त तबसिरा का असर असेम्बली और लोकसभा के सदस्यों की काबलियत पर भी पडेगा। इससे सब ही मुत्तफिक हैं कि उनके होश-हवास को देखते हुए, तजुर्बे को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए यह विधान सभा और लोकसभा की तौहीन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं समझता हूं कि हम सभी इससे मुताल्लिक हैं। मैं समझता हूं कि इसकी सभी मुखालफत करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं 5 मिनट तक इधर उधर देखूंगा। किसी को विरोध करना हो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जो कहना हो कह सकते हैं। सबकी बात सुनने के पश्चात् मैं इस प्रश्न को सदन के निर्णय हेतु रखूंगा।

मेजर श्री फतहसिंह : मान्यवर, मैं राजस्थान पत्रिका का बहुत लम्बे अर्से से पाठक रहा हूं इसको पढ़ता हूं। सन् 1957 से 62 तक, जब मैं विधान सभा का सदस्य था, बड़ी गम्भीरता और आत्मीयता से इस अखबार को पढ़ा करता था। लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने इस अखबार को पढ़ना बन्द कर दिया। कारण, इसमें एक पक्षीय समाचार छपते हैं। सबके साथ न्याय नहीं होता। 2 अक्टूबर को इस राजस्थान पत्रिका में "गांधी जी के नाम पर" शीर्षक से जो लेख कुलिशजी द्वारा लिखा गया वह किसी माननीय सदस्य ने मुझे बताया। मैंने उसको गम्भीरता से पढ़ा। उसको पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ कि कुलिशजी जैसे विद्वान, बुद्धिमान और अनुभवी जर्नलिस्ट इस तरह की बात लिखते हैं। मुझे दुःख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और मैंने यह अनुभव किया, मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरा अपमान हुआ। फतहसिंह का अपमान नहीं, एक विधायक का अपमान हुआ। इसमें जो आपत्तिजनक है उस पर माननीय डागाजी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। यह सम्पादक महोदय लिखते हैं कि मिथ्याचारी का सबसे बड़ा नमूना यह है कि हरएक विधायक और लोक सभा सदस्य अपने चुनावों में लाखों रुपये खर्च कर चुनाव आयोग को खर्च का झूठा स्टेटमेंट पेश करते हैं। हो सकता है, करते होंगे। लेकिन हर कोई विधायक, एवरीबडी ऐसा करता हो यह

(मेजर श्री फतहसिंह)

बिल्कुल अपमानजनक बात है। आप आगे लिखते हैं कि मिथ्याचारी विधायक विधान सभा में और लोक सभा में बैठकर कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं मिथ्याचारी विधायक, वे विधायक, जिनका आचरण मिथ्याचार पर आधारित है, कानून बनाते हैं। मिथ्याचार और काले धन पर आधारित यह लोकतंत्र कैसे सत्यान्मुख होगा, यह चिन्तनीय है। आप और हम सभी लोक सभा और सारी विधान सभाओं के सदस्य कितने सत्य पर चलने वाले होंगे, यह प्रश्न उन्होंने किया है यानि ये लोग कभी सत्य के पथ पर नहीं जाएंगे, यह उन्होंने निर्णय लिया है। श्रीमान्, मैं समझता हूं माननीय कुलिशजी अपने को तो धर्मराज का अवतार समझते हैं, मानो, सत्य को वे ही कह सकते हैं, और दूसरे नहीं कह सकते। उन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिये इस प्रकार सबके लिये यह कहना कि हर कोई विधायक ऐसा करते हैं, कोई शोभनीय बात नहीं हो सकती। श्रीमान, हम लोग सारी विधान सभाओं के सदस्य और लोक सभा के सदस्य इस लेख से अपमानित हुए हैं। हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। जब प्रतिष्ठा गिरती है तभी न्याय के सामने जाते हैं। जहां तक लोक सभा के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों का प्रश्न है, उनके लिये सर्वोच्च न्यायालय यही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह विधान सभा, यह सदन जो बहुत पवित्र और सर्वोच्च है, इसमें कार्यवाही करे और संपादक श्री कुलिश जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे, उनको सजा दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितना बुद्धिमान और बड़ा व्यक्ति होता है उसको बड़ी सजा मिलती है। अगर एक वकील कोई कानून तोड़ता है तो उसको बड़ी सजा मिलती है....

एक माननीय सदस्य : जैसे बजरंगलाल जी शर्मा।

मेजर श्री फतह सिंह : छोटा आदमी होता है उसको कम सजा मिलती है। सदन आगे कार्यवाही करे, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी मोशन है। यह जो 'मिथ्याचारी' शब्द है यह कोई 3–4 या कुछ लोगों के खिलाफ नहीं है यह हिन्दुस्तान के तमाम जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ है। यह बात वैसे ही नहीं हुई है। लिखने वाला कोई अनजान आदमी नहीं है, लिखने वाला आदमी है सम्पादक कुलिशजी। उनको पत्रकारिता का ज्यादा अनुभव है। मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में साइकल चलाते थे कुलिशजी महाराज। अब देखा है 15-20 साल बाद में तो मर्सीडीज गाड़ी में देखा है। कोई दूसरा व्यक्ति साथ में नहीं था यह अकेले घूम रहे थे। यह तो समझ में आ सकता है कि कोई बुजुर्ग आदमी, जिसका चरित्र हम से ज्यादा पवित्र है, हमारी कमजोरयों के बारे में कहे . . .

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, साइकल पर चलने और मोटर पर चलने से ईमानदारी और बेइमानी का क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : वह बेइमानी का धन है।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : सारे मोटर पर चलने वाले आदमी बेइमान हैं ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : साइकल से जो मर्सीडीज गाड़ी पर जायगा वह हमसे ज्यादा पवित्र नहीं होगा। मैंने व्यक्ति की हैसियत बताई है।

श्री मदन सिंह दांता : सभी पत्रकारों के लिए नहीं कहा है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्टिकल लिखा है यह बहुत ही सोच समझकर लिखा है, गलती से नहीं लिखा है। गलत लिखते ही नहीं कभी कुलिशजी। वह हमेशा ऐसी ही बात लिखते हैं जो ऐसी ही हो। आप उनके इमर्जेन्सी के लेखों को पढ़िये तो पता लगेगा कि वह क्या क्या लिखते थे और किस किस की तारीफ करते थे। आज उनको न जाने क्या शिकायत हो गई है और कहां पर कौन सी ऐसी बात महसूस हो रही है? ऐसे पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। पत्रकार इस तरह से नहीं लिख सकता है। यह पत्रकार का कर्तव्य है कि वह विधान सभा की कार्यवाही की विवेचना करे। विधायकों के कार्य को देखें। हमारी विधान सभा की सारी गतिविधियों को बाहर जनता में बतायें। यह पत्रकार का अधिकार है अगर कोई पत्रकार ऐसा करे। शुक्र है कि व्यभिचारी नहीं लिखा। जो कि पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, उसको, माननीय अध्यक्ष महोदय सजा नहीं दी तो वह कुछ भी कर सकता है। वह किसी के खिलाफ कुछ भी लिख सकता है। हमारे आदरणीय फतहसिंहजी ने बहुत ही ठीक बात कही है कि कोई अनजान गलती करे, कोई छोटा पत्रकार गलती करे, तो समझ में आ सकता है, कोई नया आदमी गलती करे तो समझ में आ सकता है, लेकिन यह आर्टिकल दीदा दानिस्ता लिखा गया है, सोच समझ कर लिखा गया है। बाकी और लोगों ने भी इस बात को महसूस किया है। जिस दिन यह अखबार छपा उस रोज मैं ब्यावर जा रहा था। 3-4 लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कुछ अखबार खरीद लिये। लोगों ने मांगा पढ़ने के लिए तो उनके पढ़ने के बाद मैंने अखबार को पढ़ा तो मुझ से वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। यह चित्रित की है हमारी तस्वीर देश के सामने। यह पत्रकार हमारा इस तरह से शोषण करना चाहते हैं तो हमारा यह कानूनी दायित्व है, इस विधान सभा के सदस्यों का यह दायित्व है कि इस तरह के नापाक पत्रों, जो हमारे समाज पर कलंक बनकर आते हैं, के बारे में व्यवस्था करें। वे हमारी व्यवस्था के बारे में कह सकते हैं हमारी व्यवस्था हो उस पर चोट कर सकते हैं। व्यवस्था पर चोट करते तो समझ में आ सकता था। व्यवस्था को ठीक करने के लिए लिखते तो समझ में आता। हम यह नहीं चाहते हैं कि वह हमारा नाम नहीं लिखें। पत्रकार हमारा नाम लिखें यह सवाल नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि ऐसे पत्र के सम्पादक को कानूनी सजा देनी चाहिए। जो मंत्रिमण्डल के लोग बैठे हैं उनसे कहूंगा कि मिथ्याचारियों में आपका भी नाम है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के जो भी एडवर्टाइजमेंट दिये जाते हैं वह एडवर्टाइजमेंट इसको बन्द होने चाहिए। इसके खिलाफ सजा की कार्यवाही यहां पर निश्चित होनी चाहिए। इसका सोशल बायकाट करना चाहिए ताकि राजस्थान में यह अखबार न बिके। दूसरे अखबारों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें जो किसी की तारीफ न करें, लेकिन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
आम जनता के सवालों को लोगों के सामने पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि इस प्रकार के पत्रकार, जो कलंक हैं, दुबारा नहीं आने चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल संसद या सदन के सदस्य ही नहीं लेकिन जो संसद या सदन को चलाते हैं वह भी लोकसभा और विधान सभा के अन्तर्गत हैं। इसलिए यह सदस्यों के लिए ही नहीं। यदि हम इन्सान नहीं हैं तो उनको चलाने वाला क्या हो सकता है। कल शायद ऐसा लिखने को वह तैयार हो। अध्यक्ष महोदय, कोई नया पत्रकार होता तो खास बात नहीं थी। वह पुराने पत्रकार हैं, कुलिश जी को हमने भी देखा है। साइकल से मोटर पर और मोटर से हवाई जहाज पर जाते हुए देखा है। अभी तक किसी भी पत्रकार ने ऐसा आक्षेप नहीं किया है। यह गम्भीर आक्षेप है। यह हम पर ही नहीं लोकतन्त्र पर भी आक्षेप है। मैं समझता हूं कि यह जो आक्षेप लगाये हैं यह किसी विदेशी एजेन्सी के कहने पर लगाये हैं जो कि कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ हैं। ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी एजेन्सी से सम्बन्धित हैं। यही कारण है कि साइकल पर बैठने वाला आज मर्सीडीज पर बैठता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): अगर माननीय अध्यक्ष की अनुमति हो तो मैं भी अपने विचार इस पर प्रकट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, माननीय विधायकों ने इस पत्र के सम्पादक को साइकल से कार पर चलने वाला देखा होगा····

श्री मन्जूर अली: ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर। जिन्होंने इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को रखा है उनको पहले बोलने दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: मैंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता: यानी इस पत्रकार ने जो कुछ लिखा है वह आपकी आदत है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: आप सुन लीजिये।

गंगा में आकर गंदा पानी मिल जाये तो गंगा का पानी खराब नहीं होता है लेकिन अगर दूसरे पानी में वह मिल जाये तो उसको खराब कर देता है। आज हम क्या चाहते हैं? क्या जनतन्त्रीय व्यवस्था असहनीय है? क्या आप यह सोचते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आप पर कोई उंगली नहीं उठाये? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि हम सदन में अपने ऊपर, एक दूसरे पर ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं जो कि चुने हुए व्यक्तियों पर नहीं लगाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आपने लगाये हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: सुनिये। मैंने राजस्थान पत्रिका के सम्पादक के कभी दर्शन नहीं किये हैं। कभी उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली: यह हाउस को गुमराह करना चाहते हैं··

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: आप मेरी बात पर ध्यान दें।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, ग्रॉन ए पाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर।

श्री अध्यक्ष : What is the point of order, please ?

श्री मंजूर अली : रूल में यह प्राविजन दिया है। जिनको इजाजत मिल जाएगी, वह स्टेटमेण्ट देंगे। उसके बाद स्पीकर महोदय यह जानना चाहेंगे कि क्या कोई विरोध करता है ? विरोध की बात सामने ग्रा गई है। भाषण देने का कोई प्राविजन नहीं है। There is no provision in the rules.

श्री मदनसिंह दांता : He has got the right to say.

श्री मंजूर अली : He has no right.

श्री रामनारायण चौधरी : Let him say.

श्री अध्यक्ष : If the hon. Member gets up with the object of raising an objection, he should be given the permission to do so.

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरे मान्यवर साथीगण गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ सिद्धान्तों के लिए जीता हूं। उनके लिए जीऊंगा। उनके लिए मैंने ग्रपनी कुर्बानियां दी हैं। I have a right to disagree.

मेरा मुख्य ग्राधार ग्रखबारों की आजादी है।

श्री नवरंग सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य वही ग्राजादी चाहते हैं जो इस ग्रखबार ने दिखाई है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह टोका टाकी इस बात का प्रतीक है कि ग्राप जनतन्त्रीय व्यवस्था में ग्रखबार को यह ग्राजादी नहीं देना चाहते हैं। क्या यह उसको ग्राजादी नहीं है कि गम्भीर बातों को नहीं दिया जाये ग्रौर ग्रापके कार्यकलापों पर कोई उंगली नहीं उठाई जाये ? ग्राप ग्रपना नाम छपाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

पहले मुझे सुन लीजिए। राजस्थान पत्रिका के 2 ग्रक्टूबर के ग्रंक में पृष्ठ दो पर जो छपा, ग्राप उसको ग्रपनी पृष्ठभूमि में देखिये। कितने लोगों में हिम्मत है जो ग्राज यह खड़े होकर कहें कि जयप्रकाश नारायण ने यह गलत बात लिखी है कि "गांधी जी की समाधि पर शपथ खाने वाले गांधी जी के विपरीत ग्राचरण कर रहे हैं। उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है।"

जयप्रकाश नारायण की कही हुई बात को ग्रगर कोई सम्पादक लिखता है ...

श्री करतार सिंह : जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार का नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ग्राप वह पेपर बता दीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्राप बीच में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : ग्राप जयप्रकाश नारायण की दुहाई नहीं दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे विधान सभा की परम्पराओं के अनुसार अपने विचार प्रकट करने की छूट मिलनी चाहिए। आप मेरे विचारों को सुनें। आप यह क्यों कहते हैं कि आप जो करते हैं····

(व्यवधान)

मैं कभी कुलिश साहब से नहीं मिला हूं। आप कृपया सुनिये। मेरा यह कहना है।

(व्यवधान)

हमें छुई-मुई की तरह से कोमल और नाजुक नहीं होना चाहिए। राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने मुख पृष्ठ पर दो लाइनें लिखी हैं। उसमें लिखा है,- "गान्धी जी की समाधि पर शपथ लेने वाले जो राजनीतिज्ञ थे, उनके आचरण शपथ के प्रतिकूल हैं।"

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, पार्लियामेण्ट्री प्रोसीडिंग का रिकार्ड इस बात की गवाही देता है, लोगों ने मांग की है कि 99% जनता के प्रतिनिधि अपना गलत अकाउण्ट भरते हैं इसलिए उन्होंने 10 हजार तक की राशि लगाई है। यह पार्लियामेण्ट्री रिकार्ड बोलता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उस रूलिंग के जरिये से बचाव लिया गया है। अगर राजनीतिक पार्टियां पैसा इकट्ठा करें तो आज जो यह सीमा है, उसको हटाया जाय, आप यह कह दें। हम सभी विधायक हैं हमने अपने स्वार्थों के नाम पर और व्यक्तिगत नाम से कितना खर्चा किया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक माननीय सदस्य : 3 हजार।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं माननीय रामकृष्णदास जी को कह रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : माननीय रामकृष्णजी बतायें कि उन्होंने कितना खर्चा किया ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए लॉ है, इसकी रिट होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने दीजिये, बहुत समय हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट, जो देश की सर्वोच्च संस्था है में बार-बार यह सवाल आया। आज कोई अखबार ऐसा नहीं है, जिसमें जैसा वे समझते हैं वैसा न लिखते हों। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने अपने आर्टिकल में इस चारदीवारी के अन्दर जो कार्यवाही होती है उस पर कोई आपत्ति नहीं की जो कि विशेषाधिकार के परव्यू में आती हो। दूसरी बात हमारे महात्मा लोग जो यहां कहते हैं, वह कहने का उनको अधिकार है तो उनको भी लिखने का अधिकार है। हमको इसको इगनोर करना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : मैं आरोप लगाता हूं, आप······

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सम्पादक कोई लेख लिखता है तो यह कोई सर्कस या नौटंकी नहीं है जो चलती रहे। गांधीजी की दुहाई जनता पार्टी देती है, कांग्रेस देती है और हम भी देते हैं लेकिन उसके विपरीत आचरण किया जाता है और फिर चाहते हैं कि कोई आप पर उंगली नहीं उठाये। मैं पूछता हूं आपसे कि अगर आपकी प्रतिष्ठा जनता के अन्दर होती, अगर जनता को कोई आपत्ति होती मिथ्याचारी मानने में तो राजस्थान पत्रिका की कितनी कापियां जलायी गई होतीं, कितनी कापियां फाड़ी गई होतीं। जनता के एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यह क्यों लिख दिया ? जनता आपका साथ नहीं दे रही है। आप यहां बैठकर लोगों पर पत्थर मार सकते हैं, तो लोग आपको बरदाश्त नहीं कर सकते। आपमें सहन शक्ति का माद्दा होना चाहिए।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री मूलचन्द डागा : 15 मिनट हो गये हैं, साहब।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय फतहसिंह जी की भावनाओं के प्रति मेरा पूरा आदर है, माननीय मूलचन्दजी डागा इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान पत्रिका कांग्रेस के खिलाफ लिखती है।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, मैंने इस भावना से नहीं किया है, मेरा यह विचार नहीं है।

(व्यवधान)

There should be time limit.

श्री अध्यक्ष : अभी उन्होंने दो मिनट मांगे हैं, मैं उनको दो की जगह तीन मिनट दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी भावनाओं को आप नहीं समझेंगे। मैं किसी भी माननीय सदस्य को अपमानित नहीं करना चाहता। जब तक विधान सभा अपने विशेषाधिकार को कोडिफाई नहीं करे तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिये। भारत के अखबारों को जी-हजूरी की जमात कहना--

(व्यवधान)

ऐसा काम आप मत कीजियेगा। हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। बड़प्पन इसी में है। अगर आप समझते हैं कि आप अपमानित हैं।

(व्यवधान)

सेवन पिलर्स जिसके लिए जनता पार्टी ने कांग्रेसियों से आजादी दिलाई, उनकी सौगन्ध है, उसको कायम रखने के लिए अखबार को···

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

ये सौगन्ध नहीं दिला सकते हमको !

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में निवेदन करना है। आप मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं।

श्री अध्यक्ष : आसन को किंकर्तव्य विमूढ़ मत बनाइये। माननीय सदस्य को दो मिनट और बोल लेने दीजिये। उनके जो शब्द अंकित हो रहे हैं उस पर सदन को जो करना है वह निर्णय ले लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : वे बोल चुके हैं, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान पत्रिका में जो कुछ आया है····

श्री किशनसिंह भाटी : प्रॉन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। यह एक व्यवस्था का सवाल आता है कि क्या विधान सभा का कोई भी माननीय सदस्य हम सबको अपनी राय में बांधने के लिए सौगन्ध दिला सकता है ? हम तो कुछ और हो कहना चाहते हैं। गुप्ताजी ने कसम दिलादी कि कुलिशजी की हां में हां मिलाना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने वह शब्द वापस ले लिया है।

श्री गुलमोहम्मद : इन्होंने सौगंध शब्द तो वापस ले लिया। किसी व्यक्ति को सौगंध दिलाई जाती है तो····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरे वक्तव्य में "सौगंध" शब्द की जगह पर आग्रह सब्स-टीट्यूट किया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ध्यान समय की ओर दिलायें।

श्री अध्यक्ष : समय का मुझे ध्यान है। आप इधर के सदस्यों की व्यग्रता देखिए और माननीय सदस्य का भाषण भी सुनिये।

श्री गुलमोहम्मद : वह भाषण समाप्त कर चुके हैं, फिर दुबारा भाषण करने खड़े हो गए हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अभी माननीय प्रतापसिंह जी ने आरोप लगाया सम्पादक महोदय पर कि आपातकाल में ऐसा किया। आप इन पत्रकारों व सम्पादकों की दुविधा को देखिए। एक तरफ इंदिरा गांधी का भय उसकी हां में हां न मिलायें तो जेल जाओ। दूसरी तरफ महात्मा गांधी की आत्मा कहे कि नहीं, बोलो। यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हम जी हुजूरी कराते हैं तो प्रजातंत्र की हत्या कराते हैं और दूसरी तरफ वह जनप्रतिनिधियों के आचरण पर अंगुली उठाते हैं तो कहा जाता है कि आप चुप रहें और विरोध भी करें। यह गूंगे व बहरे कर सकते हैं। अखबार नवीस नहीं कर सकते। उनकी लेखनी में ताकत है।

कई माननीय सदस्य : आपने अच्छी वकालत कर ली।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, एक विधा-यक के लिए आखिर कितना समय चाहिए ? आपने इनको इतना समय दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आप असंतोष व्यक्त कर सकते हैं, आपको अधिकार है। माननीय सदस्य बार बार दो मिनट कह रहे हैं, मैं उनको तीन मिनट दूंगा। आप तीन मिनट उनको सुन लीजिए माननीय सदस्य, आपको चुप रहने के लिए किसी ने नहीं कहा, आप धारा प्रवाह बोलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इस सर्वोच्च शक्तिशाली सदन का ध्यान उन राजनैतिक नेताओं की ओर दिलाऊंगा....

श्री अध्यक्ष : विधान सभा और लोक सभा दोनों पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपके समक्ष माननीय सदस्यों ने कहा है कि जनतांत्रिक व्यवस्था की हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि हमारा ध्यान उन नेताओं के भाषणों, उन मार्क्सिस्ट के भाषणों, उन नक्सलाइट्स के भाषणों की ओर नहीं जाता जिन्होंने कहा कान्सटीट्यूशन और पार्लियामेन्ट तोड़नी चाहिए। हमने उनको सहन किया है जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं और इस संपादक ने तो कान्सटीट्यूशन की हिफाजत के लिए यह किया है....

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए।

कई माननीय सदस्य : कहां तक सुनें ?

श्री मदनसिंह दांता : इनके भाषण अखबारों में नही आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। कल आपके भाषण अखबार में आयेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज संसद से लेकर विधान सभा तक, जम्मू से केरल की विधान सभाओं में कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी पर और जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। चुनाव में किए हुए वायदों को भूल गए, मुकर गए। क्या यह मिथ्या आचरण नहीं है ? आचरण यह है कि चुनाव के दिनों में जिन वायदों के बल पर वोट आपने मांगें, जिस आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के लिए आपने वोट मांगे, क्या हमारा आचरण उन नीतियों के अनुसार है ?

(व्यवधान)

यह मिथ्याचरण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या अब आप अपना भाषण समाप्त करना उचित नहीं समझते ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जयप्रकाशजी से लेकर मधुलिमये तक और माननीय विधायक राम नारायण चौधरी से लेकर हमारे मुख्य मंत्री तक सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुम अपनी नीतियों से विमुख हो गए हो, नीतियों के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हो तो फिर उनका आचरण मिथ्या नहीं है तो और क्या है ? अन्त में मैं इस सदन की भावनाओं के अनुरूप कहना चाहूंगा कि इसको इग्नोर कर दें।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : एक मिनट। सदन का ध्यान, सम्पादक ने जो कुछ लिखा है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कुलिश ने जो कुछ लिखा है।

श्री अध्यक्ष : सदन की गरिमा और नियमों का ध्यान नहीं रखकर आप उठ उठकर कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही सदन

(श्री अध्यक्ष)
से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव का जो समर्थन करते हैं वह खड़े हो जायें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दिया जाये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमें मालूम है कि कपूरचन्द कुलिश ने जो शब्द लिखे हैं यह वही कलिश हैं जिसने इमर्जेन्सी की धज्जियां उड़ाईं और कांग्रेस शासन के खिलाफ लिखा था···

(व्यवधान)

क्या यह सही है कि आज की चुनाव व्यवस्था में बिल्कुल दुर्व्यवस्था है? आज चुनावों के अन्दर काला धन आ रहा है? क्या यह सही है कि पूंजीपति लोग सारे समाज को खा जाना चाहते हैं? हमारे जैसे छोटे तबके के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए बाबू जयप्रकाश नारायण जी जैसे बड़े से बड़े नेताओं ने यह कहा है कि चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए।

श्री कौशलकिशोर जैन माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मेरा निर्णय है कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर··

श्री कौशल किशोर जैन : मुझे दो मिनट का समय दिया जाये। मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले विरोधी पक्ष के माननीय नेता का प्रश्न और तत्पश्चात आपकी व्यवस्था का प्रश्न।

(व्यवधान)

और भी कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ईश्वरचन्द : है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द : यह विधायकों की ट्रेड यूनियन नहीं है विधान सभा है। हर सदस्य को बोलने का हक है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए इसके विरोध में।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः विचार के बाद अपने निर्णय को निरस्त करता हूं। जिन माननीय सदस्यों को इस प्रस्ताव का विरोध करना है वह कर सकते हैं।

(व्यवधान)

इसके ऊपर बहस चलेगी। आपको विरोध करना है तो मुझे आपत्ति नहीं है

श्री कौशलकिशोर जैन : आधा घन्टे से चर्चा इस सदन में चल रही है। मुझे भी इसके बारे में दो मिनट का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कुछ मेरी बात भी सुनिये। माननीय सदस्य ने विरोध करने का इरादा किया और उन्होंने इस विचार से खड़े होकर मेरी अनुमति मांगी। आप विरोध कीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय। आपने बिना हमको सुने फैसला दे दिया। और भी लोग बोलना चाहते हैं.....

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं पहले से ही आपसे अनुमति मांग रहा था।

श्री मंजूर अली : फिर हम भी इनका विरोध करेंगे और 5 बजेंगे।

श्री अध्यक्ष : 5 बज सकते हैं। विरोध करना चाहें तो करें लेकिन अन्ततोगत्वा यह सदन बहुमत से निर्णय लेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : 10 सदस्य जब खड़े हो जायें तो चर्चा समाप्त होती है और विशेषाधिकार समिति को प्रश्न सौंप दिया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा एक प्रश्न व्यवस्था का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दस सदस्य बोले और उसके बाद भी बोल रहे हैं। आसन का निर्णय है, विरोध करना चाहते हैं तो विरोध व्यक्त करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रूलिंग दी है वह नियमों के शत-प्रतिशत अनुकूल है। इस सदन के सदस्यों को अधिकार है कि....

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पहले व्यवस्था दी है वह नियमों के अनुकूल है या वर्तमान में व्यवस्था दी वह नियमों के अनुकूल है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले माननीय विरोधी दल के नेता दो मिनट तक बोलेंगे। फिर सत्तापक्ष के उप-नेता बोलेंगे। आखिरकार नियम भी मनुष्यकृत हैं। यह सदन सर्वोपरि है। हमें जो भी निर्णय लेना होगा वह हम लेंगे। नियमों के अन्तर्गत मैं व्यवस्था दूंगा लेकिन सदन के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वह करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। आपने व्यवस्था दी कि पहले विरोधी दल के नेता बोलेंगे, ठीक है लेकिन इतने सारे क्रम को तोड़कर व्यवस्था दी कि शासन पक्ष के उप-नेता बोलेंगे। यह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था दी गई है ? कृपया आप नियमों के अनुकूल व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : यह कामनसेन्स की बात है, नियम भी कामनसेन्स के ऊपर ही बनाये

(श्री अध्यक्ष)
जाते हैं और सारी सोसाइटी कामनसेन्स के ऊपर डिपेण्ड करती है। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रश्न पर मैं मेरे विचार भी शामिल करना चाहता था। मेरे दल की तरफ से किसी भी माननीय सदस्य के विचार नहीं आये लेकिन आपने इसको एकदम हाउस के सामने पुट-अप कर दिया। तब मैं खड़ा हुआ और आपने निर्णय घोषित कर दिया। मान्यवर, आपने दो व्यवस्था दीं। एक तो आपने कहा कि सारा मामला यहां बहुमत से तय होगा। मान्यवर, यह नियमों के प्रतिकूल है।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है। अगर यह मैंने कहा तो यह नियमों के प्रतिकूल कहा और उसके ऊपर मैं पुनर्विचार करने के लिए तैयार हूं। यहां पर एक प्रावीजन है वह मुझे स्तब्ध करता है। प्रावीजन यह है कि यदि किसी सदस्य को आपत्ति हो तो वह रेज कर सकता है।....

श्री रामनारायण चौधरी : Sir, with your permission....

श्री अध्यक्ष : तो किसी सदस्य को आपत्ति होगी यह सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, मै इसका इन्टरप्रिटेशन करता हूं कि यदि एक सदस्य आपत्ति उठाये तो उठा सकता है। उसके बाद में जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वह लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : There is a separate 'Vyavastha' also, Sir.

श्री अध्यक्ष : अगर मैं मिस्टेक करता हूं, मेरा ध्यान आकर्षित करें कि मैं यहां पर गलत हूं अगर गलत हूं तो मैं गलती को स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन कभी गलती नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : आसन भी तो मनुष्य है। इम्पार्शियल रूप से व्यवस्था देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन ह्यूमन नहीं है, आसन आसन है। मान्यवर मैं एक दो बात दूसरी निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य आप अपने विचारों के मुताबिक विचार रख सकते हैं लेकिन यह प्रश्न गम्भीर है। इस समय राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ में एक प्रस्ताव पहले से ही विशेषाधिकार समिति के सामने विचाराधीन है और दूसरा प्रस्ताव...

मेजर श्री फतहसिंह : तीसरा भी कल आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरा प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है और तीसरा प्रस्ताव सचिवालय के प्रोसेसिंग में है। तो, मान्यवर तीन प्रस्ताव हैं। प्रस्तावक से निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आज तो दो प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्हीं पर होगी।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव मेरे से भी कुछ व्यक्तिगत संबंध रखता है। जब वह आयेगा मैं आसन पर रहना नहीं चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं प्रस्तावक से निवेदन करना चाहता हूं कि वह नियम 161 का मुलाहिज़ा फर्मायें--

"If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer the question to a Committee of Privileges for report within a period to be specified..........."

श्री शिवचरणसिंह : यह जरूरी नहीं है, हाउस में भी बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन आगामी सत्र में ही पेश हो, यह मैं निर्णय लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आगे आ रहा है...

"Within a period to be specified...."

It does not mean that the Privileges Committee may take years and years to give its report and the life of the House may come to end and the Privileges Committee may not give its report.

"....unless he is of opinion that the matter is such as may be disposed of by House without reference to the Committee."

श्री अध्यक्ष : That is what I am coming to.

श्री रामनारायण चौधरी : "....in which case the member making the complaint shall make a motion that the matter be taken into consideration forthwith or at some future time."

मैं निवेदन यह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि इस मामले को या तो सदन में उठायें नहीं और यदि सदन में उठाना चाहते हैं क्योंकि प्रस्ताव गम्भीर है तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को मैं चुनौती नहीं देना चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ही अधिकार है, प्रस्तावक ही इस प्रकार का प्रस्ताव कर सकता है, मान्यवर, आपकी मार्फत निवेदन कर रहा हूं जब एक प्रस्ताव आलरेडी पेन्डिंग है, दूसरा यह है, तीसरा शायद आये या न आये, कह नहीं सकता। आप आपत्ति करने वालों को पूरा समय दीजिए। उनकी बात को सुनियेगा। लेकिन प्रस्तावक के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। वे स्वयं गम्भीर हैं। मेरे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि आप इस प्रकार का प्रस्ताव लायें कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को इस सदन में ही बैठकर तय करें। इसके लिए आप टाइम लिमिट तय कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन हाउस के सामने आया उससे पहले प्रस्तावक को अपना प्रस्ताव पढ़ना चाहिए था। यदि यह प्रस्ताव होता तो मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी माननीय सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता जो कुछ भी विचार व्यक्त किये उनके लिये आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो मैं यह समझता था कि वे अपना मोशन रखेंगे। मोशन उन्होंने कोई रखा नहीं...

श्री मूलचन्द डागा : मैंने मोशन रखा है, श्रीमान।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के लिये मुझे शांति के साथ सुन लीजिए : मैं कहता हूं कोई सुनता नहीं। मेरे ख्याल में हमको अनुशासन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिये और त्याग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिये। अत्यधिक पद लोलुपता के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिये।

मैं समझता था कि माननीय सदस्य भाषण के बाद कुछ मोशन रखेंगे। माननीय सदस्य तो इस सदन से उठकर चले गये। उसके बाद मैंने सदन के समक्ष यह प्रश्न रखा कि प्रस्ताव को स्वीकार अगर सदन के सदस्य करते हैं तो उठें। तो पर्याप्त रूप से सदन के माननीय सदस्य उठे। 10 से अधिक 20 या 30 या 40। एक माननीय सदस्य, वे बुद्धिमान हैं, तो उठकर आसन के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाया कि मैं पक्षपातपूर्ण निर्णय लेता रहा हूं। उनको मैं अधिकार देता हूं वे भी अपने विचार व्यक्त करें। यह तो सबने देख लिया कि 10 से अधिक माननीय सदस्य खड़े हो चुके थे तो निर्णय लेना तो मेरे हाथ की बात है। अगर कोई यह कहता है कि आसन पक्षपातपूर्ण व्यवस्था देने के लिए तत्पर है, ऐसी स्थिति के अन्दर माननीय सदस्य को मैंने निवेदन किया कि आप आपत्ति व्यक्त करें। आपत्ति व्यक्त करने के बजाय व्यवधान शुरू किया। इस तरह से कैसे सदन की कार्यवाही चलाई जाये। आपत्ति होने के बाद मुझे जो कुछ निर्णय लेना होगा, वह लूंगा, और वह फाइनल होगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैंने आपसे निवेदन किया था, विरोध में बोलना चाहूंगा। आप मुझे समय देने की कृपा करेंगे, ऐसी आशा रखूं।

श्री अध्यक्ष : आपको समय देना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। आप कृपया शासन पक्ष के उप नेता की बात सुनने की क्षमता रखें।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का समय दूंगा। आप बुद्धिमान हैं। कृपया नियमों का अध्ययन करके नियमों का ध्यान रखिये फिर आपको कुछ कहना हो, कहिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपने कहा पहले रामकृष्णदास गुप्ता बोलें। उसके बाद दूसरे सदस्य बोलें। दायें बायें पांच मिनट तक देखूंगा। किन्तु रामकृष्णदास गुप्ता के बोलने के तुरन्त बाद आपने लोगों का समर्थन मांग लिया। इस कारण जो लोग इस मुद्दे पर बोलने के लिये बैठे थे, वह महरूम रह गये। मेहरबानी करके माननीय श्री ईश्वरचन्द जी को ही विरोध में बोलने वाला नहीं मानें, बहुत सारे माननीय सदस्य ऐसे हैं जो विरोध में बोलना चाहते हैं। उनको भी बोलने का पूरा मौका देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है जो विरोध पक्ष में बोलना चाहते हैं पांच ऐसे सदस्यों को मैं इजाजत दूंगा, इससे अधिक नहीं। ऐसे सदस्य कृपया अपने हाथ खड़े कर लें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन विरोध पक्ष में बोलने वाले सदस्य हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : दो महिलायें भी हैं । पांच हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया जो विरोध में बोलना चाहें वे हाथ ही नहीं उठायें स्वयं खड़े होने का कष्ट करें ।

सेक्रेटरी साहब, आप नाम लिख लीजिये और नामों की सूची मुझे दे दीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री ईश्वर चन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अत्यधिक विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करिये ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें ।

मैं सदन का कानसेनसस के जरिये एग्रीमेंट प्राप्त करना चाहता हूं । मैं इस सदन का अध्यक्ष हूं । जब तक अध्यक्ष रहूंगा आपके आदर का पात्र बनने की चेष्टा करूंगा ।

एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो माननीय सदस्य विरोध पक्ष में बोलना चाहते हैं, वे खड़े हो जायं । .

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, बार-बार क्यों परीक्षण लेना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें । अब जैसे प्रश्नोत्तर काल होता है उस तरह मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

क्या यह सही है जो माननीय सदस्य खड़े हुये हैं उतने ही सदस्य विरोध करना चाहते हैं या और कोई भी करना चाहते हैं ?

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया

श्री माणक चन्द सुराणा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

मैं उसी प्रश्न पर श्रीमान के माध्यम से सदन के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमान ने पहले भी फर्माया है कि सदन का बहुमत जानकर निर्णय दूंगा । उसके बाद श्रीमान ने कहा मैं पुनः विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको निरस्त कर देंगे...

श्री माणक चन्द सुराणा : विरोध पक्ष के नेता महोदय ने जब श्रीमान का ध्यान आकर्षित किया तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि मैं पुनः विचार करूंगा । मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूं ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन पर इस सदन की राय बहुमत या अल्प मत को जानने का कोई प्रावधान नहीं है । मुख्य रूप से श्रीमान को यह देखना है कि क्या इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 समर्थक हैं । मेरा निवेदन है यदि 10 समर्थक हैं तो ठीक है और यदि उससे ज्यादा 50 भी हैं तो भी मैं समझता हूं सदन उसके पक्ष में है । जनता विधायक दल के अनेक सदस्यों ने इसका विरोध किया है और अभी भी खड़े

(श्री माणक चन्द सुराणा)

हुये है। मैं कहना चाहता हूं इसमें कान्सेन्सस देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुमत जानने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव न बहुमत से स्वीकृत होता है और न ही अस्वीकृत होता है। केवल इसकी जो रिक्वायरमेंट है वह 10 सदस्यों की मिनिमम है। वह है तो श्रीमान यह एक्सप्रेस करें कि यह हाउस का ब्रीच आॅफ प्रिविलेज है और इसे प्रिविलेज कमेटी में भेजने की व्यवस्था करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान् ने बहुत जुडिसियस तरीके से एक आपत्ति पर, श्रीमान भटनागर साहब की आपति पर समुचित ध्यान नहीं देकर 5–5 मिनट उनको दिये जो जो बोलना चाहें, क्योंकि विपक्ष की राय जानने का मौका नहीं था इसलिये श्रीमान ने पूर्व रूलिंग को निरस्त कर दिया। मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, इस सदन के जो सदस्य विरोध में राय जाहिर करना चाहते हैं उसके बाद, इसके सम्बन्ध में 50 सदस्य खड़े हो गये और चाहे 60 सदस्य खड़े हो गये लेकिन प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के तहत इस प्रस्ताव को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजना अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमन, मेन्डेटरी है। 'मैं फुल इम्पलीमेंटेशन के लिये फेथफुली इम्पलीमेन्ट करूंगा और उसका फादर एक्सटेन्शन करने के लिये आसन की प्रेस्टिज को सेफ गार्ड करने के लिये जो कुछ और आपत्ति है उस पर परिश्रम करना चाहता हूं.. otherwise the whole thing is fait accompli.

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं श्रीमान् को यह निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर होना चाहिये। बहुमत से कोई वोटिंग कराके हां या ना में परिवर्तन नहीं करना है। 162 नियम के तहत श्रीमान प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर करेंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में आनी है और उस पर डिस्कशन होना है। यदि आज बहुमत से इस प्रस्ताव पर निर्णय ले लेते हैं तो फिर यह होगा कि हमारा निर्णय जुडिशियस नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : ब्रीच आफ जुडिशियस हो गया। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य बुद्धिमान हैं। वे नियमों का अध्ययन करें और नियमों का अध्ययन करने के पश्चात् जो कुछ कहना है कहें लेकिन अनुशासन की न्यूनता या मेरे में कमी है उसको मद्दे नजर रखते हुए मध्यम मार्ग निकालना मैंने उचित समझा इसलिये माननीय सदस्य युवा नेता वहां विराजमान हैं, उनको आपत्ति करनी है तो कर सकते हैं। बाकी नियमों में है वह इनएविटेबल है लेकिन मैं समझता हूं इसका पोस्ट मार्टम ही करना हो तो करिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : What is the point of order ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : I am puting it before you. What the hon. Member Shri Manak Chand Surana has said is definitely correct and your honour should have taken care to elicit the views of the House.

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में बोलने का निर्देश फर्मायें।

Page No 82

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में बोलने के लिये आपत्ति तो नहीं उठाता हूं लेकिन माननीय सदस्य को विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि वे हिन्दी में ही बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं हिन्दी में ही बोलूंगा लेकिन यदि कहीं आवश्यकता हुई तो मेरे अभ्यास के साथ कहीं अंग्रेजी का भी उपयोग करूंगा।

श्री अध्यक्ष : फिर आवश्यकता महसूस हुई तो मैं भी अंग्रेजी का ही उपयोग करूंगा।

एक माननीय सदस्य : समझेंगे नहीं तो क्या होगा ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसमें पहले माननीय विरोधी दल के नेता ने रूल पढ़ा। रूल में इनएविटेबल नहीं है कि कमेटी को जाय या हाउस उस पर विचार करे। आपने जनरल तरीके से यह कहा है कि मैं विरोधी दल के माननीय नेता का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। किन्तु इससे सामान्य इम्प्रेशन यह हुआ कि आपने विचार करने को कहा है, इस हाउस में विचार करें...

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहां से होगा ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा जहां तक खयाल है माननीय मंजूर अलीजी बहुत बढ़िया वकील हैं...

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : पाइन्ट आफ आर्डर को इन्टरप्रेट करने की इजाजत नहीं है क्या?..

(व्यवधान)

अगर इस हाउस के 200 सदस्य में से 11 एम.एल.ए. पक्ष में हैं और 189 विपक्ष में हैं तब भी the law is like that.

सदरे मोतरम्, कानून की मंशा को देखते हुए यह बात साफ है कि यदि 189 सदस्य भी विपक्ष में है और 11 एम.एल.ए. पक्ष में हैं तब भी कमेटी को रेफर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को 15 मिनट के लिए चर्चा का विषय और बना रुकेंगे, इसके बाद में जो कुछ भी निर्णय होगा, मैं उसको दूंगा। आप बोलिये माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता के भाषण के बाद यह आपका आब्जर्वेशन था। इसके बाद शासन पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दिया, उप नेता को बोलने का आपने मौका दिया। क्योंकि साधारणतया शासन पक्ष के नेता और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शासन पक्ष को रिप्रजेण्ट करते हैं नेता की गैर हाजरी में लेकिन उनकी एब्सेंस में आपने उप नेता को बोलने का मौका दिया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसमें रूल 161 और 163 हैं जिनको ठीक तरह से शायद मद्देनजर नहीं रखा। रूल 161 अध्यक्ष को इस बात के लिए पाबन्द नहीं करता कि प्रिविलेज कमेटी को ही रेफर करे।

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
यह अध्यक्ष के डिस्क्रिशन में है और पावर में है कि अध्यक्ष उसको हाउस इटसेल्फ को विचार के लिए सौंप सकता है और प्रिविलेज कमेटी को भी सौंप सकता है। रूल 161 कहता है : "Question of privilege to be considered by House or Committee.— If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer the question to a Committee of Privileges for report within a period to be specified unless he is of opinion that the matter is such as may be disposed of by the House without reference to the Committee,....."

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह बात तो आ गई है। यह पाइन्ट आफ आर्डर क्या है, यह तो पहले ही हो चुका है। सिम्पली कहने के लिए कह रहे हैं। यह पाइन्ट आफ आर्डर तो पहले ही क्लियर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी कहना हो आप सुन लीजिए। आपने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया उस सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है कि It is over-riding the provisions subject to the discretion of the Speaker which is supreme and I voluntarily exercise my supremecy for your discretion, discussion and my decision."

श्री बजरंगलाल शर्मा : तो मेरा निवेदन है कि आपका डिसीजन होने के बाद 163 पर अगर आप विचार करें।

"Power of Speaker to give directions.— The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privilege or in the House."

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत बुद्धिमान हैं। इन शोर्ट, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि शासन पक्ष के माननीय उप नेता ने जो विचार व्यक्त किये उससे आप सहमत हैं या नहीं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, यही अर्ज कर रहा हूं।

श्री ईश्वरचन्द : इसकी जरूरत ही नहीं है। कार्यवाही को आगे चलने दें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सुराणाजी ने जो बात कही, यह चोइस का प्रश्न नहीं है, यह क्वेश्चन आफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का है इसको आप प्रिविलेजेज कमेटी को ही रेफर करें इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से अवश्य सहमत हूं कि यह भी एक रास्ता है और दूसरा रास्ता भी है। आखिर में आपको हक है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करें।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको कहना चाहता हूं कि I voluntarily bind myself with the provisions that is before the House. Either you accept it or reject it.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा जरा सा और निवेदन है। मेरा निवेदन यह है कि

82

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
आप अपना डिस्क्रिशन कभी भी वालिंटरिली जब एक्सर्साइज करेंगे तो काफी जुडिशियसली कंसीडरेशन के बाद करेंगे। विषय के महत्व को देख कर करेंगे। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सदन के विचार के योग्य है तो सदन को ही रेफर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रोविजन साउण्ड है, यह महसूस करता हूं। स्पेसिफिक केस के लिए डिस्क्रिशन एक्सर्साइज करना नियमों के अन्तर्गत उचित मैं महसूस करता हूँ।

श्री बंजरंगलाल शर्मा : नियमों के अन्तर्गत यह हक है कि विषय के महत्व को देखते हुए पूरे सदन को रेफर करें।

श्री मदनसिंह दांता : It is not the matter of the whole House.

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में "गांधी के नाम पर" प्रकाशित अग्रलेख

श्री ईश्वरचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त नम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा कभी भी कोई उद्देश्य आप पर आरोप लगाने का नहीं रहा है। आप प्रोसीडिंग देख लें, आप अध्ययन कर लें। आपने कहा कि लोगों को मौका दूंगा उस पर मैंने अपनी आपत्ति उठाई। इससे आप की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं इससे बहुत ज्यादा दुखी हूं और इसके लिए मैं क्षमा भी मांग सकता हूं...

श्री अध्यक्ष : इसमें मेरा कोई सवाल नहीं है, यह मत मतान्तर का सवाल है।

श्री ईश्वरचन्द : यह जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है, मैं यह जानता हूं कि अधिकांश साथी इसके पक्ष में है। मैं जानता हूं कि हाउस अत्यन्त होस्टाइल है। उसके बाद भी...

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि मेरे लिए होस्टाइल हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद भी अगर मैं अपनी अन्तर आत्मा की आवाज, जो मैं इस प्रश्न पर महसूस करता हूं, अगर यहां प्रकट नहीं करता हूं तो मैं अपने विधायक के दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव रखा गया है और "गांधीजी के नाम पर" पत्रिका में जो लेख छपा है, मैं एडीटर के पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये कैसे और किस तरह के राज दरबारी रहे हैं यह भी मैं जानता हूं। यह भी निश्चित बात है कि मैं कोई इनका प्रशंसक नहीं हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के मामलों में हम विधायकों को, हम सत्ता पक्ष के सदस्यों को और सांसदों को अंतर्मुखी होना चाहिए उसके लिए हमें अन्तर्मुखी होना पड़ेगा और होना चाहिए। यहां पर इस तरह के सवाल उठाये जाते रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न लाते रहे हैं लेकिन जब तक चुनाव कानून में, चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं हो, झूठ की राजनीति चलती रहेगी। आज अगर कोई कहना चाहेगा कि मैंने गलत रिटर्न दिया है या उन्होंने गलत रिटर्न दिया है तो यह मुद्दे की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है। सवाल

(श्री ईश्वरचन्द)

यह है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। गांधीजी ने "एक्सपेरीमेंट विद ट्रुथ" नाम से एक किताब लिखी। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और जिसके आधार पर जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना, क्या हम सब अपने अन्तर्मन में झांक कर इस बात को कह सकते हैं कि हम लोगों का आचरण बिल्कुल सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल है, राजनैतिक मर्यादाओं के अनुकूल है और राजनैतिक आदर्शों के अनुकूल है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह हम से कौन पूछ रहा है ?

श्री ईश्वरचन्द : मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर कोई अखबार वाला, कोई छोटा अखबार वाला हो या बड़ा अखबार वाला हो, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे आचरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी करे, किसी प्रकार चुनौती दे तो अच्छा तो यह होगा कि हम इस तरह का फूल प्रूफ कानून बनायें जिससे आज इस तरह के जो आरोप इस एडीटर ने लगाये हैं वह नहीं लगा सकें। यह तो आदर्श बात होगी, व्यावहारिक हल होगा। लेकिन केवल भावनाओं में आकर और विधान सभा को ट्रेड यूनियन में कन्वर्ट करके अपने···

श्री श्योपतसिंह मकासर : What do you meen by the Trade-Union ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : ट्रेड यूनियन के नेता होकर ट्रेड यूनियन का मतलब पूछ रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : आप नहीं समझते ?

श्रीमती उजला अरोडा : आपको कोई पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना भाषण दो तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री ईश्वरचन्द : जिस तरह से बोनस की बात लेकर जायज हो या नाजायज हो, मजदूर लोग आन्दोलन करते हैं उसी तरह से ट्रेड यूनियन की तरह से सभी शामिल होकर एक एडीटर को क्वेश्चन करते हैं तो मैं इसको बिल्कुल लज्जाजनक समझता हूं और प्रेस की आजादी के खिलाफ समझता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे राजनैतिक आचरण में कहां गलतियां हैं, कहां खामियां हैं, कहां पर लूपहोल्स है, कहां हमारे कानून में गड़बड़ है, फिर भी किसी भी पत्रकार को, उसकी नीयत को इस प्रकार से इंगित करें तो हम लोग इतना सूक्ष्म दिमाग रख कर नेरोमाइंडेडनेस अपना कर, चारों तरफ से घेर कर प्रिविलेज और विशेषाधिकार हनन का डर दिखा कर प्रेस की स्वतंत्रता पर जिस तरह का अंकुश लगाना चाहते हैं, इसका मैं विरोध करता हूं और सभी साथियों से अपील करता हूं कि पहले आप कानून में, चुनाव कानून में परिवर्तन करें। जयप्रकाश की बात को सुनिये। महात्मा गांधी और जयप्रकाश जी ने हमको बताया है कि प्रेस की आजादी से मत डरिये। उनके कमेन्ट्स से इस तरह से मत डरिये। मिथ्याचारी लिखा है। मिथ्याचारी का अर्थ डिक्शनरी में क्या है ? क्या हम लोग अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर रात तक मिथ्या भाषण नहीं करते हैं·····

(व्यवधान)

(श्री ईश्वरचन्द)

मैं झुण्ड से नहीं डरता और न कभी झुण्ड से डरूंगा। मेरा आदर्श डाक्टर लोहिया थे और हैं। जय प्रकाश हैं। जब कभी भी लिखने की, पढ़ने की और चिन्तन की आजादी पर रोक लगाई गई, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया तो यह सवाल सड़कों पर आ जायेगा, तब विधान सभा की जरूरत नहीं होगी। इस चीज पर बहस करिये। बहु संख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर इसको लाद कर हम लोगों के चिन्तन को नहीं दबा सकते। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करके प्रेस की जो आजादी है, जिसके लिए हम लड़े हैं, एक कांग्रेसी सदस्य ने इस बात को यहां पर उठा दिया, परन्तु हम इसके परिप्रेक्ष्य को देखें कि किस तरह से लिखा गया है, उस पर विचार करें। इसलिये मेरा इस सदन से यह निवेदन है कि इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव को हम जोर-शोर से रिजेक्ट करें और प्रेस की आजादी को कायम रखने में सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया पहले सूचित करेंगे कि कितनी देर आप बोलेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय राजस्थान पत्रिका ने 2 अक्टूबर के अपने अंक में एक कठोर और कटु सत्य का उद्घाटन किया है। उसने एक कटु सत्य को कहा है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका ने जो कुछ लिखा है, वह कटु सत्य है। प्रश्न यह है कि वह विशेषाधिकार का हनन है या नहीं है? मिथ्याचार जो शब्द लिखा है, पूरा लेख पढ़ कर देखा जाये कि किस परिप्रेक्ष्य में यह लिखा गया है। मेरी आत्मा, जितने भी विधायक हैं उनकी आत्मा, भारत के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी आत्मा यह जानती है कि चुनाव के अन्दर कितना खर्चा होता है ....

एक माननीय सदस्य : आप कह दीजिये आपने कितना खर्च किया है?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, कंवरलाल गुप्त वर्सेज ....

(व्यवधान)

केस में यह सिद्ध कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने उसे मद्देनजर रखते हुए यह कानून बनाया कि दस हजार की सीमा के अन्दर हम व्यय करते हैं तो सही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने यह सुझाव दिया था, चुनाव का सारा खर्चा सरकार वहन करे तो चुनाव में सुधार होगा। सारा खर्चा सरकार वहन करे तो ही चुनावों में सुधार होगा, यह कटु सत्य है। एक अखबार वाले ने लिखा है तो क्या हम उस अखबार वाले का गला घोट दें, गला घोटने की चेष्टा करें जब कि यह कठोर ही नहीं कटु सत्य है। इससे हमारी भावनाओं को आघात लगता है लेकिन यह एक कटु सत्य है। इस सत्य पर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इस कटु सत्य पर विचार करे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम नई परम्पराओं का निर्माण करें। छोटे-छोटे अखबारों ने क्या लिख दिया इस आधार पर अखबार का गला घोटने की

(श्री कौशलकिशोर जैन)

प्रवृत्ति ने ही तानाशाही को जन्म दिया था। आज जब कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मूलचन्द जी डागा फर्मा रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वे उस समय कहां पर थे जब इमर्जेन्सी लगी हुई थी..? राजस्थान पत्रिका आज से नहीं बहुत पहले से निकल रही है। जब अखबारों पर पाबन्दी लगाई गई थी वे कहां पर थे....

श्री मूलचन्द डागा : वियतनाम गया हुआ था।

श्री कौशल किशोर जैन : केवल यह एक मिथ्याचार शब्द नहीं है। इसके पीछे उसकी भावना को देखना चाहिये। श्री कुलिश, जो राजस्थान पत्रिका निकालते हैं, उसका सम्पादन करते हैं, इमर्जेन्सी के समय लोकतन्त्र का साथ दिया था, भारत के जनमत का साथ दिया था जब सारे लोग और दूसरे अखबार वाले इन्दिरा गांधी के सुर में सुर मिला कर बोल रहे थे, लिख रहे थे। इसलिए मैं सारे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे जनतन्त्र का आदर करना चाहते हैं तो जनतन्त्र के अन्दर स्वतंत्र पत्रकारिता का आदर करें। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाकर इस सदन का समय खराब न किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद।

मेरा यह निवेदन है कि यह प्रश्न विशेषाधिकार के हनन का है और विशेषाधिकार समिति के यह सुपुर्द किया जाएगा। अन्ततोगत्वा यह सदन ही निर्णय लेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर दें। यह मेरा निर्णय है। यह मेरा आदेश है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बार खड़ा हुआ, मेरा नाम दर्ज किया गया उसके बाद भी बोलने का समय नहीं मिला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, माननीय सदस्य ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अनुशासित होकर मैं बैठा रहा और अन्ततः मैं बोलने से रह गया।

श्री अध्यक्ष : यह डेमोक्रेसी है। मेरे ख्याल से one of the gradients of democracy is that the more clever takes the lion's share.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरे को बोलने की अनुमति....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। This is enough now.

व्यवस्था का प्रश्न

लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने में विलम्ब

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर।

(श्री मूलचन्द डागा)

पहला सवाल तो यह है कि क्या आपकी सेवा में माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने यह अथोरिटी दे दी है कि मेरी तरफ से माननीय श्री कैलाश मेघवाल ये पत्र सदन की मेज पर रखेंगे ?....

श्री अध्यक्ष : अगर यह अथोरिटी नहीं दी होती तो मैं ऐसी अदूरदर्शी घोषणा नहीं करता ।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरा सवाल यह है कि यह रिपोर्ट चार साल के बाद सदन की मेज पर रखी जा रही है तो क्या इसके रीजन आपकी सेवा में दे दिये है? इसके रीजन्स रख दें और उन रीजन्स से हाउस सहमत हो जाए तो इनको इजाजत दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी आपत्तियां जब मैं इधर था उस समय भी उठायी गयी थीं परन्तु सुखाड़िया साहब, माथुर साहब मौन व्रत लिए बैठे रहते थे। वे एक शब्द भी नहीं कहते थे। आपत्ति उठाना आपका कर्तव्य है लेकिन यह ट्रेजरी बेन्चेज का अधिकार है कि वह कुछ न कुछ कह कर सदन की कार्यवाही को आगे चलावे। आपका कर्तव्य हो गया ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह आपसे ही प्रेरणा ली है। जब आप विरोधी दल में बैठते थे तब जो भाषण देते थे, उसकी प्रेरणा के फलस्वरूप यह आपत्ति उठा रहा हूं। 73-74 की रिपोर्ट चार साल के बाद सदन के अन्दर प्रस्तुत की जा रही है, जिस पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है वह रिपोर्ट आज पेश करने की इजाजत मंत्री महोदय मांगते हैं तो इसके डिले होने के क्या कारण हैं, रीजन्स हैं, यह बतावें। अगर रीजन्स नहीं हैं तो इजाजत नहीं दी जाए।

श्री अध्यक्ष : रीजन्स, माननीय सदस्य, बहुत ग्राउण्ड है। और वे रीजन्स ये हैं कि पहले तो इस संबंध में चर्चा भी नहीं होती थी। रिपोर्ट्स भी 5-5, 6-6 बर्ष की होती थी। इस बेचारी सरकार ने 74 की रिपोर्ट लाकर सदन के अन्दर रखी है तो मुझे आशा है कि 76-77 की रिपोर्ट भी आपके सामने जल्दी ही आयेगी।

अगेन, मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, चलिये जल्दी।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय विधायक यह रिपोर्ट देख लेते तो यह आब्जेक्शन न उठाते....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बधाई देता हूं चलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : 22-9-78 को राजस्थान सरकार को भेजी है।

श्री अध्यक्ष : आपको भूतपूर्व सरकार का अनुकरण नहीं करना है। चलिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं--

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल 1973 से 31 मार्च 1974 तक)

(श्री कैलाश मेघवाल) :

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1974 से 31 मार्च, 1975)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, मंत्री महोदय,

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उस पर अपना अमेण्डमेंट रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको इस बारे में विचार व्यक्त करने हैं। मंत्री महोदय आ रहे हैं। अगर नहीं आये तो यह दुर्भाग्यपूर्ण और खेद का विषय है। मैं इन शब्दों के साथ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आप पढ़ दीजिये, माननीय मंत्री महोदय..

श्री मथुरादास माथुर : He cannot. Because he was member of the Committee. The chief whip can.

श्री अध्यक्ष : I accept your objection.

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस पर अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है इसमें...

श्री अध्यक्ष : आपका मेरे पास है। आप पढ़िये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 23 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूल 23 में यह है कि "The last two and half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private members' business :" यह रूल 23 है। श्रीमान्, आखिर में गवर्नमेंट बिजनेस होता है....

श्री अध्यक्ष : आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्राइवेट मैम्बर्स डे आयेगा, उसमें चर्चा होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक 10 तारीख को फिर बुलाई गई है। उसमें इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आपके दल के नेता महोदय यहीं पर विराज रहे हैं उनकी सहमति हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो आश्वासन दिया और जो निर्णय दिया उसका स्वागत है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि आप सदस्यों को 10 से 5 बजे तक काम करने को कहते हैं। आपने कहा कि 10 बजे अवश्य आवें और 5 बजे तक काम करें। रात को साढ़े तीन बजे आपके सचिवालय का कर्मचारी आता है। साढ़े तीन बजे से काम करने वाले व्यक्ति से 10 से 5 बजे तक आप काम लेना चाहते हैं इसके बाद, श्रीमान्, हमें अमेन्डमेन्ट संशोधन बनाने व देने का समय नहीं मिलता।

दूसरे मैं सचिवालय से प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि आप मेहरबानी करके कर्म-

(श्री अध्यक्ष)

चारियों के काम को भी देखें। आखिर में आप इतना काम लेते हैं। इसके कारण या तो आपको स्टाफ बढ़ाना चाहिये या ज्यादा कर्मचारी टेम्प्रेरी अपाइन्ट करने चाहिये। आपमें तो बड़ी त्याग की भावना है और आपमें शक्ति है, आप बैठ सकते हैं लेकिन मेरे जैसा थका हुआ आदमी ज्यादा बैठ नहीं सकता। अगर 11 से 5 तक आपका आर्डिनरी नियम है उसके अनुसार ही काम करावें तो हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे।

तीसरा मेरा प्रश्न था, एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रूल 119 में मैंने रखा हुआ है। माननीय सदस्यों के साथ जो कुछ भी उपेक्षा पूर्ण व्यवहार हुआ है उसके सम्बन्ध में वह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह मैंने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन वह मेरे सामने नहीं आया। मुझे पूर्ण आशा है जो मैंने मोशन रखा है, 5 विधायक हमारी विधान सभा के भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसे आप, श्रीमान्, 13 तारीख से पहले लेने की कृपा करें या आपकी कार्य सलाहकार समिति उस पर विचार करे। यह भी मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : बैठक 11 बजे से 5 बजे तक होगी, यह कार्य सलाहकार समिति का निर्णय है। आपने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर विचार किया जाएगा। मैं कार्य सलाहकार समिति का ध्यान आकर्षित करूंगा और समिति का जो भी निर्णय होगा 11 तारीख को आपको उस निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा।

क्या कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन को यह सदन स्वीकार करता है?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री मदनसिंह दांता : आपके सामने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि टेम्पो यूनियन की जो मांगे हैं उन पर 4 बजे निर्णय लिया जाएगा। मगर अफसोस है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किस बारे में?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, टेम्पो चलाने वालों के लिये स्थगन प्रस्ताव रखा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं मिला इसलिये उस पर चर्चा नहीं हुई। आप मंत्री महोदय से कक्ष में बात कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप मंत्री महोदय को यह तो कह दें कि वे जाकर उनको विश्वास दिलावें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): वे गये।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शिक्षा मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

Page No 91

(89)

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 के सम्बन्ध में विवरण

श्री मूलचन्द डागा : ग्रॉन ए पॉइंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । मैं, श्रीमन् रूल 63 के नीचे सब-रूल (2) है उसकी तरफ ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं । मैं यह मानता हूं कि ग्रार्डिनेन्स गवर्नमेंट निकाल सकती है ग्रौर ग्रार्डिनेन्स के जरिये गवर्नमेंट काम कर सकती है, लेकिन रूल 63 का सब-रूल (2) यह कहता है––

"(2) Whenever a Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance."

श्रीमान, 4 तारीख को सत्र बुलाया गया । 4 तारीख के रोज ग्रापको ग्रार्डिनेन्स रखना चाहिए था सदन की टेबल पर लेकिन 4 तारीख को नहीं रखा, 5 को नहीं रखा, और 6 तारीख को एट दी कमेन्समेंट ग्राफ दी सैशन नहीं रखा । श्रीमन्, जिस प्रकार से यह रूल्स का वायोलेशन करते हैं, उसका यह उदाहरण है । इन्होंने ग्रार्डिनेन्स जारी कर दिया लेकिन ग्रार्डिनेन्स के बारे में यह नियम है कि एट दी कमेन्समेंट ग्राफ दी सैशन कारण रखें । मैं माननीय भंवरलालजी शर्मा से दो बात कहना चाहता हूं ।

(4.32 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, ठीक समय पर ग्राप विराज गये हैं । मैंने यह ग्राब्जेक्शन किया है कि रूल 63...

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : पहले गलत समय था ।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 63 में मैंने ग्राब्जेक्शन किया है, ग्रौर मैंने प्रार्थना की है कि ग्रार्डिनेन्स जब निकाला जाय तो रूल 63 का सब रूल है वह ग्रापकी सेवा में पढ़ता हूं––

"(2) Whenever a Ordinance which embodies wholly or partly or modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table...."

श्रीमन्, यह आज रख रहे हैं ग्रौर ग्रापकी सेवा में इन्होंने जो बात रखी है वह यह है कि-"प्रक्रिया के नियम 63 (1) के ग्रन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1978 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखना चाहते हैं ।" मैं कहता हूं कि यह at the commencement of the session होना चाहिए था । मैंने शिक्षा मंत्रीजी को 4 तारीख को सदन में देखा है, मैंने उनको 5 तारीख को देखा है । न तो वह लन्दन गये हुये थे ग्रौर न नेपाल की यात्रा पर गये हुए हैं । 4 ग्रौर 5 तारीख को वे बराबर सदन में ग्राये हैं, मैंने

(श्री मूलचन्द डागा)
उनको बराबर देखा है, और सदन की कार्यवाही में उनका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने सदन में पार्टीसिपेट किया है, लेकिन उन्होंने इसको न तो 4 को रखा है और न 5 को रखा है और आज 6 तारीख के रोज यह कहते हैं कि हम रीजन्स रखना चाहते हैं। अब आज वह क्यों रखना चाहते हैं ? श्रीमन् इसके लिए न तो कारण बतलाये हैं कि बीमार हो गये थे, या उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं थी, उनकी हालत बोलने की नहीं थी, यह भी मैं नहीं मानता हूं क्योंकि वह सदन में बोले हैं इसलिए मैं कहता हूं कि आर्डिनेन्स····

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : डागाजी जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द : माननीय उपाध्यक्ष, 63 (2) में····

श्री मूलचन्द डागा : at the commencement of the session है। आप तो बडे एडवोकेट हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बहस करोगे तो बहस हो जायगी। भाईचारे से चलोगे तो हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप बहुत अच्छे वकील हैं। सब आपकी झाल वाड़ में तारीफ करते हैं। आप भाईचारे से चलना चाहें तो हो जायेगा, मैं मेरे माननीय नेता का कहना मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने रूल 63 (2) का इलस्ट्रेशन दिया है। मैं जानकारी चाहूंगा कि इसमें जो वर्ड्स हैं –

"whenever a Ordinance which embodies wholly or partly or modification the provisions of a Bill pending before the House..."

"pending before the House" का इन्टरप्रिटेशन आप क्या लेना चाहेंगे ? जो इन्ट्रोडक्शन की स्टेज के ऊपर······

श्री मूलचन्द डागा : यह गजट में पब्लिश हो गया है। उसकी कापी भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। शायद आप बाहर भी में जा रहे हैं। मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि आपका जो बिल है, वह आर्डिनेन्स के रूप में पब्लिश हो चुका है। उसकी कापियां निकली हैं वह हमको तीन दिन पहले मिल चुकी हैं। It has already been published in the Gazette.

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक मेरी जानकारी है, I am not committed to either view. पेंडिंग बिल का मतलब है कि वह आलरेडी पेंडिंग हो चुका है और कन्सीडरेशन की स्टेज पर है। इसके संबंध में अगर आर्डिनेन्स बन चुका है तो at the commencement of the session उसके बारे में रीजन्स रखे हैं। जो बिल असेम्बली में आ चुका है। वह पेंडिग बिल की डेफिनिशन में आता है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 58 पढ़िये अगर इस पर पर्टीक्यूलर हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उस पर क्यों बहस कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं कब करता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 63 (1) और (2) दो डिफरेन्ट

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पोजीशन्स की बात करते हैं : "(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House there shall be placed before the House alongwith the Bill a statement explaining the circumstances which has necessitated immediate legislation by Ordinance."

No. 2 says that the Ordinance is issued which embodied wholly or partly or with modifications the provision of a Bill pending before the House, as the Assembly was not in session, and the reasons explaining the circumstances are placed on the Table of the House at the commencement of the Session.

These are the two propositions.

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सब रूल (2) आफ रूल 63 का यह हवाला दे रहे हैं तो रूल 63 (1) के साथ उसका मुलाहिजा करें–

"(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with our without modification is introduced in the House there shall be placed before the House alongwith the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance."

सब रूल (1) में वर्ड 'whenever' बहुत महत्वपूर्ण है। सब रूल (2) के लिए यह एसेन्सियल है। कि वह बिल, जिसके बारे में इस सब रूल में जिक्र है, हाउस में पेन्डिग होना चाहिये। फिर इसमें यह नहीं कहा गया है कि नॉन-कम्प्लायेन्स का क्या नतीजा होगा ? इसमें केवल जो नेसेसिटी है, वही है रीजन की। बाकी यह नहीं है कि यह इन्ट्रोड्यूज नहीं होगा। Rule (2) follows.

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आप पढ़िये तो।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में विधि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ के अनुसार बिल कोई पेण्डिग नहीं था। उसमें कोई मोडीफिकेशन नहीं था। इसलिए रूल 63 के सब रूल (2) के अन्दर यह नहीं आता है। इसलिए डागा जी ने इन्ट्रोडक्शन पर आब्जेक्शन उठाया है, वह निराधार है। यह सही है कि उनकी उपस्थिति से हमें कुछ न कुछ नया ज्ञान मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं कहो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि डागा जी की उपस्थिति से नया नया ज्ञान मिलता है पर कभी कभी ये नया नया अज्ञान भी फैलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक रूल 63 के सब रूल (2) को देखते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। वह ऐसा नहीं है। दूसरे यह कम से कम मेण्डेटरी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो मैं मानता हूं लेकिन यह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऐसा रूल नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 का पुरःस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश सं. 16 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री मूलचन्द डागा भाषण देंगे।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि जिस स्टेज पर विचार हो रहा है, उस स्टेज के लिए जितने विचार आवश्यक हों, उतने रखें। विशेष इण्टरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर प्रभारी मंत्री सलेक्ट कमेटी को भेजते हैं तो हमारा पर्पज पूरा हो जायगा। इसमें कुछ कानूनी मामले हैं। लॉ डिपार्टमेंट ने अपने को बहुत काम्पीटेन्ट समझ कर कि हम कम्पीटेन्ट हो गये हैं यह बिल ड्राफ्ट कर दिया। सलेक्ट कमेटी में बैठकर विचार करेंगे तो सरकार की मदद में बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है तो फिर चेलेंज होगा। इसलिए सलेक्ट कमेटी में बैठकर हम डिस्कस कर लें। यह छोटा सा बिल है किन्तु यह चेलेंज होगा, इसका मुझे बहुत खतरा है। सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लेते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो दूसरी बात है। काम्पीटेन्ट कहने से ही काम्पीटेन्ट नहीं हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, जनता पार्टी का जो विधायक दल है, कल से उसके बारे में मेरे हृदय में श्रद्धा बढ़ी है। आज के अखबार में खबर निकली है, 35 विधायकों ने लिख कर दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय ऐसा कोई मसला उठाने की आवश्यकता नहीं है। विधायी कार्य के लिये समय बहुत कम रह गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्या कह रहा हूं।....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप 35 विधायकों की बात कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने मिल कर करवाया है।

एक माननीय सदस्य : You know him.

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री रघुनन्दन व्यास : रिपीटीशन नहीं हो।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने इसको अस्वीकार करने का संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं कुछ

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रश्नों का उत्तर मांगना चाहता हूं । क्या यह जजमेंट हुआ है लार्जर बेंच का ? माननीय विधि मंत्री जी, क्या हाई कोर्ट में आपने अपील कर दी है ?

एक माननीय सदस्य : आप बोलिए नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : जब हाई कोर्ट में यह पेंडिंग है । जजमेण्ट को चेलेंज किया है । उधर हाई कोर्ट का निर्णय हो तो आप उसको विथड्रा कर लें। क्या यह न्यायसंगत होगा ? एक तरफ आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं. दूसरी तरफ नौकरशाही मजबूर कर रही है इसलिये अमेण्डमेन्ट ले आये। यह नौकरशाही झगड़े रही है। एक तरफ हाई कोर्ट में पेंडिंग है दूसरी तरफ यह हो रहा है। आपने एक शब्द लिखा है "रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट"। आप कब से लागू करना चाहते हैं ? यह 1954 का है । उस समय रेवेन्यू बोर्ड था ही नहीं तो आप किस के लिए संशोधन करना चाहते हैं ? मेरी बात पर कुछ तो सोच लें। विधि मन्त्री जी का ज्ञान बड़ा गहरा है । लेकिन जब 1960 में रेवेन्यू बोर्ड बना तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए कहां जायेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता है, 1954 में जब रेवेन्यू बोर्ड एक्जिस्टेंस में नहीं था तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या मतलब है,

दूसरी बात, आपकी जो मंशा है, उससे मैं बहुत डरता हूं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं। श्रीमान्, मुझे कानून में बताइये जो जजमेन्ट हुआ वह किसकी गलती से हुआ ? मुझे यह आंकड़े पेश कर दें। श्रीमान्, प्रसेसिंग ओथोरिटी एग्रीव्ड होती है तो वह कोर्ट के सामने जाती है। आपके जजमेन्ट में लास्ट लाइन यह भी लिखी है। मैंने दो बातें कही थीं । मैं और समझ नहीं लेता हुआ, पेज 221/आर.आर.डी./1975..

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप क्वोट कर चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं।

"Lastly we notice that although the Assessing Authority in the five revisions under consideration was admittedly the Assistant Commercial Taxes Officer ward 'A' Alwar, these revisions have been filed by the Commercial Taxes Officer, Alwar who is neither the Assessing Authority nor Appellate Authority and hence he had no locus standi to move the Board under section 14(1) of the Rajasthan Sales Tax Act, in the present matter. The Assistant Commercial Taxes Officer, ward 'A' Alwar, who was an 'agrrieved party' could alone file revisions under Section 14(1) of the R.S.T. Act in the present cases."

श्रीमन्, जो सेल्स टैक्स के आफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेन्ट है वह नाकाबिल साबित हुआ है । जनता पार्टी ने लोगों के सामने बड़ी-बड़ी बातें की हैं कि सेल्स टैक्स नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देंगे, जाओ अखबार वालों छप दो। तो, श्रीमन्, ये जो करना चाहते थे-

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तीसरा मेरा.. ..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन की छुट्टियां हैं, कई लोग ट्रेन से या बस से जाने वाले हैं इसलिए हो सके तो आज जल्दी छुट्टी दे दी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा खर्चा कौन देगा, मेरा रिजर्वेशन हो गया है।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा उसमें यह स्वीकार किया गया है कि आज 6 बजे तक सदन की बैठक चलायेंगे नहीं तो विधायी कार्य पूरा नहीं हो सकेगा।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव पेश किया है लेकिन सदन की मन्शा यह है कि दो दिन की छुट्टी है, कई लोगों को गाड़ियां पकड़नी हैं और फिर काम खतम होने वाला नहीं है, यह काम 10 बजे तक भी खतम नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक मुझे जानकारी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट बाकी हो तो उसके आधार पर कार्यवाही एक घंटा बढ़ा दी जाय।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह था कि यदि आवश्यक समझा जाय तो दो बजे तक जीरो आवर खतम हो जाय और आगे की कार्यवाही चालू की जाय। उसमें यह था कि निश्चित रूप से एक घंटे का रिलेक्सेशन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मै मानता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जो आई है अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि पांच बजे तक सदन की बैठक होनी चाहिए, आप उस पर और सोचेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मैं भी एक सदस्य हूं। उसकी मन्शा यह थी कि कोई बिल अगर फाइनल स्टेज पर हो और मिनिस्टर का रिप्लाई होनी बाकी हो तो एक घंटा सदन की कार्यवाही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी तो बिल तो दूर है, आर्डिनेन्स पर ही विचार चल रहा है। अभी इस पर परसरामजी बोलेंगे, हम बोलेंगे, और भी कई माननीय सदस्य बोलेंगे, यह आज तो खतम होने वाला नहीं है। बिल पर तो पूरी बहस होगी, आज तो खतम नहीं होगा। सैटरडे और सण्डे को देखते हुए मैम्बरों की कन्वीनियेन्स भी देखनी चाहिए।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो टाइम नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं,

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके पीछे अण्डरस्टेण्डिग यह थी जिसमें विरोधी दल के माननीय नेता और माथुर साहब, परसरामजी साहब भी थे

(श्री नवनीत पालीवाल)
कि ये जितना भी काम है जीरो श्रावर और स्थगन प्रस्ताव वगैरह का यह दो बजे तक था, 15-20 मिनट आगे पीछे खतम हो जाना चाहिए। आज 4.30 तक यह कार्य चला है...

श्री मथुरादास माथुर : प्रिविलेज मोशन में ज्यादा टाइम लग गया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : निश्चित रूप से यह तय हुआ था कि तीन घंटे तक विधायी कार्य चलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब आप इण्टरप्रिटेशन दूसरा लगा रहे हैं। मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूंगा माथुर साहब कि जो ग्राडिनेन्स रखे हुए थे उनको दृष्टि में रखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि तीन घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : यही मेरा भी कहना है लेकिन प्रिविलेज मोशन में तीन घंटे लग गये, इसमें हम क्या करें। आप भी कन्ट्रोल कीजिये, हम भी कहते हैं। इश्यूज तो आयेंगे, 6 महीने बाद मिले हैं। इतनी समस्यायें इकट्ठी हो गई हैं 6 महीने में।

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह कानसेन्सस थी कि जीरो आवर की कार्यवाही तीन घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए और तीन घंटे दूसरे बिजनेस को दिये जाने चाहिए। पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर का यह कहना है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस में तीन घंटे मिलने चाहिए तो केवल लेजिस्लेटिव का ही काम नहीं है दूसरा भी काम है, आज के बिजनेस में प्रिविलेज मोशन भी था। तीन घंटे का समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाने के बाद भी यह मोशन आया और डिस्कशन हुए उसमें आप माननीय सदस्यों को बांध नहीं सकते। यह कैसे हो सकता है कि लेजिस्लेटिव काम भी आज ही हो। यह एक इम्पार्टेंट मामला आया है। यह तय हुआ था कि अगर गवर्नमेन्ट रिप्लाई बाकी रह गया हो तो 5 से 6 बजे तक टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन एक घंटे में आज तो समाप्त होने वाला नहीं है। अभी तो बिल ही कन्सीडरेशन में नहीं आया है इसमे समय लगेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह जो आप फर्मा रहे हैं, ठीक है—

श्री नवनीत पालीवाल : यह नहीं था कि मिनिस्टर का रिप्लाई बाकी हो तो समय बढ़ाया जाय। यह निश्चित किया गया था कि जीरो आवर दो बजे तक समाप्त कर दिया जायगा। रामनारायणजी साहब ने यह भी कहा कि 2 के बजाय 3 बजे तक भी खतम कर सकते हैं। हमने यह कहा था कि यह आप क्यों कर रहे हैं जहां तक मुझे याद है उसमें यह फिलसेशन था।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी याददाश्त को और ताजा कर लीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह तो 10 तारीख को कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करूंगा, एज ए लॉ मिनिस्टर लेजिस्लेशन के मैटर्स को हरी अप मत कर-

(श्री मथुरादास माथुर)

वाओ। यह प्रेस्टिज का सवाल नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड वाले फिर खिलाफ लिखेंगे, हाई कोर्ट खिलाफ लिखेगा इसलिए आप हरी अप मत करवाओ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह कब का लेजिस्लेशन है ? जब रेवेन्यू बोर्ड ने...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, क्योंकि सदन का समय समाप्त हो चुका है इसलिए सदन की कार्यवाही दिनांक 9 अक्टूबर 1978 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.00 बजे सोमवार दिनांक 9 अक्टूबर, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई)।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची)

मार्च 1977 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं 1	सड़कों का नाम 2	स्वीकृत राशि (लाखों में) 3
	अजमेर जिला	
1.	मिसिंग लिंक सरवार–अराइन रोड़	3.00
2.	इम्प्रूवमेन्ट केकड़ी–भगेड़ा रोड़	4.00
3	इम्प्रूवमेन्ट केकड़ी–सरवार रोड	4.00
	अलवर जिला	
4.	खैरथल से पाछल वाया रसगांव	2.00
5.	जाट वेहरोड़ से शाहजहांपुर	2.00
6.	खैरथल–सिवाना रोड़	3.50
7.	गुड्डा धूरानी से सिंध का तिवारा	1.00
8.	हरसोरा बस स्टैण्ड से रसोरा गांव	0 50
9.	नारायणपुर से वानसूर	1.00
	बांसवाड़ा जिला	
10.	बांसवाड़ा प्रतापगढ रोड़	5.00
11.	वरोदिया से करजी वाया इटावा	5.00
12.	एप्रोच रोड़ सलीया गाव तक	5.00
13.	भीमपुर–प्रासां सरेरी–भीमसोर रोड़	2.00
	भरतपुर जिला	
14.	उच्चैन से भरतपुर रूपवास रोड	4.00
15.	राजाखेड़ा से पिनाहत	6.00
16.	अप्रोच रोड़ सरानी खेड़ा तक	2.00
17.	इम्प्रूवमेन्ट याना व ठा रोड़ मय अप्रोचेज टू गंभीर	10.00

Page No 100

(98)

1	2	3
भीलवाड़ा जिला		
18.	मनपुरा से जलीन्दरी रोड़	5.00
19.	मांडलगढ़–जहाजपुर रोड़	3.00
20.	वरलियास–मांडलगढ़ रोड़	3 00
21.	पंडेर मांग रूप रोड़	3.00
22.	कालियास से ब्राह्मणों की श्रीडी	4.00
23.	वराना से आसींद रोड़	2 00
24.	बदनोर से लाड़पुरा	1.00
25.	आसींद से कनेरा	1.00
26.	अंटाली से लाम्बा	1.00
27.	कांसिया से गुड्डा	1.00
बीकानेर जिला		
28.	कोलायत से मध	2.50
29.	पालना वरसिंघसर-लालमदेसर	2.50
30.	उदरामसर–अम्बसर	3.50
31.	कालू से सरदारशहर रोड़ वाया गरबदेसर	6.00
32.	अप्रोच रोड़ भामोजी का मन्दिर मर्थल वा धोरा (मुकाम) नोखा जसरासर रोड़	1.00
बूंदी जिला		
33.	इम्प्रूवमेन्ट बूंदी देवल रोड	5.50
34.	बीचाड़ी से चेतना	3.00
चित्तौड़गढ़ जिला		
35.	प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा	4.00
36.	वंसी बाड़ी सदरी वाया बोहेड़ा	3.00
37.	अप्रोच रोड़ गांव ओचरी से चित्तौड़गढ़ निम्बहेड़ा	2.00
38.	अप्रोच रोड़ गांव खार से चित्तौड़गढ़ निम्बहेड़ा रोड	3.00
39.	अप्रोच रोड़ गांव सागवा से उदयपुर–चित्तौड़गढ़ रोड़	2.00
चूरू जिला		
40.	इम्प्रूवमेन्ट चालू सरदारशहर रतनगढ़ रोड़	5.00
41.	इम्प्रूवमेन्ट सरदार शहर पालासर रोड़	3.00

1	2	3
42.	मोमसर से लचरसर	5.00
43.	दुदवा खारा से टमकोर	5.00
44.	संखू से मलसीसर	3.00

डूंगरपुर जिला

45.	अप्रोच रोड टू गांव मांडव	4.00
46.	इम्प्रूवमेन्ट टू आंतरी ओबरी रोड़	5.00
47.	अप्रोच रोड़ टू दावरी	3.00
48.	सगवाड़ा से गोरेश्वर	2.00

गंगानगर जिला

49.	इम्प्रूवमेन्ट आफ हनुमानगढ़ रावतसर पालू रोड़	6.00

जयपुर जिला

50.	सिरसी से वेगस	1.50
51.	महांपुरा से नेवता	1.50
52.	इम्प्रूवमेन्ट आफ जयपुर टोंक रोड़	3.00
53.	इम्प्रूवमेन्ट आफ दूदू, सांभर, कुचामन रोड़	3.00

झालावाड़ जिला

54.	इम्प्रूवमेन्ट आफ अकलेरा मनोहर थाना	3.00
55.	इम्प्रूवमेन्ट आफ खानपुर टू अकलेरा	3.00
56.	इम्प्रूवमेन्ट आफ झालरापाटन टू सुनेल	3.00
57.	अप्रोच रोड टू रादिका बालाजी	1.50
58.	सुकेत टू पीपलिया	2.50
59.	ऊँडवा चतरपुर	2.00
60.	पचपहाड़ दुग आगार रोड़	3.00
61.	इम्प्रुवमेंट आफ सालखुरा अकलेरा रोड़	3.00

झुंझनू जिला

62.	नाऊ से घोरीवाडा खुर्द वाया भोजासर	5.00
63.	पतुसारी से मंलसर	1.00

(102)

1	2	3
64.	मांडवा-फतेहपुर	3.50
65.	झुन्झूनू से मांडवा	5.00
66.	अप्रोच रोड़ टू रामदेवजी मन्दिर वाया गनेशपुरा से सीकर नवलगढ रोड़	2.00
67.	अप्रोच रोड़ टू विरोल	2.00
68.	अप्रोच रोड टू चूरी अजीतगढ़	1.00
69.	अप्रोच रोड टू सलासलमपुर	1.00
70.	अप्रोच रोड टू बडागांव	0.50
71.	अप्रोच रोड टू दुमोली खुर्द	2.00
72.	अप्रोच रोड टू प्रतापपुरा	1.00
73.	अप्रोच रोड टू भारु	2.00
74.	अप्रोच रोड टू टमकोर फिरोम मलसीसर	3.50
75.	अप्रोच रोड टू लोहारगल	2.00
76.	मांडवा बिसाऊ रोड	3.00
77.	सुराजगढ़-लुहारु रोड	3.00
78.	पिलानी से बंगोथरी रोड	3.00
79.	झुन्झूनू मलसीसर रोड	2.00
80.	अप्रोच रोड़ टू महरादासी	1.00
81.	अप्रोच रोड़ टू भदरावास	1.50
82.	मुकन्दगढ़ मांडवा रोड	2.00
83.	अप्रोच रोड टू दरगाह समारदिशाह	0.50
84.	अप्रोच रोड टू बिसाऊ वाया जाटिया हायर सैकेण्डरी स्कूल	1.00

जोधपुर जिला

85.	इम्प्रूवमेंट आफ जोधपुर पिलाड़ा रोड	2.50
86.	इम्प्रूवमेंट आफ जोधपुर पोकरण रोड वाया बालेसर डेचू	2.50
87.	फलोदी चाडी रोड	2.00
88.	फलोदी डेचू रोड	2.00
89.	फलोदी लोहावट रोड	1.00

कोटा जिला

90.	इम्प्रूवमेंट आफ सुकेत पीपलिया रोड	4.00
91.	इम्प्रूवमेंट आफ गऊघाट सालपुरा छबडा	4.00

1	2	3
92.	उदयगंज से दाद देवी	4.00
93.	अंडवा छतरपुरा रोड	6.00
	पाली जिला	
94.	इम्प्रूवमेंट आफ बर पाली रोड	5.00
	सवाई माधोपुर जिला	
95.	इम्प्रूवमेंट आफ़ हिन्डौन महुआ रोड	4.00
96.	इम्प्रूवमेंट आफ हिण्डौन करौली रोड	4.00
97.	इम्प्रूवमेंट आफ बयाना हिन्डौन रोड	4.50
	सीकर जिला	
98.	फतेहपुर से मांडवा	4.00
99.	अप्रोच रोड टू खाटू श्यामजी	3.00
100.	अप्रोच रोड टू रूकनसर	1.00
101.	अप्रोच रोड टू लकानी	2.00
102.	जेरथी दादिया-कुदन रोड (कम्पलीशन वर्क)	2.00
	सिरोही जिला	
103.	इम्प्रूवमेंट आफ आबू रोड़ टू पालनपुर अपटू बोर्डर	7.00
	टोंक जिला	
104.	जयपुर-टोंक-देवली रोड	5.00
	उदयपुर जिला	
105.	सरदारगढ़ से मदारी	6.50
106.	गुडवोर टू सावित्री	6.50
107.	गनोली टू वल्लभनगर वाया खेरली करनपुर	5.00
108.	वल्लभनगर टू दुन्दोरिया टू नोवानिआ	3.00
109.	भिन्देर टू सलूम्बर रोड़	8.00

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बेरी आयोग के समक्ष विचारार्थ मामले

55. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बेरी आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने अब तक कितने मामले विचारार्थ पेश किये हैं ?

(2) यह आयोग अपनी अन्तरिम रिपोर्ट कब तक देने वाला है ?

(3) इस आयोग के समक्ष कितने राजनीतिज्ञों के खिलाफ मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बेरी आयोग के समक्ष कुल 221 मामले विचारार्थ प्रस्तुत किये हैं।

(2) आयोग द्वारा मामलों की सुनवाई प्रारम्भ कर दी है। जैसे जैसे मामले निर्णीत होते जायेंगे, आयोग द्वारा समय समय पर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता रहेगा।

(3) आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में कितने मामले राजनीतिज्ञों के हैं पूर्ण जांच के बाद ही मालूम हो सकता है। सभी मामलों की जांच पूर्ण नहीं हुई है। अभी तक कुल 53 मामलों में पूर्ण जाच के बाद आयोग ने आरोप-पत्र जारी किये हैं उनमें से 22 राजनीतिज्ञों के विरुद्ध हैं।

कृषि विपणन बोर्ड के सुपरवाइजरों का मामला

56. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि विपणन बोर्ड के सुपरवाइजर पद के लिये इस वर्ष कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई ? ट्रेनिंग के बाद कितने व्यक्ति सफल घोषित किये ? क्या इन लोगों की मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई ?

(2) रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इनमें से कितने चयनित व्यक्तियों की नियुक्तियां हो गई ? अगर नहीं, तो कितने को नियुक्तियां प्राप्त नहीं हुई ? क्या यह नियुक्तियां योग्यता क्रम (मेरिट) के अनुसार की गई ?

(3) क्या प्रशिक्षण के पूर्व इनमे अनुबंध किया गया ? क्या इस अनुबंध के अनुसार इन्हें 1 वर्ष तक ही अन्य स्थानों पर नौकरी न करने की पाबंदी लगाई गई ? क्या नौकरी लगने के बाद 5 वर्ष तक उसे न छोड़ने के बाबत कोर्ट अनुबंध था, अनुबन्ध तोड़ने की क्या पेनल्टी थी ?

(4) जो मेरिट लिस्ट में थे मगर उनको नियुक्त नहीं किया गया उस बाबत राज्य सरकार क्या विचार रखती है ? रिक्त स्थानों पर उन्हीं व्यक्तियों को लगाने का इरादा है या नये लोगो में से भर्ती की जावेगी ? जब ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति लोग मौजूद हैं तो उनके अतिरिक्त उन्हें छोड़कर

(श्री बिरदमल सिंघवी)
अन्य लोगों की भर्ती करने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) सुपरवाइजरों के पदों पर सीधी भर्ती करने हेतु 42 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद सभी 42 व्यक्ति सफल घोषित किये गये थे। जी हां, इन लोगों की मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई थी।

(2) 27 रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आदेश दिये गये थे। इनमें से 17 व्यक्तियों की नियुक्ति हो चुकी है 10 व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। सुपरवाइजरों की नियुक्ति करने का कार्य मंडी समिति के कार्य क्षेत्र में आता है। बोर्ड द्वारा नियुक्ति के निर्देश मेरिट के आधार पर ही 27 व्यक्तियों के लिये जारी किये गये थे।

(3) जी हां। प्रशिक्षण से पूर्व इनसे बोर्ड द्वारा अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार एक वर्ष तक अन्य स्थानों पर नौकरी नहीं करने की पाबन्दी लगाई गई थी। अनुबन्ध के अनुसार पांच वर्ष तक नौकरी करना अनिवार्य था। यदि प्रशिक्षणार्थी नियुक्ति के बाद 5 वर्ष के भीतर अपना पद छोड़ता है तो जो अवधि उसने पूरी कर ली है उसे छोड़कर शेष अवधि के भीतर जिस राशि का भुगतान किया जाता उसे बोर्ड में जमा कराने की पैनल्टी निर्धारित की गई थी।

(4) मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति हेतु जारी किये गये निर्देशानुसार जिन शेष व्यक्तियों को समितियों द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है उनकी नियुक्ति का प्रश्न बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है। वर्तमान में सीधी भर्ती के कोटा के अन्तर्गत अन्य किसी व्यक्ति को भर्ती करने का कोई विषय बोर्ड के विचाराधीन नहीं है। इस कोटा के अन्तर्गत अन्य किसी को लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय की योजना

57. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले के पश्चिमी क्षेत्र तथा राज्य के अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशु धन के लिये क्या विशेष पशु चिकित्सालय खोलने की राज्य सरकार ने कोई योजना बना कर निर्णय लिया है ?

(2) ऐसे पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी होगी और उनके खुलने की कब तक आशा है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने इस वर्ष मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 केन्द्रों की स्वीकृति दी है।

(2) 30 स्वास्थ्य केन्द्र माह नवम्बर, 1978 में खोल दिये जावेंगे।

बाड़मेर जिले में अब तक निकाले गये खनिज

58. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में अब तक क्या-क्या खनिज कब निकाले गये हैं ? उन खनिजों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
से अब तक राज्य सरकार को सालाना कितनी आमदनी होने लगी है ? भविष्य में खनिजों की आमदनी बढ़ाने के लिये राज्य सरकार कब तक क्या क्या कदम उठाना चाहेगी ?

(2) क्या राज्य सरकार ने जिले का पूर्ण सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ? अगर नहीं, तो पूर्ण सर्वेक्षण कब तक करवा लिया जावेगा ?

(3) बाड़मेर जिले में खनिज पर आधारित क्या उद्योग लगने की संभावना है ? राज्य सरकार इस संबंध में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में अब तक प्रधान खनिजों में जिप्सम, सेलेनाइट, सिलिका सेन्ड, सिलिसियस अर्थ एवं अप्रधान खनिजों में चेजा पत्थर, बजरी, बेन्टोनाइट तथा फूलर्स अर्थ निकाले जा रहे हैं। ये खनिज वर्ष 1955 के पूर्व से ही निकाले जा रहे हैं। वर्ष 1977 का उत्पादन तथा वर्ष 1977–78 की आय संलग्न तालिका में दी गई है।

बाड़मेर जिले में खनिजों से होने वाली आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के खनिज विभाग द्वारा बाड़मेर में एक वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक तथा एक सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालय क्रमशः 1973 तथा 1975 में खोले गये हैं जिससे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

(2) बाड़मेर जिले का आंशिक सर्वेक्षण किया गया है। राज्य के खनिज विभाग द्वारा प्रति वर्ष जिले का कुछ भाग सर्वेक्षण हेतु चयनित किया जाता है और उनका सर्वेक्षण पूरा होने पर नया क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु लिया जाता है। अब तक किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप बाड़मेर जिले में सिलिसियस अर्थ बेन्टोनाइट, ग्रेनाइट ऐश आदि पाये गये हैं। नई खनिज नीति के अनुसार सन् 1988 तक प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) बाड़मेर जिले में खनिजों पर आधारित निम्नलिखित उद्योग लगने की संभावना है :–

नाम खनिज	संभावित प्लान्ट
1. बैन्टोनाइट	एक्टीवेशन प्लान्ट
2. फूलर्स अर्थ	,,
3. सिलिसियस अर्थ	फिल्टर एड उद्योग
4. सेलेनाइट	प्लास्टर आफ पेरिस
5. जिप्सम	ग्राईडिंग यूनिट (जिनके द्वारा जिप्सम को पीसकर क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु)
6. ग्रेनाइट	ग्रेनाइट कटिंग पौलिशिंग उद्योग
7. वोल्केनिक ऐश	कांच तथा सिरेमिक उद्योग

साधारणतः उद्योगों को जो सुविधाएं दी जाती है वह दी जायेंगी।

बाड़मेर जिले में खनिज उत्पादन एवं आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रधान खनिज :–

क्रम सं.	नाम खनिज	कब से खनिज निकलना प्रारम्भ हुआ वर्ष	उत्पादन (टनों में) वर्ष 1977	आय रुपया 77–78
1.	जिप्सम	1955 से	32,085 टन	2,04,474
2.	सेलेनाइट	1958	1673 टन	14,325
3.	सिलिका सेण्ड	1959	113 टन	3,642
		योग—	33,871 टन	2,22,441

अप्रधान खनिज :—

क्रम सं.	नाम खनिज	कब से खनिज निकलना प्रारम्भ हुआ वर्ष	उत्पादन (टनों में)	आय रुपया वर्ष 77–78
1.	बिल्डिंग स्टोन (मेसेनरी)	स्टेट के समय से	3,00,510 टन	2,82,950
2.	बजरी	–एजन–	28,202 टन	29,824
3.	बैन्टोनाइट	–एजन–	16,003 टन	1,68,413
4.	फुलर्स अर्थ	–एजन–	4,261 टन	77,671
		योग—	3,48,976	5,58,858

मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा सड़क का निर्माण कार्य

59. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् काफी वर्षों से उक्त सड़क का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) उक्त सड़क का निर्माण राज्य सरकार कब तक करा देगी ?

उत्तर

(1) इस सड़क की स्वीकृति सन् 1963 में 7 लाख रुपयों की दी गई जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2.34 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति थी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस सड़क की कुल लम्बाई 33.5 कि.मी. है। धनराशि प्राप्ति के अनुसार 17.5 कि.मी. लम्बाई डामर सड़क पूरा करा दिया गया है। इस भाग के अधिकांश अंश के कार्य में पूर्व में शिथिलता आने का कारण ठेकेदारों द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना है जिसके लिये उन पर पेनल्टी लगा दी गई थी।

(3) 16 कि. मी. में जो कार्य होना बाकी है उसकी अनुमानित लागत 12 लाख रुपये है जिसका छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर प्रावधान किया गया है।

विश्व बैंक से कृषि उत्पादन हेतु राशि

60. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य सरकार को विश्व बैंक से कृषि उत्पादन हेतु कितनी राशि मिली है?

(2) इस राशि का कैसे कैसे उपयोग किया जा रहा है?

(3) क्या इस राशि का उपयोग डीप ट्यूब वैल्स बनाने हेतु भी किया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के लिए कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना हेतु 23.90 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह प्रावधान पांच वर्ष के लिए है। सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 630.00 लाख रुपये की राशि जोधपुर व नागौर जिलों हेतु जनवरी, 1975 से जून, 1980 तक के लिए स्वीकार हुई है।

(2) उपरोक्त 23.90 करोड़ रुपये की राशि निम्न प्रकार से व्यय की जा रही है।

1.	कृषि विस्तार (17.88 करोड़)	भवन निर्माण कार्यालय उपकरण वाहन व मोटर साइकल व साइकल के लिए ऋण, वेतन भत्ते एवं कार्यालय खर्च
2.	प्रशिक्षण (1.37 करोड़)	भवन निर्माण, कार्यालय उपकरण, बस व जीप प्रशिक्षण वेतन भत्ते एवं कार्यालय खर्च
3.	अनुसंधान (4.17 करोड)	भवन, प्रयोगशाला निर्माण प्रयोगशाला उपकरण एवं वेतन भत्ते
4.	मूल्यांकन (0.48 करोड़)	कार्यालय उपकरण, वेतन भत्ते आदि

630 लाख रुपये की राशि का उपयोग निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1. भू-संरक्षण भू-सर्वेक्षण एवं शुष्क खेती प्रदर्शन
2. लघु सिंचाई (भू-जल उपयोग)
3. भेड़ व चरागाह विकास
4. डेयरी व पशु विकास
5. भू-अभिलेखों को परिपूर्ण करना
6. संस्थापना व्यय

(3) जी हां। 630 लाख रुपयों की राशि में से मार्च, 78 तक जोधपुर में 94 व

(कृषि मंत्री)
नागौर में 34 मध्यम क्षमता के नल कूप बनाये जा चुके हैं।

सड़कों के हिसाब से पिछड़ा हुआ जिला जालौर

61. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिला सड़कों के हिसाब से राज्य के अन्य जिलों से पिछड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के लिहाज से पिछड़े दो जिलों में जालौर जिला भी आता है ? क्या राज्य सरकार यह उचित मानती है कि इस पिछड़े जिले के लिए सड़कों के निर्माण हेतु अधिक सहायता प्रदान कर इसके पिछड़ेपन को दूर करें ?

(3) क्या राज्य सरकार भीनमाल से पाथेडी एवं पोषाणा तक की सड़क, जो केवल 25 मील है और इस मार्ग पर आने वाले गांव की कुल जन संख्या 25 हजार है एवं इस गांव की आबादी 5000 है व अन्य चार गांवों की आबादी 3000 है, की स्वीकृति प्रदान कर डामर रोड बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले के डामर व डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों का अनुपात कम है, लेकिन कुल 100 वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल पर कुल सड़कों की संख्या 11.56 कि. मी. आती है जब कि राजस्थान के 100 वर्ग कि. मी. पर औसतन 11.36 कि. मी. है।

(2) जिले में सड़क विस्तार 1500 जनसंख्या व 50 प्रतिशत 1000-1500 जनसंख्या के गांवों को सड़क से जोड़ने को ध्यान में रख कर छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है जिससे ऐसे जिलों को सड़क निर्माण द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़क अूनरी (जनसंख्या 1341) पाथेडी (जनसंख्या 2119) थलवाड (जनसंख्या 2011) आदि गांवों को जोड़ने का प्रस्तावित है। गांव पोषाणा की सड़क भी प्रस्तावित है।

मकराना की खानों को किराये पर देने का मामला

62. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

क्या यह सही है कि 31 खानों को सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना ने किराये पर देने के लिये जनता से दरख्वास्तें मांगी थीं ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तें आई और किस प्रकार इन संगमरमर की खानों को राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक दिया गया ?

उत्तर

जी हां। इनके लिये 1068 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

31 खानों के ऊपर इतने अधिक आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप यह विचार किया

(109)

(खनिज मंत्री)

गया कि इनका आवंटन कार्य प्रत्यक्षतः व्यक्ति निरपेक्ष रीति से किया जाय, अतः राज्य सरकार ने आवंटन के लिये नीलामी से आवंटन करने की प्रणाली अपनाई।

1978 की खरीफ की फसल हेतु बांटा गया मूंगफली का बीज

63. श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कहां कहां मूंगफली का बीज खरीफ की फसल, 1978 में बांटा गया ? यह किस किस्म का बीज था और कहां से प्राप्त किया गया था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में जो मूंगफली का बीज बांटा गया था वह खराब था और उसके कारण किसानों की जमीन खाली रह गई जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो राज्य सरकार के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या किसानों को इससे हुई क्षति का मुआवजा देने का राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में मूंगफली का बीज खरीफ हेतु जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ एवं जोधपुर जिलों में वितरित किया गया। मूंगफली एम–13 का बीज केन्द्रीय कृषि फार्म, जैतसर पर उत्पादित एवं भारतीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित था।

(2) मूंगफली का जो बीज बांटा गया था वह भारतीय कृषि निगम द्वारा प्रमाणित बीज था परन्तु अंकुरण न होने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच कराने पर पाया गया कि बीज वास्तव में खराब था। कृषि विभाग द्वारा इसकी जांच करवा कर राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दिनांक 21–8–78 को भिजवा दी गयी है। इसमें राज्य सरकार के किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है।

(3) राज्य सरकार मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही के लिए भारत सरकार को लिख रही है।

कामां तहसील में कृषि उपज मंडी की सड़कें

64. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

कामां तहसील में कृषि उपज मण्डी की कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं एवं राज्य सरकार का उक्त सड़कों पर कितना व्यय हुआ है एवं कितना व्यय होने की संभावना है ? राज्य सरकार इन सड़कों को कब तक पूरा करा देगी ?

उत्तर

कामां कृषि उपज मण्डी में निम्नलिखित 7 सड़कें निर्मित की जानी हैं:–

1. जुरहरा मण्डी की सड़क व नालियां

2. कामां से कर्मुका बास सड़क

(कृषि मंत्री)

3. उदाका से अकाता सड़क

4. कामां पहाड़ी से बोलखेड़ा सड़क

5. सोंखर से नौसेरा

6. गोखर से बाजार जुरहरा सड़क

7. सड़कों पर पुलिया निर्माण

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों पर 31-3-78 तक रु. 3,33,431/- व्यय हो चुका है तथा इस वर्ष रुपये 5,49,200/-की स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है। यह सम्पूर्ण राशि इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने का लक्ष्य है।

इन सड़कों को कृषि उपज मण्डी समिति कामां से कुर्मका बास एवं "सोंखर से नौनेरा" सड़कों को छोड़कर सभी सड़कों का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है एवं उपरोक्त दो सड़कें आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होनी संभावित हैं।

राज्य में पावर लूम लगाने बाबत केन्द्र सरकार के निर्देश

65. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा):—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पावर लूम लगाने की क्या संभावनाएं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य में पावर लूम नहीं लगाने के निर्देश दिये हैं ?

(3) राज्य सरकार इस निर्देश को हटवाने व राज्य में पावर लूम लगवाने की क्या चेष्टा कर रही है ?

उत्तर

(1) पावर लूम लगाने की अच्छी संभावनाएं हैं।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार की टैक्सटाइल सम्बन्धित घोषित नीति के अनुसार न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में पावर लूम की वर्तमान क्षमता में विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार की टैक्सटाइल नीति की घोषणा के पूर्व राज्य में जनता सरकार के कार्यभार संभालते ही मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रीजी से निजी रूप में राज्य में पावर लूम आवंटित करने के लिए वार्ता की।. नई टैक्सटाइल नीति की घोषणा के बाद मुख्य मंत्री जी ने पुनः केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री जी को दिनांक 23-1-78 को निवेदन किया कि राजस्थान को पावर लूम आवंटित करने का मामला घोषित नीति से पूर्व का है अतः इसी आधार पर इस विषय पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जावे।

(3) मुख्य मंत्रीजी के अलावा मैंने भी क्रमश: दिनांक 14-2-78 एवं 20-4-78 को केन्द्र के उद्योग मंत्री जी को पत्र लिखे हैं किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत, झिराना जिला टोंक के सरपंच के खिलाफ गबन के मामले

67. श्री नारायण सिंह (मालपुरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मदन लाल, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, झिराना, जिला टोंक के विरुद्ध 14,000 रुपये का

(श्री नारायणसिंह)
गबन पंचायत की ग्राडिट रिपोर्ट 1959-60 द्वारा प्रमाणित हो चुका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या श्री मदनलाल भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, झराना, जिला टोंक के विरुद्ध फर्जी पट्टे, साइकिल टैक्स की चोरी, कांजी हाउस व दाखिल खारिज की रकम ग्रादि के गबन की जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) ग्रॉडिट रिपोर्ट वर्ष 59–60 में 11337.26 पैसों के गबन की संभावना व्यक्त की गई तथा उक्त राशि के ग्रलावा 3250 रुपयों का रोकड़ में इन्द्राज नहीं होना पाया है, इस प्रकार यह रकम 14587.26 पैसा होती है। जिलाधीश ने ग्राडिट आक्षेप के आधार पर ग्रारोप पत्र भेजे जिस पर उन्हें जांच करने के लिये ग्रादेश दिये गये। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 4-10-78 को ही प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है।

(2) साइकिल टैक्स की चोरी बाबत कोई शिकायत नहीं थी। शेष मामलों की जांच हो चुकी है। जांच प्रतिवेदन के ग्राधार पर शिकायत निराधार पाई गई।

तहसीलदार, सिरोही के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत

68. श्री माधो सिंह (रेवदर):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, सिरोही श्री हमीरसिंह के खिलाफ ग्राबू रोड के विधायक श्री ग्रलदाराम, रेवदर विधायक श्री माधोसिंह एवं देसूरी विधायक श्री ग्रचलाराम ने भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक 30-3-78 को की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिला जनता पार्टी के ग्रध्यक्ष श्री सुरेश जो सुराणा ने भी उक्त तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक 27-3-78 को की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिरोही तहसील के 17 सरपंचों ने उक्त तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार व तानाशाही का रवैया ग्रपनाने के खिलाफ दिनांक 11-4-78 को राज्य सरकार के पास शिकायत भेजी थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि तहसील के प्रमुख लोगों की इतनी ज्यादा शिकायतें होने के बावजूद उक्त तहसीलदार के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ? ग्रगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। एक ग्रलग शिकायत, जो 26-4-78 को प्राप्त हुई, पर नियम 17 राजस्थान सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण नियम के तहत श्री हमीरसिंह को जिलाधीश द्वारा नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु स्थाई शाखा

69. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष राज्य में प्राकृतिक आपदाओं (अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि) से अकाल पड़ता रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य में स्थाई रूप से जिला स्तर पर अकाल राहत कार्यों के संचालन हेतु पर्याप्त तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष समय पर राहत कार्यों के प्रारम्भ करने में बाधा आने के साथ ही वे कार्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार समय पर राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये यह आवश्यक नहीं समझती है कि जिला स्तर पर अकाल राहत कार्यों हेतु एक स्थाई शाखा हो, जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ भी उपलब्ध हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्यतया ऐसा ही होता है।

(2) अकाल राहत कार्यों के संचालन हेतु स्थाई रूप से अलग तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था नहीं है तथा सामान्यतया जिला प्रशासन एवं जिले में नियुक्त विभिन्न अभिकरणों के तकनीकी स्टाफ की सहायता से ही राहत कार्यों की तैयारी तथा संचालन कराया जाता है। किसी भी जिले में व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाये जाने की स्थिति में अस्थाई रूप से तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। जिलों में राहत कार्यों हेतु स्थाई स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार वित्तीय साधनों को मद्दे नजर रखते हुए अवश्य विचार करेगी।

अकलेरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन मामले

70. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मुकदमों की अधिकता को देखते हुए तथा न्याय शीघ्र मिले इस दृष्टि से अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की एक और कोर्ट खोल दी गई थी ? यदि हां, तो उसने कितने समय कार्य किया और कितने समय से मजिस्ट्रेट उस कोर्ट में नहीं हैं ?

(3) क्या लोगों की सुविधा के लिये राज्य सरकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट की 2 दिन अकलेरा, 2 दिन मनोहरथाना एवं 2 दिन खानपुर में कैम्प कोर्ट लगाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट अकलेरा में 1859 मुकदमे विचाराधीन हैं।

(2) जी हां।

अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय अकलेरा स्थापित करने के पश्चात् अधि-

(113)

(विधि मंत्री)

कारियों की कमी के कारण कोई अधिकारी पदस्थापित नहीं किया जा सका।

(3) अभी कोई ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भू-प्रबन्धक कार्यालय, भीलवाड़ा

71. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भीलवाड़ा के भू-प्रबन्धक कार्यालय को चित्तौड़ क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर का भू-प्रबन्धक कार्यालय भीलवाड़ा में रहने से ही सुविधा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी भीलवाड़ा जिले की 7 तहसीलों का भू-प्रबन्ध बाकी है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा के भू–प्रबन्ध कार्यालय को चित्तौड़गढ़ कार्य की सुविधा एवं जनहित में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले की चार तहसीलों गंगरार, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ में भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है जब कि भीलवाड़ा की किसी तहसील में कोई भू-प्रबन्ध कार्य नहीं चल रहा है और न ही इस जिले में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी तहसील का कार्य लिया जाना है।

(2) चित्तौड़गढ़ में उपरोक्त कारणों से भू-प्रबन्ध कार्यालय रखना अधिक सुविधाजनक है। अजमेर में अलग से भू-प्रबन्ध कार्यालय किये जाने का प्रस्ताव है। जिसके फलस्वरूप एक अलग भू-प्रबन्ध कार्यालय की स्थापना अजमेर में प्रस्तावित होगी।

(3) जी नहीं।

(113)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची)

प्रगति विवरण माह सितम्बर, 1978

क्र. सं.	जिला	माह के अन्त तक प्राप्त कुल प्रकरण			निर्णीत कुल प्रकरण			माह के अन्त में कुल अवशेष		
		पुराने	नये	कुल	पुराने	नये	कुल	पुराने	नये	कुल
1.	अजमेर	160	45	205	92	29	121	68	16	84
2.	अलवर	99	–	99	86	–	86	13	–	13
3.	बांसवाड़ा	1	1	2	1	–	1	–	1	1
4.	बाड़मेर	3	2	5	3	2	5	–	–	–
5.	भरतपुर	2	1	3	1	–	1	1	1	2
6.	बून्दी	53	3	56	44	–	44	9	3	12
7.	भीलवाड़ा	4	3	7	2	2	4	2	1	3
8.	चित्तौड़गढ़	18	3	21	14	2	16	4	1	5
9.	चूरू	1	3	4	–	2	2	1	1	2
10.	गंगानगर	359	239	598	107	110	217	251	130	381
11.	जयपुर	11	6	17	4	2	6	7	4	11
12.	जैसलमेर	4	14	18	–	14	14	4	–	4
13.	जालोर	8	1	9	3	–	3	5	1	6
14	झालावाड़	84	30	114	12	4	16	72	26	98
15.	झुन्झुनू	1	3	4	1	2	3	–	1	1
16	कोटा	330	27	357	131	11	142	199	16	215
17.	नागौर	58	142	200	26	16	42	27	131	158
18.	पाली	353	38	391	195	23	218	158	15	173
19.	स. माधोपुर	7	10	17	4	4	8	3	6	9
20.	सीकर	–	1	1	–	–	–	–	1	1
21.	सिरोही	5	2	7	4	2	6	1	–	1
22	टोंक	1	15	16	1	–	1	–	15	15
23	उदयपुर	9	6	15	5	–	5	4	6	10
24.	बीकानेर	–	2	2	–	–	–	–	2	2
25.	जोधपुर	33	12	45	27	4	31	6	8	14
	कुल योग:–	1604	609	2213	763	229	992	835	386	1221

(114)

परिशिष्ट (ख)

जिले का नाम झालावाड़

क्र. सं.	भूमिधारक/काश्तकार का नाम	कितनी भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये
1	2	3
1.	श्री भंवर लाल आत्मज श्री कालू गूजर साकिन आजमपुरा तहसील, अकलेरा	20.78 एकड़

जिले का नाम अजमेर

1.	श्री गणपतसिंह पुत्र गोपालसिंह निवासी खरवा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर	144–11–0 एकड़
2.	श्री महावीर सिंह पुत्र रामनाथसिंह निवासी नगर, जिला–अजमेर	8 स्टैण्डर्ड एकड़
	कुल	152–11–0 एकड़

जिले का नाम नागौर

1.	श्री खीरसिंह पुत्र भोरीलाल सिंह निवासी हरनावां, तहसील परबतसर जिला नागौर	37 एकड़
2.	श्री जोरदान पुत्र महरूदान निवासी दातियां, तहसील नागौर, जिला नागौर	35 एकड़
3.	मेहराराम पुत्र गणेश राम निवासी मूड़वाड़, तहसील नागौर, जिला नागौर	70 एकड़
	कुल	142 एकड़

जिले का नाम जोधपुर

1.	श्री हरनाथसिंह साकिन आटियां कलां	43 एकड़
2.	श्री अम्मेसिंह साकिन आटियां कलां	16 एकड़

115

1	2	3
3.	श्री भगवानसिंह साकिन आटियां कलां	29 एकड़
4.	श्री जगनाथसिंह साकिन आटियां कलां	43 एकड़
5.	श्री देवीसिंह साकिन पावड़ियां	205 एकड़
	कुल	336 एकड़

जिले का नाम चित्तौड़गढ़

1.	श्री जालमसिंह पिता मदन सिंह निवासी नया तालाव	93 साधारण एकड़
2.	श्री नारायण सिंह पिता मदन सिंह निवासी नया तालाव	11–46 स्टेण्डर्ड एकड़
3.	श्री उदयसिंह पिता मोड़सिंह निवासी पीपल्लीय खुर्द	87साधारण एकड़
4.	श्री इन्दर सिंह पुत्र निर्भयसिंह निवासी रूढ़	15 स्टेण्डर्ड एकड़
5.	छत्रपाल सिंह	39–25 ,, ,,
6.	गुमान सिंह	229 साधारण एकड़
7.	श्री कल्याण सिंह	22 साधारण एकड़
8.	श्री इन्दर सिंह	139 साधारण एकड़

जिले का नाम पाली

क्र.सं.	नाम व पता भूमि धारक/काश्तकार	निर्णय के दिनांक	अतिरिक्त अधिग्रहीत भूमि एकड़ों में
1	2	3	4
1.	सहसकरण पुत्र जसकरण, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर	5–8–78	8 स्टेण्डर्ड एकड़

(116)

1	2	3	4
2.	श्री उदयसिंह पुत्र लालसिंह, निवासी सोलावास, तहसील खारची	14–8–78	2–12 स्टेण्डर्ड एकड़
3.	श्री अमरसिंह पुत्र राजूसिंह, निवासी धीरोली, तहसील पाली	31–8–78	43–83 ,,
4.	गोविन्द सिंह पुत्र देवीसिंह, निवासी झिरी, तहसील पाली	31–8–78	9–41 ,,
5.	श्री पीर खां पुत्र उजीर खां, निवासी नया गांव, तहसील सोजत	7–9–78	9–81 ,,
6.	श्री विजेन्द्रसिंह पुत्र देवी जीवराजसिंह, निवासी आसोप, तहसील बिलाड़ा	15–9–78	131–37 ,,
7.	श्री कल्याणसिंह पुत्र जीवराजसिंह, कायम मुकाम श्रीमती मोहन कंवर बेवा कल्याण सिंह निवासी जाडण तहसील खारची	15–9–78	55–63 ,,
8.	श्री महाराजा श्री लक्ष्मण सिंह जोधपुर	26–8–77	––

जिले का नाम झुन्झुनू

1.	श्रीमती अछन पत्नी श्री श्योनारायणसिंह निवासी धाडली, तहसील खेतड़ी		2–1/4 एकड़

जिले का नाम बांसवाड़ा

1.	श्री वेणी भाई, केसू भाई पार्टीदार नागदला		—

जिले का नाम कोटा

1.	श्री रतन सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी सांगोद		7–47 स्टेण्डर्ड एकड़
2.	श्री प्रभूलाल पुत्र पृथ्वी राज मोहरा, निवासी भोराना कलां, तहसील सांगोद		––

परिशिष्ट (ग)

क्र.सं.	नाम व पता भूमिधारक/ काश्तकार	निर्णय के दिनांक	अतिरिक्त अधिग्रहीत भूमि एकड़ों में	विशेष विवरण
1.	श्री सहस करण पुत्र जसकरण नि. रायपुर, त. रायपुर	5-8-78	8 स्टेण्डर्ड एकड़	
2.	श्री उदयसिंह पुत्र लालसिंह निवासी खोलावास, तहसील खारची	14-8-78	2-12	,,
3.	श्री अमर सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी घोरोली, त. पाली	31-8-78	43-83	,,
4.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र देवी सिंह नि. ढिरी, त. पाली	31-8-78	9-41	,,
5.	श्री पीर खां पुत्र उजीर खां निवासी नयाबास त. सोजत	7-9-78	9-81	,,
6.	श्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ओसाप, त. बिलाड़ा	15-9-78	131-37	,,
7.	श्री कल्याण सिंह पुत्र जीवराज सिंह कायम, मुकाम श्रीमती मोहन कंवर बेवा कल्याण सिंह, निवासी जाहण, तहसील खारची	15-9-78	55-63	,,
8.	महाराजा श्री लक्ष्मण सिंह, जोधपुर	26-8-77	—	

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का मानचित्र)

शराब की सरकारी दुकानों से अब तक होने वाली आय का मानचित्र (क)

क्रम संख्या	नाम जिला	अनुपातिक आरक्षित राशि वर्ष 1978-79 माह अगस्त तक	माह अगस्त, 78 तक जो पूर्ति हुई	कमी
1	2	3	4	5
1.	जयपुर ग्रामीण	17,10,760	6,40,259	10,70,501
2.	भरतपुर	17,44,263	6,92,779	10,51,484
3.	उदयपुर	12,50,493	5,31,717	7,18,776
4.	कोटा	6,09,266	2,98,804	3,10,462
	योग:––	53,14,782	21,63,559	31,51,223

गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा दुकानें चलाने से कहां कहां अब तक कितना घाटा हुआ उसका मानचित्र (ख)

क्रम संख्या	नाम जिला	देशी मदिरा की दुकानों की संख्या	अनुपातिक आरक्षित राशि वर्ष 1978–79	माह अगस्त, 78 तक जो पूर्ति हुई	कमी
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर नगर ग्रुप	28	95,95,294	40,15,636	55,79,658
2.	कोटा नगर ग्रुप	18	39,15,838	16,69,888	22,45,950
	योग:––	46	1,35,11,132	56,85,524	78,25,608

(119)

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

दिनांक 1-4-78 की केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेषों एवं उन पर वर्ष 1978-79 में देय ब्याज की मदवार तालिका :--

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-78)	रुपये लाखों में देय ब्याज (1978-79)
1	2	3
क-आयोजना भिन्न ऋण		
1. अल्प बचत संग्रहों का हिस्सा	2645.00	
2. अल्पकालिक कृषि ऋण	200.00	
3. शिक्षा, कला एवं संस्कृति	59.60	
4. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण	11.42	
5. पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण	87.82	
6. कारागारों का आधुनिकीकरण	11.25	
7. ग्रे एरियाज में उपयोग के लिए ऋण	50.00	
योग क:-	3065.09	178.77
ख-राज्य आयोजना समूह ऋण ख:-	15927.02	836.18
ग-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं		
1. पुलिस के लिए आवास योजनाएं	66.43	
2. रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम	27.40	
3. विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजनाएं	93.68	
4. शिक्षा, कला एवं संस्कृति	12.58	
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	65.00	
6. लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र का विकास	98.29	
7. पशुपालन	5.14	

1	2	3
8. सहकारिता	108.02	
9. मत्स्य उद्योग	1.80	
10. सड़क परिवहन	19.50	
11. कृषि	13.49	
योग ग:—	511.63	31.65
घ—केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं		
1. ट्रान्समिशन एवं वितरण योजनाएं	252.35	
2. सड़कें एवं पुल	160.64	
3. लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र का विकास	80.96	
4. पशुपालन	18.09	
5. ग्राम्य एवं लघु उद्योग	114.61	
6. सहकारिता	37.01	
योग घ:—	663.66	34.51
ङ—1974 से पूर्व के ऋण		
1. विस्थापितों का पुनर्वास 2. स्वर्णकारों का पुनर्वास 3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	254.06	
4. अन्य एकीकृत ऋण	65372.64	
5. अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	2025.70	
6. भाखड़ा नांगल परियोजना	309.63	
योग ङ:—	67962.02	3232.42
योग—केन्द्रीय ऋण	88129.42	4313.53

भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य संस्थाओं के ऋण की सूची:—

	रुपये करोड़ में
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	12.530
2. राष्ट्रीय भंडार व्यवस्था निगम	0.002
3. खादी व ग्रामोद्योग आयोग	0.014
4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	4.520
5. भारतीय रिजर्व बैंक	11.150
6. भारतीय दुग्ध निगम	2.490
7. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	0.200
8. जागीर बाण्ड्स	0.720
9. भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	14.890
10. बाजार ऋण	205.330
योग:—	251.846

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची)

अभियोगों की सूची

क्र.सं.	अभियोग सं. व दिनांक	अभियुक्त का नाम व पता	पकड़े गये माल का विवरण
1	2	3	4
		वर्ष 1977–78	
1.	2/8–5–77	श्री अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति काछी नि: ल्हास	पीपा भट्टी एक नाल प्लास्टिक मटका वास एक, दो बोतल नाजायज शराब।
2.	3/9–5–77	श्री कालू पुत्र ऊंकार भील नि. रीछड़ी	पीपा भट्टी, बबरी मिट्टी, नाल वास एक बोतल नाजायज शराब।
3.	4/9–5–77	श्री लालजी पुत्र हीरा मोघा नि. रीछड़ी	आधी बोतल नाजायज शराब, एक मटका वास।
4.	8/22–6–77	श्री मांगीलाल पुत्र नन्दा भील नि. दड़कर	एक मटका वास, व एक नाल वास।
5.	9/22–6–77	श्री उदा पुत्र सोला नि. पाडो, गिरधरपुरा।	एक मटका वास एक नाल वास।
6.	10/22–6–77	श्री गोपीलाल पुत्र बाबरू नि. पाडो, गिरधरपुरा	पौन बोतल नाजायज शराब एक नाल वास, एक बबरी मिट्टी, पीपा भट्टी
7.	11/23–6–77	श्री लालजी पुत्र अमरलाल नि. आवलखेड़ा	पीपा भट्टी एक, नाल वास एक, भ्रमरी मिट्टी एक, गगरा एक, दो बोतल नाजायज शराब।
8.	12/23–6–76	श्री धीसा पुत्र भवर्ना भील नि. रीछड़ी	पौन बोतल शराब नाजायज, एक बबरी मिट्टी।
9.	13/24–6–77	श्री कन्हीराम पुत्र लालजी नि. आवलखेड़ा	दो बोतल नाजायज शराब से भरी नाल वास एक।
10.	14/24–6–77	श्री कालूराम पुत्र लालजी नि. आवलखेड़ा	बबरी मिट्टी एक, पीपा भट्टी एक, वास से भरा मटका एक।

1	2	3	4
11.	17/20-9-77	श्री बलदेव पुत्र नाथूलाल मीणा नि. तेलणी	एक पीपा भट्टी, एक नाल वास, एक मटका वास भरा, एक बबरी मिट्टी ।
12.	18/21-9-77	श्री नारायण पुत्र रामनाथ मीणा नि. भरजी	आधी बोतल नाजायज शराब ।
13.	19/21-9-77	श्री भैरूलाल पुत्र लक्ष्मण श्रीमती रखा पत्नी भैरूलाल नि. कलपुरा ।	दो मटके वास भरे, एक नाल वास बबरी मिट्टी ।
14.	20/21-9-77	श्री मोती पुत्र भूरा, श्रीमती वाबू पत्नी मोती नि. कलपुरा	दो मटके वास भरे, एक बबरी मिट्टी; एक बोतल में पाव भर नाजायज शराब ।
15.	21/22-9-77	श्री उदा पुत्र सालगा नि. धकेरा	दो मटके वास उत्तेजित भरे ।
16.	22/22-9-78	श्री रामा पुत्र कालू नि. कंवरपुरा	एक मटका पास, एक पीपा भट्टी बबरी ।
17.	23/22-9-77	श्री गंगाराम पुत्र भवाना नि. कंवरपुरा	एक बोतल नाजायज शराब, एक नाल वास ।
18.	24/22-9-77	श्री कल्याण पुत्र ऊंकार मीणा नि. अमृत खेड़ी	एक बोतल शराब नाजायज, एक बबरी, एक नाल वास ।
19.	27/28-2-78	श्री पीसालाल पुत्र मंगला मीणा, नि. देवरी जागिर	चार मटके उत्तेजित वास, एक बोतल में बन्द कतरे नाजायज शराब, एक पीपा भट्टी, एक चरी रिसीवर ।
20.	28/20-2-78	श्री भगचन्द पुत्र सोला, लोधा नि. जावरी	दो मटके उत्तेजित वास, एक पीपा भट्टी, चरी रिसीवर, एक बांस नाल, एक बबरी मिट्टी एक कोप, एक लोहा कन्डेन्सर ।
21.	29/1-3-78	श्री वीर सा पुत्र मांगीलाल लोधा, नि. मीटा टोबरी	एक मटका उत्तेजित महुआ वास का भरा हुआ ।
22.	30/1-3-78	श्रीलाल पुत्र रामरमन लोधा, नि. मीटा टोबरी	एक बोतल नाजायज शराब से भरी, एक बोतल में बन्द कतरे नाजायज शराब ।
23.	31/1-3-78	श्री कन्हीराम पुत्र लालजी लोधा नि. आबलखेड़ा	दो मटके उत्तेजित वास से भरे हुवे ।

124

वर्ष 1978–79

(अप्रेल 78 से सितम्बर, 78 तक)

1	2	3	4
1.	1/15–9–78	श्री मन्नाजी पुत्र भुवानजी मीणा, नि. मेहून	एक बोतल शराब नाजायज भरी हुई।
2.	2/16–9–78	श्री बंशीलाल पुत्र अमरलाल लोढ़ा, नि. लीमखेड़ी	पीपा मट्टी, बबरी मिट्टी, नाल प्लास्टिक, बबरी रिसीवर एक, एक मटका उत्तेजित महुवा वास।
3.	3/16–9–78	श्री मांगीलाल पुत्र जबला लोढ़ा, नि. लिमखेड़ा	एक घरी रिसीवर, एक बबरी मिट्टी नाल प्लास्टिक, एक बोतल में नाजायज शराब।
4.	4/16–9–78	श्री धूलीलाल पुत्र गोविन्द लोढ़ा, नि. बांसखेड़ी	एक बोतल नाजायज शराब, एक बोतल में चंद कतरे नाजायज शराब।
5.	5/16–9–78	श्री महताज पुत्र किशोर लोढ़ा, नि. बांसखेड़ी	दो मटके उत्तेजित वास महुवा, एक बोतल चौथाई नाजायज शराब से भरी हुई।
6.	6/17–9–78	श्री किशनलाल पुत्र घासीलाल मीणा, नि. ल्हास	दो बोतल नाजायज शराब, बबरी मिट्टी।
7.	7/18–9–78	श्री गिरधारीलाल पुत्र देवा लोधा नि. गखोल्या	एक पीपा मट्टी, एक नाल प्लास्टिक, एक बोतल में चन्द कतरे नाजायज शराब।
8.	8/18–9–78	श्रीमती किशनी पत्नी मंगला भील, नि. गखोल्या	दो बोतल में नाजायज शराब, एक चौथाई बोतल में नाजायज शराब।
9.	9/18–9–78	श्री गेंदीलाल पुत्र ऊंकारलाल लोधा, नि. भीलनी	तीन बोतल कच्ची शराब से चार मटके उत्तेजित वास से भरे हुये।
10.	10/18–9–78	श्री पन्नालाल पुत्र भंवरलाल लोधा, नि. भीलनी	एक मटका उत्तेजित वास व एक नाल धास बरामद हुये।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

भीलवाड़ा से जयपुर तक सड़क के पास देशी मदिरा की स्वीकृत दुकानों की सूची:

1. भीलवाड़ा से अजमेर स्टेट हाइवे पर—

   1. माण्डल स्टेशन
   2. धरेरी
   3. परबतपुरा
   4. बान्दनवाड़ा
   5. भड़वासा

2. अजमेर से जयपुर नेशनल हाइवे पर—

   1. मदन गंज नं. 2
   2. मदन गंज नं. 2 की उप दुकान सावतसर
   3. बान्दर सिन्दरी की उप दुकान बस स्टेण्ड बान्दर सिन्दरी
   4. दूदू की उप दुकान मोटर स्टेण्ड
   5. सावरदा
   6. हरसोली रेतलाना की उप-दुकान दातरी डाणी
   7. महला
   8. बगरू
   9. गंज की उप दुकान भीरवाली
   10. भैंरु खेड़ा